राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का २२वां दिवस [संख्या १९

शुक्रवार दिनांक १३ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, कृषि, स्वास्थ्य, राजस्व, सिंचाई उपनिवेशन, राजस्थान नहर, गृह, खाद्य एवं स्वायत्त शासन–विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

मेडिकल कालेज. बीकानेर में विभिन्न कोर्स की व्यवस्था

३८४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नप्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज, बीकानेर में नर्सिंग कोर्स तथा पी. एन. आर. सी. व लेडी हैल्थ विजिटर्स के कोर्स की कोई व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उपमंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) जी हां। यह पैरा मेडिकल पर्सनल है और इनकी ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। स्थानीय अस्पतालों में पी. एन. आर. सी. अथवा ऑक्जीलरी नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्ज की ट्रेनिंग होती है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बीकानेर में मिडवाइव्ज और नर्सिंग ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां। मिडवाइव्ज की नहीं थी।

श्री भीमसेन : इस पर विचार करेगी सरकार ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सरकार के विचाराधीन है और यहा भी खोला जायगा।

प्रश्न संख्या ३८५

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

Page No. 2

अनाज की कमी तथा भावों में वृद्धि

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष राजस्थान के कई गांवो में अकाल की स्थिति है तथा अनाज की कमी है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अनाज को राजस्थान के बाहर भेजे जाने की आज्ञा दे दी है ? यदि हां, तो कौन कौन सा अनाज तथा कब से ?

(३) क्या यह सही है कि इससे मक्के के भाव में पर्याप्त वृद्धि हो गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(४) सरकार अनाज के भाव स्थिर रखने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) राजस्थान से किसी अनाज की निकासी पर अभी तक कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं।

(३) मक्का के भावों में ८) रु० से १०) रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से वृद्धि हुई है।

(४) सरकार ने अनाज के भावों को स्थिर रखने के लिये (१) फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेन्सिग आर्डर १९६४ लागू कर दिया है।

(२) सस्ते अनाज की अधिक से अधिक दुकानें शहरों तथा देहातों में खोल दी है तथा (३) सरकार ने सरकारी दुकानें भी खोली हैं जो सस्ता अनाज बेचेंगी।

श्री विजयसिंह झाला : आपने भाग १ में इस बात को स्वीकार किया है कि अनाज की कमी है तो यह बतायें कि कितने अनाज की कमी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कितने अनाज की कमी है, वह तो मैं नही कह सकता। किस किस चीज की कमी है यह भी नहीं कह सकता लेकिन जैसा क्वश्चन नं० २ के उत्तर में कहा कि बहुत सा अनाज राजस्थान के बाहर जा रहा है, इसके इस साल के आंकड़े पिछले साल के आकड़ों से ज्यादा तो हैं। कितने अनाज की कमी हैं और कितना अन्न चाहिये इसको मैं डेफिनेट नहीं बता सकता।

श्री भीमसेन (लूनकरणसिंह) : पिछले वर्ष बहार अनाज कितना गया। और इस वर्ष कितना गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं लेकिन जहां तक चार पांच फूड ग्रेन्स का सवाल है, एक्जेक्ट तो आंकड़े नहीं कह सकता, पिछले साल १३. १४ लाख बाहर गया था और इस साल १८ लाख मन बाहर जा चुका है।

श्री विजयसिंह झाला : यह तो ये भी स्वीकार करते हैं कि अनाज की कमी है और फिर बाहर जा रहा है। सरकार के सामने ये आंकड़े होने चाहिये कि निश्चित रूप से इतनी कमी है ताकि सरकार स्थिति पर कन्ट्रोल कर सके। क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था कोई की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस प्रकार इस चीज पर काबू पाया जा सकता है यह प्रश्न के भाग ४ के उत्तर में बताया गया है।

Page No. 3

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज देश के संकट की इस घड़ी में सरकार को आंकड़े जरूर मालूम होने चाहिये कि कितना अनाज बाहर गया है और कितना हमारे पास है।

श्री नाथूराम मिर्धा : चार पांच फूड ग्रेन्स के बाहर जाने के आंकड़े तो मैंने आपको बताये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : निश्चित तौर पर आप बतायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : १३ लाख मन पिछले साल और करीब १८ लाख मन इस साल बाहर जा चुका है। ये जो आंकड़े दिये हैं वे रेल्वे के जरिये जो मूवमेन्ट हुआ है उसके हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या इस समय यह उचित नहीं है कि इस संकट के समय अनाज बाहर जाने से रोकें इस प्रान्त की विशेष परिस्थिति को देखते हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे देश का प्रश्न है। सारे देश की सरकार ही इस पर विचार कर सकती है और कर रही है। देश के खाद्य मन्त्री अभी दिल्ली में मिले थे। इस चीज को किस प्रकार रेग्युलेट किया जाय यह उन्होंने भारत सरकार के सामने वहां के कृषि एवं खाद्य मन्त्री के सामने रखा है और इस बारे में कुछ विचार चल रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : आज दिन तक आपने कितनी दुकानें खोली सस्ते अनाज की उसकी संख्या बतलाइये और यह भी बतलाइये क आपके द्वारा दुकानें खोलने के बाद अन्न की कीमतों में कितनी गिरावट आयी है ? इसके आंकड़े हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर के समय ये सारी बातें नहीं आ सकती। माननीय मंत्री महोदय जब बहस का जवाब दें उसमें इन सारी बातों का समावेश करने की कोशिश करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछली दफा भी बताया था और इस बार भी बात दूंगा।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में और भी माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी चाहें तो वह भी लिख कर मंत्री महोदय को दे दें ताकि वे बातें भी जवाब देते समय उनके ध्यान में रहें।

ग्रामीण जल प्रदाय योजना, सांगोद

३८७. **श्री जुझारसिंह (चेचट) :** Will the Public Health Minister please reply :—

(i) Has the scheme for Rural Water Supply for Sangod been surveyed and prepared by the Department ?

(ii) What will be the cost of completion and the contribution of the contribution of the people of Sangod respectively and when will the scheme be completed ?

उप-मन्त्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) योजना कुल ३,०७,१३६) रुपये की बनाई गई है। इसका ५ प्रतिशत भाग

Page No. 4

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

जनता को देना पड़ेगा। स्कीम की टेक्निकल जांच होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।

श्री जुझारसिंह : यह स्कीम चालू होने के बाद कोई स्कीम चालू की गई है ? पिछले साल भी आपने एश्योरेन्स दिया था। कनवास की स्कीम का टेक्निकल सर्वे हो चुका था क्या आपने उसको शुरू किया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आदिवासियों को भूमि का अलॉटमेंट -भीलों की बस्ती, रामपुरा

३८८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील में ग्राम शिशारमा के पास रामपुरा नाम की भीलों की बस्ती बसी हुई हैं और इन भीलों को यहां आबाद हुए १०-१५ वर्ष हो चुके हैं और वहां पक्के मकान भी दूसरी जाति के लोगों के बने हुए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि यहां पर भीलों ने आराजी नम्बर १०५६ के आसपास की भूमि काश्त कर रखी है ? अगर हां, तो कितने कितने बीघे में किन आसामियों ने खेती कर रखी है और क्यां फलदार पेड़ बो रखे हैं, जैसे नीबू, नारंगी, जामफल, अंगूर, आम आदि ?

(३) क्या यह सही है कि इन किसानों के पास कहीं दूसरी जगह भूमि नहीं है और ये भूमिहीन ही हैं और भूमि अपने खाते में दर्ज कराने की दख्वास्त भी तहसील गिरवा में कर रखी है फिर भी आदिवासियों को भूमि अलॉट नहीं की जा रही है ?

(४) क्या यह भी सही है कि सरकार ने आदिवासियों को बसाने के लिये बहुत बड़ी रकम खर्च की है और गिरवा क्षेत्र में एकलिंगजी की सड़क पर मोहनपुर बसाया है और भूमि भी एलॉट की है या करने जा रही है और वह भूमि जंगलात की है ? फिर इन लोगों को यहां से हटाने का आदेश तहसील से क्यों दिया जा रहा है ?

(५) क्या सरकार मकान और जमीन का कब्ज़ा हटाने का मिसल नं० ५८६-६३ ता. २६-१०-६३ से जो आदेश रामपुरावालों को तहसील ने दिया है उसे रद्द करने और उन्हें जमीन एलॉट करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्डा) : जी हां। इस बस्ती में २० घर भीलों के हैं। यह मकान, बन्दोबस्त जो सम्वत् २,००५ में हुआ, उसके बाद बने हैं तथा दूसरी जाति के तीन पक्के मकान हैं जिनमें से एक मकान कलाल का व दो मकान छड़ीदारों के हैं।

(२) जी हां। भील व दीगर जाति के लोगों ने आ० नं० १,०५६ व इसके आसपास की दीगर आराजी में नाजायज कब्जा कर काश्त कर रखी हैं जिसकी सूची मय पेड़ फलदार के संलग्न है।

(३) जी हां। ये किसान भूमिहीन हैं। नाजायज कब्जे शुदा रकबे को रेगुलराईज करने के आदेश पटवारी को दिये जा चुके हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

(४) जी हां। उनको जमीन एलॉट की थी मगर माफीदारान चीखा के अपील करने से अपीलान्ट कोर्ट सेस्टे आने से जमीन सुपुर्द नहीं हो सकी। राजस्व अपीलेट ऑथोरिटी से अब फैसला हो चुका है और पुराने एलॉटमेंट को रद्द माना गया है। इसलिये नये सिरे से इश्तिहार निकाले जाकर एलॉटमेंट की कार्यवाही की जावेगी। रेवेन्यू रेकार्ड में बिला नाम दर्ज है। तहसील से इन लोगों को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है क्योंकि कब्जा मौके पर नहीं हुआ। जमीन बन विभाग के ताल्लुक की नहीं है।

(५) जी नहीं। इस प्रकार का कोई अन्तिम आदेश अब तक नहीं दिया गया है।' पटवारी की रिपोर्ट पर श्री रामा पिता भजा गमेती ने आ. न. १०५६।११ रकबा १ बिस्वा बिला नाम मे नाजायज कब्जा कर लेने से दिनांक २६-१०-६३ को नोटिस दिया गया है तथा विपक्षी को सुनने की कार्यवाही की जा रही है। मौका देख व मौके पर लोगों को सुन कर ही निर्णय दिया जावेगा। मकान हटाने की कोई तजवीज अब तक नहीं की गई है?

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री जोधसिंह चौहान : आये दिन पटवारी उनको तंग करता है। रिश्वत दे देकर उसको शान्त किया जाता है। जब सरकार उसको रेगुलराइज करने को तैयार है तो उसको क्यों नहीं जल्दी कर देती ताकि उनको सुविधा हो?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम घोलेट का डहर

३८६. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील कामां के ग्राम घोलेट के डहर में पानी भरा रह जाने से काफी रकबे में फसल नहीं बोई जाती है?

(२) यदि हां, तो इस कारण कितना रकबा पड़त रह जाता है?

(३) क्या यह भी सही है कि इस पानी के भरे रह जाने से इस भूमि में खार पैदा हो गया है?

(४) क्या सरकार इस पानी के निकास के लिए फौरी कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(५) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरु कर दिया जावेगा?

(६) क्या उपरोक्त डहर से नाला निकाल कर कामा पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल में मिला दिये जाने का विचार है?

(७) यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वे और खुदाई कार्य कामां पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल के साथ साथ शुरू कराने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) लगभग २०० बीघा।

Page No. 6

(श्री दिनेशराय डांगी)

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(६) जी हां।

(७) जी हां।

प्रश्न संख्या ३६०

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह।

हरिजन काश्तकारान, बस्ती बिहारीपुरा

३६१. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या कोलोनाइजेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि कस्बा भादरा के पास बास बिहारीपुरा में मेहतर हरिजनों की एक बस्ती है जहां के निवासी मेहतर हरिजन ही नगरपालिका भादरा में सफाई, झाड़ू आदि कार्यों के लिये नौकरी करते हैं और साथ ही खेती का काम भी करते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि प्रश्न भाग (१) में वर्णित हरिजन काश्तकारों की कृषि भूमि कोलोनाइजेशन विभाग ने वागात के लिये रिजर्वेशन में ले ली और एवज में उनको जो भूमि दी गई वह अलग अलग कई कई टुकड़ों में और दूसरे दूर के गांवों में दी गई ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त हालात को देखते हुए गरीब मेहतर काश्तकारान बस्ती बिहारीपुरा की कठिनाइयों के निवारण का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) उपरोक्त हरिजनों को बदले में हस्ब खुबाईस जमीन दी गई है इसलिये कठिनाई का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री हरदत्तसिंह : भाग तीन का जवाब फिर से पढ़ दीजिये समझ में नहीं आया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो जमीन हरिजनों को बदले में दी गई है वह उनकी लिखित रजामन्दी पर दी गई है इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री हरदत्तसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने लिखित में नहीं दिया है। आपको जो सूचना दी है वह गलत है। उन लोगों ने ६ नवम्बर को, जब मुख्य मंत्री महोदय नोहर पधारे थे, इसका विरोध किया था और दरख्वास्त पेश की-हमें जमीन इसी कस्बे में दी जाय जहां हम नौकरी करते हैं बाहर नहीं। उस समय मुख्य मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले में आप दुबारा जांच करवायें। जो आपको इत्तला दी है गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैंने कहा है कि उन्होंने लिखित रजामन्दी जाहिर की है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि लिखित रजामन्दी जाहिर नहीं की गई है और उनकी इच्छा के

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

विपरीत किया गया है तो इस सम्बन्ध में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

प्रश्न संख्या ३६२

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

सन् १६५१ के फिक्सेशन के मामले

३६२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या वाटर वर्क्स विभाग के कुछ कर्मचारियों को सन् १६५१ में फिक्सेशन के समय महंगाई भत्ते की रकम दी जाने की सरकारी गल्ती से उनके वेतन में हानि हुई तथा लगभग १३ वर्ष बाद भी सरकार उनका मसला तय नहीं कर रही है तथा मामला चीफ इन्जीनियर के दफ्तर में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक यह मामला निर्णीत हो जायेगा ?

उपमंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : यह ६ (छः) कर्मचारी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट राजस्थान में स्थानान्तरित हो गये थे और इन कर्मचारियों के स्थितिकरण के लिये राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पहले ही लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अन्तिम रिपोर्ट इस विषय में प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : १६५१ से अभी तक पड़े हुए हैं। इस कार्य को पूरा कराने के लिए प्रयत्न किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : यह स्टाफ जब वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अलग हुआ था उसमें का है। सन् १६५७ से वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट यह कोशिश कर रहा था कि इसके फिक्सेशन पेपर्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस विभाग को भेज दे। तमाम कोशिशों के बाद कम्पलीट फाइल रेकार्ड अभी तक भेजा नही गया है। ६-१-६३ को फिर खत लिखा गया कि महरबानी करके जल्दी से जल्दी पेपर भिजवा दीजिये लेकिन अभी तक पेपर्स नहीं आये। ज्यों ही पेपर्स आ जायेंगे युनिफाइड पे स्केल्स में फिक्सेशन हो जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : ये दोनों डिपार्टमेन्ट अलग होने के बाद भी गवर्नमेन्ट से तो ये बन्धे हुए हैं ही। वैसी हालत में आप आश्वासन दे सकते हैं अपनी तरफ से कि इतने महिनों में यह फिक्सेशन हो जायगा ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा ही और जरूरत पड़ने पर चेयरमेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपने सचिव द्वारा डी० ओ० भी लिखाऊंगा। इसके बावजूद भी गवर्नमेन्ट ने यह तय किया है युनिफाइड पे स्केल्स के अन्तर्गत कि जिस आदमी को जो तनखा या अलाउन्स मिलता था उसमें कमी नहीं होगी।

श्री भीमसिंह (लूणकरणसर) : सेक्रेटरी से डी० ओ० लिखाने से कोई मतलब नहीं। आप अकाउन्टस ऑफिसर को भेज कर यह काम करवा सकते है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं समझता हूं सेक्रेटरी का डी० ओ० ज्यादा इम्पोर्टेन्स रखता है।

खातेदारी हक-तहसील सांचोर

३६४. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि ता० ३१-१२-६१ तक के कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जे नियमित (रेगुलराइज) करके खातेदारी देने बाबत सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है ?

(२) अगर हां; तो उस सरक्यूलर के तहत तहसील सांचोर में अन्दर मियाद कितने प्रार्थना पत्र खातेदारी लेने बाबत प्राप्त हुए ?

(३) उक्त प्रार्थना पत्रों में से कितने कृषकों को खातेदारी दी गई और कितने प्रार्थना पत्र खारिज किये गये ?

(४) क्या सांचोर तहसील में से भी डेजर्ट एरिया होने से ७५ बीघा सरकारी भूमि पर खातेदारी हक इस सरक्यूलर के तहत सरकार देना उचित समझती है ? अगर हां, तो ऐसा निर्णय सरकार कब तक कर देगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) तहसील सांचोर में कुल १,१४४ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

(३) कुल ७०१ प्रार्थना पत्र तय किये गये हैं।

३२९ प्रार्थना पत्रों पर खातेदारी हक दिये गये हैं।

३७२ प्रार्थना पत्र खारिज किये गये हैं।

४४३ प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।

(४) ऐसा कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कृषि मंत्री और काश्तकारों के रूबरू यह मामला चल रहा है। दूसरे जिले के सेमी डेजर्ट एरिया में ७५ बीघा है तो यहां भी आप करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I shall look into it.

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या इस बारे में सरकार निर्णय करेगी कि जिनको खातेदारी दे दी गई और जिनका मामला विचाराधीन है उन पर भी एक्शन होना चाहिये क्योंकि बाद में इनएफेक्टिव हो जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता I shall look into it.

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या यह ध्यान में है कि ३१-१२-६१ के सरक्यूलर की पूरी पब्लिसिटी नहीं होने से बहुत से किसान इसके लाभ से वंचित रह गये हैं ? तो क्या आप उसकी मियाद बढ़ाने की सोच रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वंचित होने का प्रश्न इसलिये नहीं पैदा होता कि बाद में चल कर हमने वह भी अमेन्डमेन्ट इसमें कर दिया है कि यह भी जरूरी नहीं कि वह दरख्वास्त दे बल्कि सेक्शन ९१ में आर० ओ० के पास कार्यवाही चल रही है तो विधिवत् उसका फैसला भी इसकी रोशनी में किया जावे।

Page No. 9

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतने ज्यादा प्रार्थना पत्रों को इतनी ज्यादा मात्रा में खारिज करने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरक्यूलर से कवर नहीं हुए होंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बात नहीं है बल्कि यों ही एट रेण्डम खारिज कर दिये गये। क्या आप इसकी जांच करवाने को तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : If there is any specific irregularity shown in the disposal of cases, I will certainly look into it.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बीकानेर जिले में ऐसे केस हैं कि ६१ के अन्दर फैसल होने पर भी इस सरक्यूलर के लाभ से महरूम रह गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो सांचोर का केस है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आलनियां प्रोजेक्ट की नहरों की पुलिआओं की मरम्मत

३६५. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि आलनिया प्रोजेक्ट, जिला कोटा, तहसील लाडपुरा में नहरों के ऊपर जितनी पुलियां बनी हैं वे अधिकतर छत के ऊपर से चूती हैं ? यदि हां, तो क्यों।

(२) क्या यह भी सही है कि पुलिया पर होकर पानी चूने व साइड से नहरें रखने पर तमाम रास्ते खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो इनके लिये आगे सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : आपने दूसरे भाग के बारे में बताया कि जी नहीं। मैं समझता हूँ आपको पूरी जानकारी नहीं आई है। यह आपका कथन गलत है। मैं कुछ गांवों के नाम बताऊं मांडोडा, आलिया, भगवानपुरा—इन गांवों के पास पुलियाएं बनाई गई हैं इनकी छतें चूती हैं जिसकी वजह से सारा रास्ता खराब पड़ा है आज भी। आप इसकी जानकारी करा लें।

श्री दौलतराम सारण : आपने जिन गांवों के नाम बताये हैं, वे लिखकर देने पर मैं जानकारी करा लूंगा।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : तीन गांव हैं। मांडोडा, आलिया और भगवानपुरा।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल कालाबादल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६७

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६८

श्री हरिराम चौहान ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६६

श्री भगराज चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४००

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन : यह प्रश्न जरूरी है, इसका उत्तर मिल जाए।

प्रश्न संख्या ४०१

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूलाल करौल ।

सड़क निर्माण हेतु अप्राप्त भूमि का लगान

४०२. **श्री नाथूलाल करौल** (चाकसू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में चाकसू के कोट-खावदा सड़क के निर्माण हेतु जो जमीन काश्तकारों से ली गई है उसका लगान अब तक तहसील चाकसू द्वारा काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) यदि नहीं, तो कब तक का उनसे लगान लिया गया और यह जमीन सड़क के लिये सरकार द्वारा कब ली गई थी ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

(१) जी नहीं ।

(२) २०१५ तक का लगान वसूल किया गया है । सड़क में जमीन लिये जाने की स्वीकृति भूमि अवाप्ति व पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के पत्र सं० ११४८ दिनांक ६-१०-६० द्वारा तहसील में प्राप्त हुई थी ।

श्री नाथूराम करौल : नम्बर दो के जवाब में कहा कि लगान जमीन लेने के बाद नहीं लिया गया तो जमीन कब ली गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है, जमीन के दो हिस्से हैं, एक तरफ तो २०१६ में सड़क बन चुकी है उसमें २०१५ तक लगान वसूल किया गया, इसके बाद नहीं । दूसरा हिस्सा पूर्व किनारे पर है, वहां पर सड़क नहीं बनी है, और उस हिस्से में वह खेती कर रहा है, इसलिए वहां कर लगान लिया गया ।

श्री नाथूलाल करौल : वहां क्यों लिया गया, जब जमीन साफ कराली, मिट्टी डलवा दी, पी. डब्लू. डी. ने पत्थर जमा कर दिया ? चार साल से उससे बराबर लिया जा रहा है, यह क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वास्तव में जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैंने भी जानकारी चाही थी पर वह अभी तक मिल नहीं सकी है । मैं इस प्रकार के आदेश दे दूंगा कि जिससे ज्यों ही जमीन सड़क के लिए कब्जे में उनके आ गई हो और जिस तारीख से काश्त उसमें बन्द हो गई हो उस तारीख से लगान वसूल नहीं किया जाय । अगर कर लिया गया है कहीं, तो उस का एडजस्टमेंट कर दिया जावे ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऐसे प्रश्न काफी सरकार के सामने लाये जाते है

(श्री भीमसेन)

कि काश्तकारों से जमीन ले ली जाती है और मुआवजा उसका नहीं दिया जाता और लगान वसूल कर लिया जाता है। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जो विभाग सर्टीफिकेट जारी करे, उसके तत्काल बाद लगान वसूल नहीं करे। मुआवजे में देर हो सकती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार के आदेश दिये जा चुके हैं लेकिन हम यह देखेंगे कि उन आदेशों का पालन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं।

श्री दलपतसिंह (आबूरोड) : इसका पालन कई जगह नहीं हो रहा है।

प्रश्न संख्या ४०३

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०४

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०५

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०६

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : कृपया इसका उत्तर दिलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

शक्कर का वितरण

४०७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार जिलेवार शक्कर का वितरण ग्रामीण जनता व शहरी जनता के लिये तथा हलवाइयों के लिये विशेष रूप से निश्चित कर जिलाधीश को भेजती है?

(२) यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में अक्टूबर, १९६३ से जनवरी, १९६४ तक कितनी शक्कर किस-किस तरह से एलाट की गई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिलाधीश ने शक्कर का वितरण राज्य सरकार के आदेशानुसार न कर मनमाने ढंग से किया है?

(४) क्या यह सही है कि ग्रामीण जनता के लिये व हलवाइयों के लिए जो शक्कर जिले भर के लिए दी गई थी, वही शक्कर सिर्फ भीलवाड़ा के हलवाइयों को दी गई व ग्रामीण जनता की शक्कर में से भी शहरी जनता को शक्कर दी गई?

(५) अगर हां, तो क्यों और किन नियमों के तहत?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। यह सही है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी है।

(३) नहीं।

(४) नहीं, यह सत्य नहीं है कि ग्रामीण जनता की शक्कर में से शहरी हलवाइयों को शक्कर दी गई है। प्रत्येक तहसील के शक्कर के कोटे में से १० प्रतिशत शक्कर देहात के हलवाइयों के लिए निर्धारित की गई।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इसका पालन नहीं होता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो जवाब दिया गया है और जिसकी कापी मुझे भी मिली है, उसमें पहली बात तो यह है कि वह स्पष्ट नहीं है। मैंने पूछा था कि ग्रामवाइज कोटा निश्चित करते हैं, उसी तरह से दीजिए और यह जो आपके विभाग की सूची है इसमें स्पष्ट लिखा है कि भीलवाडा जिले में रूरल एरिया को १५२ टन, अर्बन एरिया को ३६ टन, हलवाइयों के लिए १२ टन, रूरल एरिया के हलवाइयों को ८ टन। रूरल और अर्बन एरिया को ७.५ टन दिया जायगा।

अब जो डिस्ट्रिब्यूट होती है उसकी सर्टीफाइड कापी, जो वहां के कलेक्टर साहब ने दी है, मेरे सामने है और उसके आधार पर अर्ज करना चाहता हूँ कि नवम्बर महीने में खास भीलवाड़ा में ११ सौ टन शक्कर दी है। और वहां के हलवाइयों को २०० मन दी है और रूरल एरिया की शक्कर थी वह भी अर्बन एरिया को दे दी क्योंकि नवम्बर में वहां इलेक्शन थे। इस तरह इस एक ही महीने में नहीं, बल्कि जैसा अर्ज कर रहा हूँ १२ टन शक्कर सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए दी जाती है हर महीने में नवम्बर से जनवरी तक-सिर्फ हलवाई भीलवाड़ा वालों को दी है, डिस्ट्रिक्ट वालों को नहीं दी।

जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा कि रूरल एरिया के कोटे में से १० पर्सेन्ट दी जाती है तो वह जनता का कोटा है, हलवाइयों का नहीं। हलवाइयों का १२ टन अलग मुकर्रर करते हैं। वह डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिये, वह नहीं दिया और इस आधार पर अर्ज किया कि आपके रूल्स हैं उनके खिलाफ कलक्टर काम करता है तो क्या आप उसके विरुद्ध कोई एक्शन लेने को तैयार हैं ?

आप चाहें तो सदन की टेबल पर सारे डिस्ट्रिक्ट का एलोकेशन जो है वह रखने को तैयार हूँ। आप मिला लीजिये, अपने यहां से आपने जो शक्कर उनको दी है वह क्या है और यह डिस्ट्रिब्यूशन किस तरह से किया गया है, अन्तर साफ नजर आवेगा आपको। तो यह सारा मामला बिलकुल साफ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, वहां के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कुछ मुद्दे उठाये। उन्होंने यह कहा कि कलेक्टर ने कुछ जो गांव का कोटा था वह शहर में दे दिया और तहसील वालों के कोटे में से हलवाइयों को दिलवा दिया। इसमें हो सकता है कि कुछ तथ्य कुछ जिलों में हों। हमने यह किया है कि सारे राजस्थान के गांव वालों को ३२ सौ टन का कोटा कायम किया है। और सात हजार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के ऊपर की आबादी वाले को हमने शहर माना है। उनका कोटा दो हजार टन का रखा है। इसके बाद ६०० टन कोटा हलवाइयों का है। जो इक्वली सारी पापुलेशन के आधार पर होकर कलैक्टर के पास चला जाता है। तो एक महीने में कलेक्टर ने भीलवाड़े में ज्यादा दे दिया हो और दूसरों को कम दे दिया हो। पर जैसा इन्होंने कहा है ऐसी बात है या नहीं है ऐसा कहने की स्थिति में मैं इस समय नहीं हूँ। हमारी तरफ से कलेक्टर को पूरी हिदायत है कि वह सारा वितरण नियमानुसार करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसा है कि आज तक तो पालन नहीं किया है उन्होंने, अब अगर आपने क्लीअर इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये हों तो भविष्य में पालन हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जिले वार कोटा निश्चित किया गया है तो क्या जिलों और गांव दोनों जगह सबको बराबर बराबर आधार पर आप वितरण करते हैं? नहीं तो इसका क्या कारण है कि जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में तो प्रति व्यक्ति को एक किलो के हिसाब से देते हैं और बीकानेर में आधा किलो प्रति व्यक्ति ही देते है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर में भी आधा ही किलो दिया जाता है। क्यों कि अभी जो शहर का कोटा है वह पापूलेशन के आधार पर है सारे राजस्थान में। इसलिये जोधपुर में भी जो कोटा है वह आधा किलो ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : जयपुर में एक किलो फिर क्यों दिया जाता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जयपुर में भी यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी। अब यहां जो ज्यादा दी जाती है वह कलैक्टर अपने पुराने स्टाक में से कुछ निकाल कर कर रहा है। अब जो रीयल कोटा का डिस्ट्रिब्यूशन है सब शहरों को उस हिसाब से अगर डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे तो एक किलो की बात नहीं टिक सकेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है उसके भाग ३ में साफ लिखा है कि क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिलाधीश ने शक्कर का वितरण राज्य सरकार के आदेशानुसार न कर मनमाने ढंग से किया है? जिसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने 'नहीं' के रूप में दिया और यह स्टेटमेन्ट मैं सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हूँ और मैं यह कह रहा हूँ कि १२ टन शक्कर जब हलवाइयों को दी जा रही है तो २०० मन शक्कर वहां के हलवाइयों को कहा से ला कर दी? यह एक्सेस शक्कर कहां से आई? आप कहते हैं कि यह गड़बड़ी एक महीने में ही हुई है लेकिन मैं आपको सितम्बर से जनवरी तक का एलोकेशन बता सकता हूँ। सितम्बर से जनवरी तक ये गड़बड़ियां हुई हैं। जितना स्पेशल कोटा रूरल एरिया का आता था वह भी आपने भीलवाड़ा को दिया। अर्बन एरीया का भी ज्यादा तर कोटा अएवाड़ा को दिया हलवाइयों का १२ टन का उनको दिया और ३६ टन जिसमें अर्बन एरिया शाहपुरा और गंगापुर शामिल है, बह भी अएवाड़े को दिया और रूरल एरीया का १५२ टन शक्कर का कोटा है उस में शाहपुर और गंगापुर को इस कोटे में से दिया और यह सारा का सारा १० पर्सेन्ट दिया। वह भी १५२ टन में से दिया। तो इस आधार पर सिर्फ रूरल एरिया के लिए १०० टन शक्कर हर महीने में दी और ५२ टन शक्कर का कोटा भीलवाड़ा को दिया। इसकी जांच होनी चाहिये और मैं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

यहां सदन में आश्वासन देने के लिए तैयार हूँ कि अगर गल्ती हो तो सरकार का सारा खर्चा मैं अपनी तरफ से पेश करूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी बातें जो आपने कही हैं, मैं इनको देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

एयरोड्रोम, कोटा

४०८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा एयरोड्रोम केवल डेकोटा विमान उतारने की ही क्षमता रखता है और कोटा शहर का मास्टर प्लान बना उसमें बड़े विमान उतारने के लिए एयरोड्रोम की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है और एयरोड्रोम के आसपास की जमीन बेचने की योजना है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि कोटा जिस तेजी से औद्योगिक शहर बनता जा रहा है और जिस तरह से डेकोटा विमानों का स्थान दूसरे बड़े विमान लेते जा रहे हैं उन्हें देखते हुए एक माकूल एयरोड्रोम की जरूरत कोटा शहर को निकट भविष्य में पड़ेगी ?

(३) क्या सरकार उस मास्टर प्लान में एयरोड्रोम को बढ़ाने के लिए यथेष्ट स्थान रखने पर विचार करेगी ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, यह जो. ए. डी. को ट्रांसफर कर दिया गया है वह इसका उत्तर अपनी टर्न पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही, भरतपुर

४०९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया। क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि भरतपुर के भूतपूर्व एस० पी०, श्री चड्ढा को भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेन्ड किया गया है और उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है।

(२) यदि हां, तो आरोप क्या क्या हैं ?

(३) क्या जिस रिपोर्ट के आधार पर श्री चड्ढा को सस्पेन्ड किया है उसी रिपोर्ट में डीग के सर्किल इन्सपेक्टर के विरुद्ध भी गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ?

(४) यदि हां, तो उनके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उपमंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) जी हां।

(२) श्री चड्ढा के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करने, रिश्वत लेने आदि के अनेक आरोप थे।

(३) यह मामला विचाराधीन है और इस मामले पर इस समय प्रकाश डालना जनहित में नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : विचाराधीन है तो उसके खिलाफ अभी तक केस रजिस्टर क्यों नहीं किया ? प्रश्न सीधा यह है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आरोप सिद्ध नहीं हुए।

श्री विजयसिंह झाला : तो फिर किस बात का दोषी है ? आपने जांच की, उसके आधार पर किस किस बात के लिए दोषी ठहराये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह श्री चड्डा से सम्बन्ध है या सी० आई० से ?

श्री विजयसिंह झाला : जिसके लिए प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : जिस रिपोर्ट के आधार पर श्री चड्ढा को सस्पेन्ड किया है उसी रिपोर्ट में सी० आई० के विरुद्ध भी चार्जेज़ हैं तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनके चार्जेज़ के सम्बन्ध में सबूत प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए वह कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सबूत तो उनका खुद का कन्फेशन है सर्किल इन्सपेक्टर का ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Confession before a police officer is no confession.

श्री अध्यक्ष : यह मामला कब तक तय हो जायेगा सारी जांच और फाइनल रिज़ल्ट ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्री चड्ढा के प्रासीक्यूशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को मूव कर दिया गया है सेंक्शन के लिए ११-१२-६३ को, और उसके शीघ्र ही सेंक्शन होने की आशा है।

श्री भीमसेन : सी० आई० के खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर सकते है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सम्भव है।

श्री अध्यक्ष : ११-१२-६३ को मूव कर दिया और अभी तक नहीं आया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेंक्शन के लिए भेजते हैं तो सारी स्थिति को देखा जाता है फिर भी मैंने लिखा है कि शीघ्रातिशीघ्र करके कार्यवाही की जाये। मेरा ख्याल है कि महीने भर के अन्दर अन्दर सेंक्शन हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

माही बांध

४१०. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बांसवाड़ा के माही बांध का कार्य कब तक शुरू होगा ?

(२) इस बांध की डूब में आने वाले किसानों को बसाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? यदि व्यवस्था नहीं की है, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) अभी यह बताना सम्भव नहीं है ?

(श्री दौलतराम सारण)

(२) माही बांध के डूब में आने वाले किसानों को बसाने के लिए व्यवस्था करने का प्रश्न अभी पैदा नहीं होता है। बांध का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो जाने पर इसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपकी प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गयी तो वैकल्पिक पहले ही काश्तकारों को बसाने की योजना क्यों नहीं बनाते ?

श्री दौलतराम सारण : अभी समय लगेगा काम करने में। अभी से एक्वायर करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

नगरपालिका फुलेरा के विरुद्ध जनता की शिकायतें

४११. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि फुलेरा की जनता ने फुलेरा नगरपालिका के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र वर्ष १९६२ में मंत्री महोदय तथा डाइरेक्टर महोदय को पेश किया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस शिकायती पत्र में कई अनियमिताओं का उल्लेख है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जांच करवाई जाकर अध्यक्ष को शो-काज़ नोटिस दिया गया है।

श्री श्रवणलाल : यह नोटिस कब दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : शो-काज़ नोटिस १०-३-६४ को दिया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : १९६२ को शिकायत प्राप्त हुई और प्रश्न पूछने के बाद आपने शो-काज़ नोटिस दिया इसके बीच में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दौलतराम सारण : जांच करवायेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of information, Sir. १९६२ में मंत्री महोदय के सामने कोई दरख्वास्त पेश हो और २ साल के बाद शो-काज़ नोटिस हो तो ऐसे मंत्रियों के बारे में क्या सोचें ? यह बड़ी शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

सुधार-कर की वसूली, चम्बल योजना

४१२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(१) सरकार चम्बल बहु-वार्षिक सिंचाई योजना पर सुधार-कर कब से वसूल करने वाली है ?

(२) क्या सरकार को राजस्थान राजपत्र सितम्बर २६, सन् १९६३ में प्रकाशित सिंचाई

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

विभाग की विज्ञप्ति सितम्बर १३, १९६३ की पालना में आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं ?

(३) क्या आपत्तियों के आधार पर सरकार ने कोई निर्णय लिये हैं ?

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) चम्बल सिंचाई क्षेत्र की तीन तहसीलों- (१) लाडपुरा (२) केशोराव पाटन (३) तालेड़ा (वर्तमान बूंदी) में बैटरमेन्ट लेवी बोर्ड द्वारा सन् १९६३-६४ से सुधार-कर लगाने का निर्णय लिया गया है।

(२) जी हां। आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इन आपत्तियों पर बोर्ड द्वारा अपनी बैठक स्थान कोटा में दिनांक ९-१२-६३ में विचार किया गया था।

(३) आपत्तियों पर विचार करने के बाद बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सुधार-कर की दरें उपरोक्त तीन तहसीलों के लिये प्रस्तावित की गई हैं।

रु० .७५ प्रति एकड़ एक साथ जमा कराने पर व रु० .९० प्रति एकड़ वार्षिक किश्तों में जमा कराने पर। बोर्ड द्वारा यह भी राय दी गई है कि उपरोक्त तीन तहसीलों में सुधार-कर की वसूली सन् १९६३-६४ से की जाये। मांग पत्र ६१-६२ में सिंचित किये गये क्षेत्र पर सिंचाई का लाभ पहुंचने के एक साल बाद ६३-६४ में वितरण किये जायें। बोर्ड द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव राज्य सरकार के विधि विभाग को निर्णयार्थ भेज दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा सुधार-कर की दरों के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जाकर विज्ञप्ति राज पत्र में प्रकाशित कर दी जायेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वित्त मंत्री महोदय के भाषण में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि चम्बल क्षेत्र के अन्दर बैटरमेन्ट लेवी को स्थगित किया जायेगा, क्या यह सच है ? क्या सरकार की नीति अब बैटरमेन्ट लेवी को चम्बल एरिया के अन्दर स्थगित करने की है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस प्रश्न के बारे में जैसा मैंने कहा कि जो क्षेत्र डवलप हो चुका है और जिन एरियाज़ के अन्दर पिछले दो साल से पानी लग चुका है और जो जमीन डेफीनेट तौर से इसके नीचे लग चुकी है उसके बारे में वसूली की कार्यवाही नियमानसार होती रहेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि चम्बल एरिया के अन्दर हम बैटरमेन्ट लेवी को स्थगित कर रहे हैं, जब तक कि वहां पूरा फायदा नहीं हो जायेगा हम बैटरमेन्ट लेवी लगाने वाले नहीं हैं। इस प्रकार का इशारा वित्त मंत्री महोदय ने दिया है, क्या वह स्टेटमेन्ट गलत है, ऐसा माना जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो एक तरह का फायदा हुआ है सब जगह एक जमीन के ऊपर, जो कमाण्ड में आ चुकी है ऐसी बात नहीं है। इसलिए स्थगित करने का प्रश्न तो वहां के लिए है जहां कि नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो रही हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार के पास आंकड़े अभी तक आ चुके हैं कि

Page No. 18

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चम्बल क्षेत्र के अन्दर इतनी भूमि फायदा उठा पाई है और इतनी भूमि फायदा नहीं उठा पाई है इसलिए इतनी भूमि पर बैटरमेन्ट लेवी लगेगी और इतनी पर नहीं लगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सब आंकड़े मौजूद है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो कितनी भूमि ऐसी है और कौन कौन सी तहसील में ऐसे गांव हैं जहां बैटरमेन्ट लेवी लगाने का प्रश्न है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस समय तुरन्त जानकारी देना सम्भव नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो सरकार अमुक गांव में बैटरमेन्ट लेवी लगाने वाली है इसके लिए दूसरी विज्ञप्ति जारी करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह वहीं लागू की जायगी जहां सारी कार्यवाही नियमानुसार हो चुकी है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : वाटर लागिंग एरिया में भी बैटरमेन्ट लेवी लागू की जायेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें कल्टीवेशन नहीं होता तो वहां बैटरमेंट लेवी लगाने का प्रश्न नहीं है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : कल्टीवेशन नहीं होता वह दूसरी बात है और वाटर लागिंग दूसरी बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वाटर लागिंग एरिया के अन्दर कोई कल्टीवेशन नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक काश्तकार को चम्बल के कारण फायदा हो चुका है और वह बाद में अपनी आपत्तियां पत्र पेश करते रहें। सरकार के पास व्यक्तिगत आंकड़े नहीं हैं कि अमुक खातेदार को फायदा हुआ है और उसके अनुसार उस पर लेवी लगेगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न और है इम्पार्टेन्ट, अध्यक्ष महोदय जो जमीनें सीलिंग....

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : प्रश्न संख्या ४१३।

नगरपालिका झुंझुनू

४१३. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनू नगरपालिका में वर्तमान समय में कुल कितना स्टॉफ है ?

(२) क्या वर्तमान स्टॉफ बजट में स्वीकृत सख्या से ज्यादा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या नगरपालिका के कर्मचारियों को प्रति मास पर वेतन मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारियों का वेतन एडवान्स में चलता है तथा कुछ लोगों को तीन तीन महीने तक वेतन नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : (१) कुल स्टॉफ की संख्या ८० है।

(२) तीन हरिजन कर्मचारियों व दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ज्यादा हैं।

(३) किसी माह में अगर आय कम होती है तो दूसरे माह में एक साथ वेतन दे दिया जाता है, अन्यथा प्रतिमास वेतन दिया जाता है।

(४) यह सही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : प्रश्न संख्या २ के जवाब में मैंने पूछा है कि स्वीकृत संख्या से ज्यादा है क्या ? यदि हां, तो क्यों ? क्यों का जवाब नहीं आया।

श्री दौलतराम सारण : रख लिये नगरपालिका ने।

श्रीमती सुमित्रा : क्यों रख लिये ? इस क्यों का जवाब नहीं मिला।

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने आवश्यकता समझी और रख लिए। आप फैक्ट पूछती हैं वह मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्रीमती सुमित्रा : क्यों का जवाब नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि प्रश्न संख्या ३ के जवाब में जो उन्होंने कहा है कि प्रति महीने वेतन दे दिया जाता है तो यह गलत सूचना दे रहे हैं सदन को। किस किस को तो चार–चार पांच–पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है और कई कर्मचारियों का वेतन एडवान्स चलता है।

श्री दौलतराम सारण : निश्चित पूछतीं कि किसको अपना वेतन नहीं मिला तो सूचना दे सकता था, लेकिन जिस तरीके से प्रश्न पूछा था उस तरीके से जवाब दिया जा चुका है कि उनको निश्चित समय पर मिल जाता है। जिनको एक महीने में नहीं मिलता है उनको दूसरे महीने में मिल जाता है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि वहां के कर्मचारियों में काफी दिनों से असन्तोष चल रहा है।

श्री दौलतराम सारण : यह आपकी धारणा है।

श्रीमती सुमित्रा : धारणा बिल्कुल नहीं है, सही बात है। कई कर्मचारियों को ४–५ महीनों से वेतन नहीं मिला है। माननीय उप-मंत्रीजी गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप बताइये कौन से हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : इसकी जानकारी करना आपका काम है। आप जानकारी करें।

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सदस्या को प्रश्न पूछने का तरीका नहीं आता है। उनको तरीका सीखना चाहिए।

(हंसी)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह बड़ा सीरियस चार्ज है, किसी सदस्य पर यह चार्ज लगाया जा रहा है कि उन्हें प्रश्न पूछने का तरीका नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : विशेष तौर से महिला सदस्य के लिए।

(श्री अध्यक्ष)

नैक्स्ट ।

गादोला बान्ध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

४१४. श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ में गादोला बान्ध में जिन किसानों की काश्त की जमीनें व कुए डूब में आ गये हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(२) जिन किसानों की जमीन तालाब में एक्वायर की गई वो किसान कितने व किस किस गांव के हैं और क्या जब से जमीन एक्वायर की गई है तभी से वे जमीन जोतने से वंचित रहे हैं ? इस जमीन को एक्वायर किये कितना अर्सा हो गया है ?

(३) उक्त बान्ध में जमीन काश्त व कुए आदि जो डूब में आये हैं उनके लिए मुआवजे की कितनी धनराशि मंजूर हुई थी और उनमें से कितनी बांटी जा चुकी है व कितनी बांटना बाकी है ? यह अब तक क्यों नहीं बांटी गई ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त बान्ध में जिनकी काश्त की जमीन डूब में आई है उनमें से कुछ काश्तकारों को बदले में काश्त के लिए जमीन दी गई है ? यदि हां, तो कितनों को कितनी जमीन दी गई ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त बान्ध में जिन किसानों की जमीन व कुए डूब में आये हैं उस जमीन का लगान तहसील द्वारा अभी तक वसूल किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, कुछ हद तक ।

(२) तीन गांवों के ७८ काश्तकारों की, जिनमें गादोला के ८, पानमोड़ी के ३५ व उमरता के ३५ हैं । मूलतः बान्ध में पानी भरने के बाद जुलाई १९६३ से नहीं जोत सके । जमीन सन् १९६३ में एक्वायर की गई थी ।

(३) डूब में आने वाले कुओं की धनराशि करीब ६,२००)रु० थी जिसमें से करीब ४,६००) रुपये का चुकारा किया जा चुका है । बाकी रकम तहसील द्वारा चुकाई जा रही है । जमीन का ८४,६००) रु० का एवार्ड हाल ही में राजस्व विभाग से जारी हुआ है, जिसके मुआवजे को बांटने की कार्यवाही की जा रही है ।

(४) और (५) इनकी अभी जानकारी राजस्व विभाग से प्राप्त की जा रही है ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सुनाई नहीं दिया, दुबारा पढ़ें ।

श्री दिनेशराय डांगी : प्रश्न आपसे सम्बन्धित नहीं है । सुनाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं ।

एक माननीय सदस्य : पांचवां सुनाई नहीं दिया ।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जो कन्सर्न्ड है उन्होंने सुन लिया ।

श्री अध्यक्ष : पांचवां ।

श्री दिनेशराय डांगी : इनकी अभी जानकारी राजस्व विभाग से की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री भीमसेन : प्रश्न ४०१ का जवाब मिल जाय, इम्पार्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४१५

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

राजस्थान केनाल की मशीनें

४१६. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि राजस्थान कैनाल में मशीनें स्पेयपार्ट न होने के कारण काफी अर्से तक बेकार खड़ी रहती हैं? यदि हां, तो कितने अर्से खड़ी रहीं और सरकार को इससे कितनी हानि हुई?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में काफी पुरानी मशीनें डिफेन्स (Defence) व सेन्ट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन (C. T. O.) इत्यादि से खरीदी गई थीं। इनमें से बहुत सी मशीनें स्पेयर पार्ट न होने के कारण अर्से तक काम में नहीं ली जा सकीं। मशीनें दो माह से लगाकर ४॥ साल तक खड़ी रही हैं।

मशीनों के दाम उस मूल्य से जो दिया गया था आज कहीं अधिक है, इस कारण सरकार को कोई हानि नहीं हुई।

श्री केदारनाथ : स्पेयर पार्ट में क्या दिक्कत आई?

श्री दौलतराम सारण : विदेशी मुद्रा की?

श्री केदारनाथ : पिछले साल स्पेयर पार्ट्स के लिए कितनी फॉरेन एक्स्चेन्ज मिली?

श्री दौलतराम सारण : पिछले साल का अलग से नहीं कह सकता हूँ। आप डेफिनिट पूछते तो बता देता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जिस समय मशीनें खरीदी गईं तो जिन्होंने इनको खरीदा है उनको यह पता नहीं था कि इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे? और इस तरह की मशीनों को ला कर डाल दिया गया, पुरानी मशीनों को, तब क्यों नहीं सोचा गया?

श्री दौलतराम सारण : सब सोचा गया था। लेकिन उस समय विदेशी मुद्रा मिलने में बहुत कठिनाई थी और इस प्रकार से बाहर से मशीनें मंगाना बहुत मुश्किल था। जो पुरानी मशीनें एवेलेबल थीं उनको खरीदा गया। कुछ को ठीक कर लिया गया, कुछ को बाद में ठीक किया जाता रहा और काम में लिया जाता रहा, अब भी मशीनें ठीक की जा रही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि मशीनें बिना काम के पड़ी हुई हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस समय खरीदी गईं और जिन लोगों ने खरीदीं उस समय इनके स्पेयर पार्टस मिलना मुश्किल है या नहीं— यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

देखकर क्यों नहीं खरीदी गयी ताकि उनका उपयोग हो सकता ?

श्री दौलतराम सारण : सब देख समझ कर ही खरीदी गयी थी।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आपको मालूम था कि इस प्रकार से इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे इसके बावजूद भी खरीदी गई तो इसका मतलब यही था।

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि उस समय चूंकि मशीनें बाहर से मंगाना मुश्किल था क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी थी इसलिए जो मशीनें उपलब्ध थीं डिफेन्स में और सेन्ट्रल ट्रेक्टर आर्गेनाइजेशन के पास और दूसरी जगह उनको ले लिया गया। उनमें से काफी मशीनें काम में आ गई। कुछ मशीनें रिपेयर के काबिल थीं उनकी रिपेयर की गई और जिनमें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी उनके लिए स्पेयर पार्ट्स मंगाने के लिए समय समय पर फॉरेन एक्सचेन्ज, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की चेष्टा की गई, और उनमें से कुछ मशीनों की मरम्मत करली गई और कुछ बाकी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस मामले का विरोध किया था कि सारी खरीद जो की गई है उसमें इस प्रकार से गलत मशीनें खरीदी गई और गलत तरीके से खरीदी गयी इस वजह से उपयोग में नहीं आ सकीं, इस प्रकार का ऐतराज किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : ये मशीनें पिछले साल तक चार साल तक बेकार रहीं और चार साल तक फारेन एक्सचेन्ज मिला वह सब का सब युटिलाइज कर लिया गया ?

सिंचाई मंत्री (नाथूराम मिर्धा) : ऐसा कहा गया कि दो मशीनें ४।। साल से काम नहीं कर रही हैं और दो मशीनों ने काम शुरू कर दिया है और जिनमें कम रिपेयर्स की जरूरत थी उनको वर्कशाप में ठीक करके जल्दी ही काम में लायेंगे। उस समय मेरा ख्याल है कि करीब ७०,८० बी ७ और डी० एस० इस प्रकार के ट्रेक्टर्स खरीदे गये थे। डिफेन्स के काम के नहीं रह गये थे इसलिए उनको खरीदा गया था और बहुत सस्ती कीमत में खरीदा गया था। बहुत ही नामीनल कीमत सात हजार से लेकर १०-११ हजार के बीच में ट्रेक्टर्स खरीदे गये हैं और उन ट्रेक्टर्स में जितना आप समझते है कि नुकसान हुआ है तो उनके लोहे को यदि आज आधा भी बेचा जाय तो वह १०-११ हजार की कीमत का बिक सकेगा। इसलिए चूंकि वे मशीनें काम में वहां नहीं आ रही थीं और ये सारी मशीनें नहर के काम में आने वाली थी हैवी ट्रेक्टर्स थे। उनको रिपेयर करके बान्ध में चलाया जा रहा है। काफी रिपेयर हो चुके हैं। इसमें काफी सदस्यों ने कहा है कि वे बराबर काम में आयें ऐसी व्यवस्था की जाय तो उन ट्रेक्टर्स के लिए प्रायोरिटी के साथ विदेशी मुद्रा मिली भी है और पार्टस भी आते रहे हैं। लेकिन पार्ट्स आने के बाद भी वर्कशाप में टेकनिकल आदमी जो रिपेयर्स करने वाले हैं उनकी कमी है और वह आदमी वेकेन्ट पोस्ट होते हुए भी ऐवेलेबल नहीं होते हैं तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा [illegible] को [illegible] आर्डर में रख कर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

काम में लिया जा रहा है। इसमें हानि होने का जैसा कि डील कर लिया गया है ऐसी बात नहीं है। डिफेन्स डिपार्टमेंट की मशीनें, जो उनके काम में नहीं आती थीं और वे डिसपोज आफ करना चाहते थे, वे किसी भी रूप में यदि प्राइवेट हाथों में देते तो उनका लोहा जिस कीमत पर ये ली गई हैं उससे दुगुनी कीमत का लोहा बिक जाता। इसमें हानि होने का प्रश्न नहीं है और न घाटा होने का प्रश्न है और न अग्रूम का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न पैदा नहीं होते हैं। मैंने जो संक्षेप में बातें बताई है उनसे।

(प्रश्न संख्या ४१७)

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशविहारी।

(अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या ४१८)

श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर में पानी के कनेक्शन्स।

४१९. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) इन्डस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर में किस किस यूनिट को कब कब से किस दर से पानी के कनेक्शन्स दिये हुए हैं ?

(२) किस किस शेड में किस किस वर्ष में कितने कितने यूनिट पानी खर्च हुआ और कितना कितना रुपया जमा कराया है ? कृपया वर्षवार, माहवारी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री जनस्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। जुलाई, अगस्त १९५६ से कनेक्शन दिये गए हैं। एक रुपया प्रति हजार गैलन के हिसाब से बिल बनाये जाते थे। दिसम्बर, १९६३ से १.५० प्रति हजार गैलन के हिसाब से बिल बन रहे हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स को किसी प्रकार की रियायत देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जहां तक वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट का ताल्लुक है वह अपने तौर पर सहूलियत नहीं दे सकता जब तक कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट या इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर की तरफ से ऐसा आदेश नहीं आ जावे क्योंकि कमर्शियल बेसिस पर अकाउण्ट्स मेन्टेन किये जाते हैं जिनमें लोसेज और गेन दिखाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्डस्ट्रीज की तरफ से सरकार को लिखा गया है कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स को दिये जाने वाले पानी की दर में रियायत की जाय ?

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे ऐसी जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या ४२०

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह ४२० नंबर का प्रश्न है। वे हाजिर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : चाहें तो आप पूछलें।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री लक्ष्मीचंद (पीपलदा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को ले लिया जाय।

जवाई डेम की घास का ठेका

३९७. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) [श्री लक्ष्मीचंद (पीपलदा) द्वारा पूछा गया] : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली में जवाई डेम की पाल पर घास अधिक मात्रा में पैदा होता है?

(२) यदि हां, तो इसका ठेका अब तक किसको कितनी रकम से दिया जाता रहा है?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या सरकार ने पाली में जवाई डेम के घास का ठेका देने का निश्चय किया है?

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बता दूं हालां कि प्रश्न तो किसी और ने पुछवाया है, यह घास इसलिये उगाई थी कि इस बांध की दीवार मिट्टी की है उसकी रक्षा हो सके। वह घास खाने के काम में नहीं आ सकती। फिर भी किसी ने जबरदस्ती इसका ठेका ले लिया इसलिये उसको यह घास लेनी पड़ी। जब दूसरी बार इसका ठेका देना चाहा तो किसी ने नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : जबरदस्ती ठेका कैसे ले लिया? जरा विस्तार से बताइये।

श्री दिनेशराय डांगी : उसने बोली लगाई इसलिये ठेका लेना पड़ा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उसने बोली कैसे लगाई? आपने बोली लगाने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

के लिये आॅर्डर दिया होगा तभी तो उसने बोली लगाई होगी। जबरदस्ती कैसे लगाई ?

स्वास्थ्य मंत्री : (श्री बरकतुल्ला खां) : शायद जबरदस्ती शब्द को एक्सप्लेन नहीं कर पाये। जबरदस्ती का मतलब यह है कि नासमझी में उसने बोली ले ली।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको अनुवाद करने को किसने कहा ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार ने कांट्रेक्ट देने के लिये विज्ञप्ति शाया की थी ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : फिर जबरदस्ती का क्या सवाल रहा ?

श्री अध्यक्ष : पहली बोली कितने में गई ?

श्री दिनेशराय डांगी : पहली बार १२६) में।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बार १२६, में भी किसी ने नहीं लिया ?

श्री दिनेशराय डांगी : किसी ने नहीं लिया

श्री भैरोंसिंह : फिर जबरदस्ती क्यों नहीं बरती गई ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिस घास से जानवर मर जायं उसके लिये जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : जिस घास से जानवर मर जाते हैं उसको नष्ट करने के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह चराई के लिये नहीं उगाई गई थी।

श्री भैरोंसिंह : जब चराई के लिये घास नहीं उगाई गई थी और यह जानवरों की हैल्थ के लिये मुजहिर थी तो ऐसी घास का जानवरों के खाने के लिये कांट्रेक्ट क्यों दिया ?

श्री अध्यक्ष : उसने जबरदस्ती से ले लिया।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या इसका कैमिकल एनेलिसिस कराया गया ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इनको जबरदस्ती मिनिस्टर क्यों बना रखा है मुख्य मंत्रीजी ने ? इनको हटा देना चाहिये जबरदस्ती क्यों रख छोड़ा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संख्या ४०० इम्पोर्टेन्ट है, इसे ले लिया जाय।

व्यास परियोजना

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :
[श्री भीमसेन (लूणकरणसिह) द्वारा पूछा गया]

(श्री भीमसेन

Will the Minister for Irrigation (Rajasthan Canal Project Department) be pleased to state:—

1. Whether it is a fact that the Punjab Government has agreed to share with the Rajasthan Government water potential of Beas Project to the extent of 52% but refused to share power potential to that extent ?

2. If so, what special efforts have been made by the Rajasthan Government to persuade the Punjab Government to share the power potential also to the same extent ?

उप-मंत्री, सिंचाई : (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) राज्य सरकार ने इस विषय को व्यास कन्ट्रोल बोर्ड के समक्ष रखा है। अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान गवर्नमेन्ट को कितना शेयर देना चाहते हैं पॉवर पोटेन्शियेलिटी में से ?

श्री दौलतराम सारण : अभी यह विवादास्पद है। एडहोक बेसिस पर तय करके काम चलाया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडहोक बेसिस पर कितना तय किया है ?

श्री दौलतराम सारण : पोंग डेम पर ६६ मेगा वाट में से ३७ और व्यास सतलज लिन्क में से ४७।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर्सेन्टेज बताइये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या यह सही है कि पॉवर में २० पर्सेन्ट से ज्यादा देने के लिये वे तैयार नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : किस में से ?

श्री केदारनाथ : टोटल पॉवर में से।

श्री दौलतराम सारण : पांग डेम पर ऐसा झगड़ा नहीं है। झगड़ा सतलज व्यास लिन्क पर है। अभी यह मामला विवादास्पद है। फाइनल नहीं हुआ है।

श्री भीमसिंह (लूणकरणसर) : राजस्थान के लिये कितना तय हुआ ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यह काफी पेचीदा सवाल है इस मायने में कि वाटर यूटिलाइजेशन के लिये हमारा ५२ पर्सेन्ट शेयर आता है। व्यास और रावी का पानी होगा उससे पॉवर जनरेट हो उसका भी इसी प्रपोर्शन में दोनों स्टेट्स का शेयर होना चाहिये। इस बात को एक तरह से पंजाब ने स्वीकार नहीं किया। बीच में डाक्टर खोसला को एक्सपर्ट के तौर पर इस मामले को रेफर किया था उन्होंने इस आधार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक अलग फोर्मूला तैयार किया। उसके आधार पर इन्टर-स्टेट के तौर पर एक कान्फ्रेंस हुई थी उसमें काफी विवाद हुआ था। प्रश्न सामने यह था कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो इसके लिये लोन मिलने को है जब

श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तक यह सवाल फाइनल नहीं हो यदि कोई न कोई निर्णय नहीं किया जायतब तक रुक जाता इसलिये एडहोक डिसीजन एक दूसरे से कोस्ट को शेयर करने के लिये राजस्थान और पंजाब के बीच में किया गया है जिसके अनुसार, मुझे ठीक से याद नहीं हैं, लेकिन शायद २० पर्सेन्ट या १८ पर्सेन्ट के करीब पॉवर के अंदर राजस्थान का शेयर होगा और बाकी जो पोंग डेम पर ८२ पर्सेन्ट शेयर हम पर डाल कर चलते हैं उस का क्या हो इस तरह से सारा डिसीजन होना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पोंग डेम पर ६६ मेगावाट बिजली तैयार होती है उसमें से ३७ हमको मिलेगी और व्यास सतलज लिन्क से २४५ मेगावाट बिजली तैयार होती है उसमें से राजस्थान का केवल १५ पर्सेन्ट शेयर रखा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने बताया कि एडहोक ड़िसीजन लेने का कारण यह है कि पंजाब ८२ पर्सेन्ट शेयर हम पर पोंग डेम की कोस्ट का लगाना चाहता है और उसके बाद सतलज व्यास लिन्क में यह कह कर चलता है कि भाखरा से पॉवर जितनी जनरेट होगी उसमें सतलज से पानी जायगा उसमें हमारा जितना हो उतना शेयर करें, हमसे पोंग डेम पर ८२ पर्सेन्ट शेयर ले सकते हैं। व्यास सतलज का पानी उनका है इसलिये उसमें राजस्थान को शेयर देने का सवाल नहीं होना चाहिये इसलिये काफी बहस के बाद बीच का फार्मूला निकाल कर एड़होक डिसीजन किया गया जिससे कि राजस्थान पर एक्स्ट्रा कोस्ट नहीं पड़े। और १ मेगावाट पॉवर लेते हैं उस पर कितनी कोस्ट पड़ती है यह सब देख कर आगे डिसीजन लेना होगा। राजस्थान डिसएसोसियेट न हो इसलिये एड़होक डिसीजन लिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शेयरिंग ऑफ कोस्ट किस आधार पर तय हुआ व्यास सतलज का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सेपरेट क्वेश्चन है यदि आप जानना चाहते हैं तो कल बजट रिप्लाई के समय आपको और जानकारी दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सन् १९५५ के डिसीजन से बाइन्डिंग नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो ५५ का डिसीजन है उसमें वाटर का शेयर तो क्लीयर है लेकिन पॉवर का शेयर उसमें क्लीयर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कोस्ट के बारे में निर्णय दिसम्बर ६३ तक नहीं लिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोस्ट किसकी कितनी होगी इसका डिसीजन पहले नहीं हुआ था इसलिये एडहोक बेसिस पर तय किया।

(९. ०० म० पू०)

४०१. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नरायना में सरकारी एलोपेथिक

(श्री अमरसिंह

दवाखाने में कुल कितने कर्मचारियों की जगह है ?

(ख) इनमें से कितनी जगह कितने दिनों से खाली हैं ?

(ग) इसका सालाना कितने रुपयों का बजट मंजूर है ?

(घ) इसमें मरीजों की रहने की क्या व्यवस्था है ?

उपमंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (क) नरायना में सरकारी एलोपेथिक दवाखाने में निम्नलिखित कर्मचारियों के स्वीकृत स्थान हैं।

क्रम संख्या	स्वीकृत पद
१. सिविल असिस्टेन्ट सर्जन	१
२. कम्पाउन्डर ग्रेड २	१
३. कम्पाउन्डर ग्रेड ३	१
४. मिडवाईफ	१
५. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४

(ख) कोई स्थान खाली नहीं है।

(ग) उक्त डिस्पेंसरी का सालाना स्वीकृत बजट ४,६००) रु० का है।

(घ) इस डिस्पेंसरी में ४ रोग शय्याएं स्वीकृत हैं।

श्री अमरसिंह : क्या यह सही नहीं है कि वहां सिविल सर्जन की जगह एक साल से खाली पड़ी हुई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आज कल डाक्टर जसवन्त वहां काम कर रहे हैं।

श्री अमरसिंह : अभी आ गये होंगे। ये जो चार शय्याएं बताई हैं ये काफी नहीं हैं यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। बाहर से रोगी आते हैं। क्या अकामोडेशन बढ़ाने का सरकार का इरादा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

पाकिस्तानी स्पाई

४०६. **श्री भैरोंसिंह** : (किशनपोल, जयपुर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि अब्दुल अजीज नामक एक पाक नागरिक पाकिस्तानी स्पाई बन कर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सी० आई० डी० आदि के पास कई वर्षों तक कार्य करता रहा और पता लगने पर उसको पाकिस्तान भेज दिया गया जैसा कि गृह मंत्रीजी ने २६–८–६३ को मेरे भाषण में इन्टरप्ट करते हुए स्वीकार किया है ?

(२) क्या यह सही है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

(श्री भैरोंसिह)

यदि हां तो क्यों और नहीं तो क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) अब्दुल अज़ीज नामक किसी पाक नागरिक ने सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस सी. आई. डी., के पास कार्य नहीं किया यद्यपि इस नाम का एक व्यक्ति ताहीरुद्दीन पुत्र हासिबुद्दीन के नाम से पाक नागरिक के रूप में अजमेर से अवैध रूप से भाग कर जयपुर आ बसा था, जिसको पाकिस्तान भेज दिया गया।

(२) जी नहीं। इस व्यक्ति को विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारी ने एक कानूनी नोटिस दिनांक ३०-११-६२ तक भारत छोड़ने का दिया और उसी अवधि के पश्चात् उसे पाकिस्तान भेजा गया।

श्री भैरोंसिह् : क्या सरकार जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुँची हैं कि यह पाक नागरिक बिना वीसा के हिन्दुस्तान में आया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस नतीजे पर पहुँची है कि यह पाक नागरिक हिन्दुस्तान में आया।

श्री भैरोंसिह् : बिना वीसा लिये आया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वीसा लेकर आया, लेकिन नाम बदल कर आया।

श्री भैरोंसिंह् : जिस नाम को बदलने की जानकारी मिली है क्या उस नाम से पाकिस्तान से कोई वीसा प्राप्त नहीं किया था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नाम उसका, जब हिन्दुस्तान में था, तब दूसरा था। फिर वह पाकिस्तान में गया और वहां से लौटा तब उसने अपना नाम और पेरेन्टेज-दोनों फिक्टीशिअस दिये और यहां आ गया। यहां आने के बाद जब रवानगी के लिए कहा गया तो जिस डेट को रवाना होना था और पाक बोर्डर पर पहुंच जाना चाहिए था उस डेट को डिसएपियर हुआ और हिन्दुस्तान में रह गया।

श्री भैरोंसिंह् : यह किस नाम से वीसा लेकर आया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसने फिक्टीशिअस नाम दिया, ताहीरुद्दीन और उसी नाम से अजमेर में आया, और बाप का नाम फिक्टीशिअस रखा।

श्री भैरोंसिंह् : वीसा में जितने दिन रहने की इजाजत थी उससे ज्यादा ओवर स्टे कर दिया और वीसा फिक्टीशिअस नाम से लेकर आया-इस सम्बन्ध में डिपोर्टेशन के अलावा और कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वीसा के अनुसार ज्यादा नहीं ठहरा। जिस डेट को जाने की एन्ट्री थी उस डेट को रिपोर्ट करके रवाना हो गया और उसके बाद डिसएपियर हो गया। इसलिए ओवर स्टे नहीं हुआ। डिसएपिअरेन्स का आॅफेन्स है।

श्री भैरोंसिंह् : डिसएपीअर होने के बाद पाकिस्तान नहीं गया और हिन्दुस्तान में रहा। हिन्दुस्तान में रहना ओवर स्टे था, जो कानूनन खिलाफ था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां, ज्यों ही ओवर स्टे हुआ; चूंकि इस नाम से, ताहीरुद्दीन नाम से पास-पोर्ट था, उसकी तस्वीर हमारे पास थी, इसलिए डिसएपिअर होने के बाद पूरी तलाश शुरू की और तलाश के बाद उस आदमी की तस्वीर की बुनियाद पर पकड़ा गया। उसने अपराध किया ओवर स्टे का, लेकिन उसके सम्बन्ध में क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स अन्डर दी एक्ट लेते हैं तो उसकी मन्शा हिन्दुस्तान में रहने की पूरी होती हैं इसलिए प्रोसिडिंग शुरू न करके अर्लियेस्ट पोसिबल डेट को उसका डिपोर्टेशन किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या कानून में बाधा है कि किसी आदमी को ओवर स्टे के ऑफेन्स में प्रोसीक्यूट किया जाय, उसमें उसको सजा हो जाय तो पाकिस्तान को डिपोर्टेशन नहीं किया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाधा तो नहीं है। हमने उचित समझा कि ऐसे एन्टी-नेशनल एलीमेंट को हिन्दुस्तान से खाली किया जाय। इसमें प्रोसीक्यूशन से फायदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : आपका इरादा होगा, लेकिन क्या कानून सरकार को इजाजत देता था कि ऐसे आदमी, जिसने ओवर स्टे किया है, जिसने कानूनी अपराध किया है, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कानूनी बाधा कोई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार ने सोचा कि यह हिन्दुस्तान से जल्दी से जल्दी चला जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह कोई कारण नहीं हो सकता कि आप किसी चोर के लिए कह दें कि इसे चोरी की सजा मिली तो जेल में जाकर यह चोरी की आदत सिखायेगा इसलिए इसे सजा मत दो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, सजा होने पर भी ओवर स्टे होता है और ऐसे मामलात में यह पॉलिसी अख्तियार की गई है कि जल्दी से जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाय। इसमें कानूनी बाधा नहीं थी। हम प्रोसीक्यूशन कर सकते थे और सजा हो सकती थी, उसे जेल में रख सकते थे और उहके बाद डिपोर्टेशन होता। यह नेशनल पॉलिसी के कुछ विरुद्ध पड़ता है कि ऐसे एलीमेन्ट को अधिक समय तक रखा जाय। इसलिए प्रोसीक्यूशन में फायदा नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : नेशनल पॉलिसी के तो यह खिलाफ बात है कि एक एन्टी-नेशनल एलीमेन्ट स्टेट में आ जाय, यहां काम करता रहे और एडमिनिस्ट्रेशन की न्यूज भेजता रहे। इस ऑफेन्स के लिए केवल डिपोर्टेशन की सजा मिली तो हजारों लोग आ जायेंगे। सोचेंगे कि जुर्म तो बनता नहीं है, पकड़े जायेंगे तो वापिस भेज दिये जायेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीक्यूशन जिस तरह से सदन में समझा जा रहा है, वैसा नहीं है कि पन्द्रह दिन में प्रोसीक्यूशन समाप्त हो जाय। उसका पीरि-

Page No. 31

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यड लम्बा होता है और यह एक्यूज पर डिपेन्ड करता है कि वह किस गली और राह से निकले। ऐसे मामले साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल तक चल सकते हैं और जमानत भी हो सकती है। इन तथ्यों को देखते हुए यह सोचा कि हिन्दुस्तान में नहीं रहे। अगर रहा तो वह ज्यादा डेमेजिंग होगा बनिस्पत इसके। इसलिए जल्दी से जल्दी भेज दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार विचार करेगी कि ऐसी एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज़ न बढ़ें, इसलिए इस आॅफेन्स को समेरी ट्रायल और नान-बेलेबल बना लिया जाय? क्या राज्य सरकार भारत सरकार को मूव करेगी कि राजस्थान बोर्डर स्टेट है इसलिए यहां एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज बढ़ रही हैं, इसलिए ऐसा किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कानूनी प्रश्न है, आपने उठाया है तो इसको लीगली एग्जामिन किया जा सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न........

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न बाद में पूछ लेना। अब्दुलअजीज के बारे में प्रश्न चल रहा है। क्या पुलिस अधिकारी के पास नौकर रहा या नहीं रहा और पुलिस अधिकारी के पास नौकर था तो····

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उत्तर दे चुका हूँ किसी पुलिस अधिकारी के पास नौकर होना पाया नहीं गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यहां आने के बाद क्या सरकार ने इस बात की जांच की, कहां रहा, क्या रहा और इसकी जांच करने के बाद किस नतीजे पर पहुँचे?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जांच की गई है और कहां रहा, किस ढंग से रहा, इस नतीजे पर पहुंचने के बाद ही पकड़ा गया।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर से यहां आने के बाद जयपुर में वह कहां रहा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जयपुर में किस गली में रहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर में वह क्या करता रहा, कहा नौकर था, उसके पास क्या धन्धा था?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फुटकर मजदूरी करता रहा जयपुर में।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह किसी भी डिपार्टमेंट में नौकर नहीं था टेम्पेरेरी या परमानेन्ट बेसिस पर?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा निवेदन किया, उस तरह के तथ्य हमारे पास नहीं आये हैं। कहां नौकर था किस डिपार्टमेंट में था, ऐसे तथ्य नही आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसे तथ्य आये हैं कि इस व्यक्ति ने नाम बदल कर सरकारी विभाग में नौकरी की है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तथ्य, जैसा अर्ज किया, ताहीरुद्दीन नाम बदल कर

Page No. 32

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आया, जयपुर में आने के बाद नाम बदल कर यहां रहा और उस नाम के आधार पर ऐसे फैक्ट्स नहीं आये जिससे कहा जाय कि किसी डिपार्टमेंट में नौकरी की है।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर में कौनसा नाम रखा था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जयपुर में नाम रखा है।

(विराम)

उद्दीन पीछे लगा हुआ है, पहले कुछ है।

(विराम)

श्री ज्वाला प्रसाद : अध्यक्ष महोदय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ठहरिये। इसका तो जवाब दूं।

(विराम)

ताहिरुद्दीन तो इधर हो गया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आचार्यउद्दीन !

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरे पास है, इसमें नाम ढूंढने में देरी हो रही है लेकिन....

(विराम)

अब्दुल अजीज सम्भवत : उसका नाम हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल तो यह है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : वही क्वेश्चन है। आपने गलत जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Let me find it out.

(विराम)

नाम प्रसाद, सिंह होता तो....

श्री ज्वालाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर का सवाल पीछे। सवाल यह है कि अब्दुल अजीज का नाम दिया गया है, पुलिस अधिकारी के पास

(विराम)

वे अभी भी ढूंढ रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I may be given some time, Sir.

श्री अध्यक्ष : आप नाम जाने दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I have been called. He is asking another question.

श्री भैरोंसिंह : इनके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आपने अजमेर का नाम लिया, अजमेर से नाम बदल कर वह यहां तशरीफ ले आये आपके जयपुर में। उसके बाद कृपापूर्ण ढंग से उसको यहां से बेरंग कर दिया

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पाकिस्तान । प्रश्न यह है कि अजमेर के अन्दर एक अड्डा बना हुआ है, वहां कितने स्टेट लेस पर्सन्स हैं, जहां से इस तरह की कार्यवाही मुतवातिर सारे हिन्दुस्तान में की जाती है, इसरे बारे में क्या जानकारी है ?

अगर आपके नोटिस में आता है तो आप उसको किसी न किसी तरह से टालते रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपने चार-पांच रोज पहले भी इस प्रकार का प्रश्न उठाया था, वही यह प्रश्न है। यह प्रश्न अलग से है। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कहा कि वह अजमेर से आया। वह स्टेट-लैस पर्सन है यह शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं।

श्री निरजननाथ आचार्य : आप जिसको स्टेट-लैस पर्सन कहते हैं उसका अजमेर से सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है कि इस केस से ऐसा जाहिर होता है की इस तरह का कोई क्रम जैसा बना हुआ है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से अजमेर आते हैं और वहां से अन्य जगह चले जाते हैं। क्या यह बात सरकार की जानकारी में है और है तो सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री निजरंननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस सम्बन्ध में बहुत जागरुक है और इनके लिए सरकार ने, सरकार को जो कदम उठाने चाहिये, वे कदम उठाये हैं। सरकार बहुत जागरुक है, यही मैं कहना चाहता हूँ और पब्लिक इन्ट्रेस्ट में कई बातों को बताना वाजिब नहीं होगा। मगर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम इस सम्बन्ध में ज्यादा जागरुक हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपने उनको हिन्दुस्तान से बाहर पाकिस्तान की पोस्ट्स पर छोड़ दिया तो वापिस कैसे पहुंच गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके वापिस आने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस व्यक्ति ने पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद भी यहां पर ओवर-स्टे किया और कब से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : He was served a notice to quit India on 31-11-62.

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है कि वीसा की मियाद कब तक की थी ? मेरा प्रश्न तो यह था कि कितने दिनों ओवर स्टे किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि १५ रोज की मियाद थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी तारीख को खतम होती थी ?

श्री निरजननाय आचार्य : तारीख भी बताता हूँ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय सरकार इस सम्बन्ध में ज्यादा जागरुक है और इसमें कई व्यक्ति प्रश्न पूछने में इन्ट्रेस्टेड

Page No. 34

(एक माननीय सदस्य)

हैं, इसलिये अच्छा तो यह हो कि आधा घन्टे का डिस्कशन इस पर हो जाए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : १.३.५८।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नोटिस कब जारी किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १९६२ में।

श्री भैरोंसिंह : जागरूकता तो आपकी यही है कि १९५८ से आप ६२ तक ऊंघते रहे।

(शेम शेम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : ज्यों ही हमको मालूम हुआ हमने कार्यवाही की। पकड़ा और....

श्री भैरोंसिंह : सरकार को यह मालूम नहीं था कि उसने कहीं नौकरी की। मैं यह सिद्ध करूंगा कि उसने सरकारी मुलाजमत की थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर आप सिद्ध करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उनकी मदद करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस फेक्ट को छुपाने की कोशिश की है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप आज यह कहते हैं। आप बतावें कि वह किसके यहां रहा है। मैं सब जानकारी करके सदन को देने को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक्स होम मिनिस्टर को सदन में फेक्ट दिये थे और उन्होंने कहा कि पकड़ कर भेज रहे हैं। मैंने फेक्ट्स दिये थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे जानकारी नहीं है। अब भी आप संकेत करेंगे और जानकारी देंगे ...

श्री भैरोंसिंह : आपको गुलाम हुसेन के लिये कहा था आपने कोई एक्शन नहीं लिया।

(शेम शेम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : एक महीने का समय निकल गया है। आपने कोई एक्शन नहीं लिया है इससे सरकार के प्रति जनता में असंतोष है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो आपका एक पक्षीय निर्णय है। आपने स्टेट लेस कह दिया। यह मामला विचाराधीन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री भैरोंसिंह : आपको जागरुक रहना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कानून के नियमों के अन्तर्गत जागरुक हैं और काफी सजग हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir खजान्ची बेंचेज (करतलध्वनि) पर बैठने वाले माननीय उपमंत्री यह कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं, उनको नहीं बताया गया। यह कहा जाता है कि मिनिस्टर को बताया गया। खजान्ची बेंचेज में सभी लोग बैठते हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जब हम मिनिस्टरों से कहते हैं तो सारी सरकार से कहते हैं। एक से कहते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि हम सब से कहते हैं। इसलिये इस पर आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में कहा गया है कि लीगल पोजिशन क्या है इसको पूरी तरह कानूनी तौर से इन्वेस्टीगेट किया जा रहा है और इस स्टेज पर मैं यह कहूं कि कोई लीगल स्टेप लेना उचित है या नहीं, जब तक पूरी तरह से इसको एग्जामिन नहीं किया जाए, तब तक कोई स्टेप लेना उचित नहीं है।

जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्यता से खारिज करने का प्रश्न है उसको खारिज करने में लीगेलीटी नहीं है। जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर फाइल किया गया था उस समय रिटर्निंग ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर लेते। अब तो म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। अब एक बात यह कि वह स्टेट लैस हैं। अगर वह है तो उस पर क्या लीगल एक्शन हो सकता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमारे सामने रखे हैं जिनको एग्जामिन करके कुछ निर्णय किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट से यह पूछा था ? कि यह स्टेट लैस है और इसको हटाया जा सकता है या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो फेक्ट्स दिये गये हैं उनमें एक फेक्ट यह भी है कि स्टेट लैस है।

श्री भैरोंसिंह : यह लॉ डिपार्टमेंट ने स्टेट लैस मान कर ही....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Whether he is a stateless or not, it is still pending in the Central Government. यह सारा कानून का प्रश्न है। इसलिये इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। स्टेट लैस होने के बाद म्युनिसिपल इलेक्शन से कैसे हटाया जावे यह प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह मान कर चलते हैं कि वह स्टेट लैस है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This being a legal question, has been referred to the highr authorities and is liable to be re-opened.

श्री भैरोंसिंह : आप कैसे कहते हैं कि स्टेट लैस है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्टेट लैस की तारीफ में आता है।

This is a legal question under examination...

Can you suggest provisions under which the Govt. could take an initiative.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : री ओपनिंग का क्या मतलब है ?...

What do you mean by it ?

इसका क्या मतलब है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह स्टेट लैस है कि नहीं, यह लीगल क्वेश्चन है। यह

Page No. 36

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रश्न सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उपस्थित है, वहां से अन्तिम निर्णय होने पर ही कार्यवाही की जायगी :

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपनी ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भेजी है कि यह स्टेटलैस पर्सन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ओपिनियन तो नहीं है, एवीडेन्स के आधार पर यह स्टेटलैस पर्सन की डेफिनेशन में हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रश्न यह है, क्या कलेक्टर ने तुरन्त लिखा कि यह स्टेटलैस है इसलिये तुरन्त कार्यवाही की जाय ? क्या यह सही है कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट है—इस आदमी पर सर्वेलेंस है ? और गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने आदेश दिया है कि इस पर सर्वेलेंस रखी जाय ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह बिलकुल सेपरेट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सप्लीमेंट्री और। जब राजस्थान सरकार केवल दलबन्दी के आधार पर चाहे जिसे मनमाने ढंग से सस्पेन्ड कर सकती है तो फिर इस प्रकार के गम्भीर मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन की अपेक्षा क्यों कर रही है ? क्या उसे हटाने के लिये यह प्राइमाफेसी काफी नहीं समझती कि जिस आदमी के बारे में स्टेट की यह ओपिनियन बन चुकी है कि यह स्टेट लैस है तो उसको फौरन सस्पेड किया जाय ? क्या सरकार इस तरह के गम्भीर मामले में उसको सस्पेंड नहीं कर सकती ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It is only a legal authority constituted under the Act that can take action in this matter.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उप गृह मंत्री कानून के जानकार हैं, उन्हें मालूम होना चाहिये कि किसी भी आदमी की सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन यह है कि वह हिन्दुस्तान का सिटिजन नहीं है। ऐसी हालत में वह किसी भी प्रकार चुन कर नहीं आ सकता।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप कह रहे हैं वह एक तथ्य को ला रहे हैं, मैंने यह कहा है :

This is a legal question and is liable to be reopened.

यह सारी स्थिति होते हुए सरकार इस हालत में नहीं है कि अभी सरकार एक्शन ले सके, फिर मैंने यह कहा था : I have been taken by surprise ...

क्वेश्चन दूसरा था, इसको लाया गया। फिर भी मैंने माननीय सदस्यों को संतोष देने के लिये प्रयत्न किया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून इस बात को बताता है कि जो आदमी पाकिस्तान से वीसा ले कर आया, जितनी वीसा में टाइम लिमिट थी उस टाइम तक ठहर सकता है पर उस टाइम के बाद हिन्दुस्तान की पुलिस को उस आदमी को फौरन डिपोर्ट करना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहिये। पर पुलिस से मिल कर, नाम बदल कर लोग यहां रहते हैं, म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में जीत कर चले जाते हैं और सरकार की इस अकर्मण्यता का यह नतीजा है कि आज सारे राजस्थान में इतने पाकिस्तानी स्पाईज हैं। मैंने सदन में पिछली बार रखा था कि यहां के एक थाने का स्टेशन हाउस ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति बना हुआ है जो रजाकार मूवमेंट में रहा है। इससे काम नहीं चलता कि पुलिस लाइन्स में भेज दिया जाय। आज इस प्रकार की स्थिति है कि राजस्थान के सामने बड़ा भयंकर संकट आने वाला है। राजस्थान के अन्दर इतने एन्टी-नेशनल पाकिस्तानी भरे हुए हैं और राजस्थान सरकार उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

(शेम शेम की ध्वनि)

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : On a point of order, Sir. डिप्टी मिनिस्टर साहब ने अपनी इम्पोर्टेन्स बताने के लिये इस बात की जानकारी होते हुए भी सदन का इतना टाइम क्यों लिया है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौनसी जानकारी ?

श्री केदारनाथ : यह प्रश्न जो माननीय भैरोंसिहजी ने उठाया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कौनसे प्रश्न का कह रहे हैं ? भैरोंसिहजी ने दो प्रश्न उठाये हैं, जानकारी नहीं देने का सवाल ही नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पचास सप्लीमेंट्रीज़ क्वेश्चन किये गये हैं, एक सप्लीमेंट्री मैं भी कर लेता हूँ। चार साल बाद भारत की सीमाओं से डिपोर्ट कर दिया पर चार साल तक जिन लोगों ने उसे शेल्टर दिया क्या उसके बारे में जानकारी सारी तफ्तीश में आई है और ऐसे पर्सन्स को हार्बर करने की कोई कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष, तीन दफा यह सवाल दोहराया जा चुका है और अब चौथी दफा और दोहराया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल सौ दफा दोहराया जायगा, जब तक कि ठीक जवाब नहीं दिया जायगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I am in possession of the floor Sir, I need not be disturbed.

माननीय भैरोंसिहजी ने पूछा तो मैंने बताया कि कहां कहां रहा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ जानकारी दिलाने पर, जैसा कि माननीय भैरोंसिहजी ने कहा, वे जानकारी देना चाहते हैं, मैं खुद जानकारी करना चाहता हूँ, दूसरे प्रश्नों की पृष्ठभूमि में जानकारी करके सदन को जानकारी देने की कोशिश कर सकता हूँ।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा मजदूरी करता रहा, काम करता रहा....

श्री अध्यक्ष : Order please!

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : एक सप्लीमेंट्री मैं करता हूं....

श्री अध्यक्ष : बहुत सप्लीमेंट्रीज़ हो चुके हैं।

प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेंट—जिला चित्तौड़गढ़

१५२. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में तहसील गंगारार एवं चित्तौड़गढ़ में अब भी कितने भूमिहीन परिवारों को भूमि दी गई है ? उनमें से कितने परिवारों को स्पोट पर कब्जा दे दिया गया है और कितनों को नहीं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन्हें भूमि दी गई है उनमें से कितने परिवार अनुसूचित जाति एवं जन जाति के हैं और इन जातियों के कितने परिवारों को भूमि पर कब्जा भी दिला दिया गया है ?

(३) भूमिहीनों का सर्वे किस आधार पर किनके द्वारा कराया गया और उस सर्वेक्षण को किस आधार या जांच से सही माना गया ?

(४) सिंचित क्षेत्र की कितनी भूमि ऐसी है जो अब तक अलॉट नहीं की गई है और काबिल काश्त है और वह भविष्य में कब तक अलॉट की जा सकेगी ?

उत्तर

(१) तहसील चित्तौड़गढ़ में १०७४ भूमिहीन परिवारों को एवं तहसील गंगरार में १५३ भूमिहीन परिवारों को भूमि एलॉट की गई है और उन सब एलॉटियों को मौके पर कब्जा दे दिया गया है। भूमिहीनों की सूची प्राप्त होने पर बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(२) तहसील चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के ३२५ परिवारों को भूमि एलॉट की गई व कब्जा भी दिया गया। तहसील गंगरार में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के ५६ परिवारों को भूमि एलॉट की गई व कब्जा भी दे दिया गया।

(३) तहसील चित्तौड़गढ़ में भूमिहीनों की सर्वे पटवारियों द्वारा कराई गई व मौके पर जांच से सही माना गया। तहसील गंगरार में भूमिहीनों की लिस्टें अब तैयार की जा रही हैं।

(४) तहसील चित्तौड़गढ़ में नहरी एरिया में १०६६० बीघा रकबा काबिल काश्त एलॉट होने लायक है इसका एलॉटमेंट एवरेज प्राईस एवं प्रीमीयम निश्चित नहीं होने से नहीं हुआ है। वह मामला राज्य सरकार के निर्णय में है। तहसील गंगरार में सिंचित भूमि काबिल एलॉटमेंट नहीं है।

बकाया की वसूली-एस. डी. ओ. कार्यालय, नीम का थाना

१५३. श्री रामकिशन (वैर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नीम का थाना एस. डी. ओ. के यहां सन् १९५५ से अब तक कितनी बकाया की रकम पी. डी. आर. एक्ट व लैण्ड रेवेन्यू

(श्री रामकिशन)

एक्ट के तहत विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई है ? वह किसके विरुद्ध कब से किस हैड में पड़ी है ?

(२) इस रकम में से एस. डी. ओ. ऑफिस ने कितनी किससे कब वसूल की और अब कितनी बाकी है ?

(३) जो रकम वसूली नहीं हुई उसके क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार इस वसूली के लिये कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) रु. १३, ५५, ८७२. ६५ नये पैसे वसूल करने के लिये रिक्वीजीशन प्राप्त हुये हैं। विभागवार विवरण की सूची संलग्न हैं।

(२) समय समय पर रु. ६, १६, ६२४. ७१ नये पैसे वसूल किये और अब रुपये ७, ३६, २४७. ६४ नये पैसे की वसूली बाकी है। विभागवार विवरण उपर्युक्त सूची में उपलब्ध है।

(३) बकाया रकमों की वसूली की कार्यवाही एस. डी. ओ. कार्यालय और सम्बन्धित तहसीलों में जारी है। जो रकम अभी तक वसूल नहीं हो पाई उसका विवरण कारण सहित निम्नप्रकार है।

	रुपये
(क) विभिन्न अदालतों व विभागों द्वारा स्टे की हुई रकम	४,०८,२१६.३१ न.पै.
(ख) बाकीदारान द्वारा उजरदारों में आसामियान का पूर्ण पता न होने इत्यादि कारणों के अन्तर्गत ऐतराजात।	५, ६८३. २० नये पैसे
(ग) कुर्कशुदा अचल सम्पति की स्वीकृति हेतु राजस्व मंडल में भेजे गये केस	२५, ३६२. ४८ न. पै
योग	४,८४,२६१.६६ न. पै
(घ) अब जो बकाया रकम की वसूली सम्बन्धित तहसीलों व एस. डी. ओ. कार्यालय में हो रही हैं।	२,५४,६८५.६५ न. पै.
कुल योग	७,३६,२४७.६४ न. पै.

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एस. डी. ओ. भीनमाल की अदालत में पेंडिग मुकद्दमे–भीनमाल

१५४. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि एस. डी. ओ., भीनमाल की अदालत में सेंटलमेंट के समय के कई रेवेन्यू मुकद्दमात अभी तक जैर तजवीज़ है ? अगर हां, तो अब तक कुल कितने मुकद्दमों के फैसले होने बकाया है ?

Page No. 40

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(२) इतने सालों तक ऐसे मुकद्मात उक्त अदालत में पेंन्डिग रहने के क्या कारण हैं ? अब उन मुकद्मात के फैसल कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

१. जी हां, एस. डी. ओ., भीनमाल की अदालत में १६ मुकदमात जेर तजवीज हैं।

२. उक्त मुकद्मात में कार्यवाही कानूनी तरीके से की जा रही है। शहादतें पूरी नहीं होने से देरी हो रही है। शहादतें वगैरह पूरी होने पर कार्यवाही की जाकर फैसले कर दिये जावेंगे।

काश्त और पड़त भूमि का अलाटमेंट, जयपुर शहर

१५५. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा जयपुर नगर के १० माइल के क्षेत्र में १ अप्रेल, ६२ से लेकर अब तक किस व्यक्ति को कितनी कितनी काश्त की अथवा पड़त भूमि सरकारी अलॉट की गई है तथा क्यों और किस किस कार्य के लिये ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

जयपुर नगर के १० मील के क्षेत्र में एक अप्रेल, १६६२ से अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों को भूमि एलाट की गई है। इसमें पड़त भूमि एलॉट नहीं की गई है।

१. श्री पी. के. चौधरी को १० बीघा सिवाय चक काबिल काश्त जमीन पोल्ट्री फार्म हेतु ?

राजस्थाक भू राजस्व डैयरी तथा कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों के भूमि आंवटन नियम, १६५८ के अन्तर्गत अलॉट की गई।

२. श्री जयसिंह को ग्राम पहरामपुरा में स. नं. ३०६, ३१० की बंजर नम्बर I की १५१२॥ वर्ग गज भूमि १॥ रुपये (बंजर अव्वल) गज के हिसाब से खुद का मकान बनाने के लिये दी गई है।

भूमिहीन परिवारों को भूमि का अलॉटमेंट-जिला चूरू

१५६. श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) चूरू जिले में चालू साल में जिन भूमिहीन परिवारों को सरकारी आरजी भूमि अलॉट की गई है उसकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें और यह भी बतावें कि उक्त जमीन कितने साल के लिये अलॉट की गई है ?

(२) क्या इस जमीन को सम्बन्धित व्यक्तियों को पुख्ता अलॉटमेन्ट करने का सरकार विचार रखती है ? इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उत्तर

१. चूरू जिले में चालू साल में जिन भूमिहीन परिवारों को सरकारी आरजी भूमि एलाट की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। भूमि तीन वर्षों के लिये एलाट की गई है।

Page No. 41

(श्री रावतराम)

२. यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है तथा अभी इस बारे में निश्चित् रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार ने इस बारे में जो नीति निर्धारित की है उसमें स्टेट लेन्ड यूटिलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुनः कुछ हेर फेर हो सकता है।

अभी सरकार की नीति यह है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के जिलों में जैसे :

१. जोधपुर....तहसील बिलारा को छोड़ कर

२. बाड़मेर....तहसील सिवाना को छोड़ कर

३. जैसलमेर

४. नागौर

५. बीकानेर

६. चूरू

केवल तीन साल के लिये ही भूमि का आंवटन किया जावे।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

पुलिस स्टेशन, निम्बाहेड़ा में दर्ज केसेज़

१५७. श्री ए० जब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पुलिस स्टेशन निम्बाहेड़ा में सन् १९६३–६४ में कुल कितने केसेज़ दर्ज हुए ? उनकी सूची निम्न आधार पर सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

नाम फरयादी,	नाम मुल्जिम,	तारीख रिपोर्ट,
१	२	३

तारीख डायरी,	तारीख चालान,
४	५

जुर्म दफा जिसके तहत चालान किया गया,
६

फैसला अदालत
७

(२) क्या यह सही है कि ६२–६३ की अपेक्षा ६३–६४ में जुर्म अधिक हुए हैं ? यदि नहीं तो कितना फर्क है ?

उत्तर

(१) थाना निम्बाहेड़ा में ता० १-४-६३ से ७–२–६४ तक कुल ७३ मुकद्दमें दर्ज हुए। जिनकी सूची संलग्न है।

(२) जी हां। जुर्म अधिक हुए हैं ? ६३–६४ के आंकड़े केवल २–७–६४ तक उपलब्ध हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर विकास हेतु धन राशि

१५८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार द्वारा राज्य की किन किन नगर पालिकाओं को गत ५ वर्षों में नगर-विकास के

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिये कितनी कितनी धन राशि प्रदान की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत तीन वर्षों में जिन जिन नगरपालिकाओं को नगर विकास के लिये धनराशि प्रदान की गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भाड़े की जमीन के पट्टे—नगरपालिका तारानगर

१५६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तारानगर नगरपालिका के अन्दर कुछ लोग सरकारी जमीन पर भाड़ा देकर आबाद हैं ? यदि हां, तो इन परिवारों की तादाद कितनी है ? इनमें से कितने परिवार १५ वर्ष से अधिक कितने १० वर्ष से अधिक, कितने परिवार ५ वर्ष से अधिक और कितने २ वर्ष से अधिक अर्से से आबाद हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(१) क्या यह सही है कि तारानगर नगरपालिका के प्रशासन ने यह आदेश निकाला है कि जो लोग भाड़े की जमीन पर बसते हैं वे या तो कीमत देकर उस जमीन का पट्टा करालें वरना जमीन खाली करदें ?

(३) क्या सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार के आदेश से गरीब लोग उजड़ जायेंगे जो जमीन की कीमत अदा नहीं कर सकते ?

(४) क्या सरकार नगरपालिका के इस प्रकार के आदेश पर रोक लगाने का विचार रखती है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जयपुर नगर का मास्टर प्लॉन

१६०. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नगर पालिका जयपुर को राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से कितनी प्रकार की सहायता तथा अनुदान प्रतिवर्ष मिलता है ? कृपया विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(२) क्या जयपुर टाउन इम्प्रूवमेंट की भी कोई योजना राज्य सरकार रखती है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

(३) जयपुर नगर का मास्टर प्लॉन कब तैयार हो जावेगा और राज्य सरकार इसे कब से क्रियान्वित करना चाहती है ? कृपया तिथि बताने का कष्ट करें।

(४) जयपुर नगर में कितने स्लम एरियाज़ हैं और उनको दूर करने या उनमें सुधार करने की राज्य सरकार के पास कोई योजना है या नहीं ? और यदि है, तो वह कब क्रियान्वित की जावेगी ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उत्तर

(१) जयपुर नगरपालिका को जो सहायता एवं अनुदान केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) यह मामला कमेटी के विचाराधीन है। निर्धारित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

(४) लगभग १७ स्लम ऐरियाज़ हैं। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

बांध से सिंचाई—ग्राम आकोदा

१६१. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या आकोदा गांव, तहसील फुलेरा में एक बांध सरकारी बन कर तैयार हुआ है ?

(ब) यदि हां, तो इससे सालाना कितने एकड़ भूमि सिंचित होती है ?

(स) इसमें कुल कितना खर्च हुआ ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इससे अब तक कोई सिंचाई नहीं हुई है।

(३) करीब २३,०००)रु०

(६.२७ म० पू०)

श्री मानसिंह महार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री महोदय के प्रति लगाये आरोपों विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा ने हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५८ के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है वे स्वयं इस पर एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मुख्य सचेतक, कांग्रेस दल) : माननीय अध्यक्षजी मैं एक विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति के लिए खड़ा हुआ हूँ। २ मार्च को सदन मे बहस हो रही थी, उसके दौरान में आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो हमारे राजस्थान के हैल्थ मिनिस्टर बरकतुल्ला खां हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ एलिगेशन्स करप्शन के लगाये और सदन में यह कहा गया कि ट्रान्सफर्स करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, I draw your attention to Rule 258, Sir. यह जो नोटिस दिया गया है, उसके साथ डॉक्यूमेन्ट्स का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए जो मोशन मूव किया जाय उसी के साथ वह डॉक्यूमेंट लगाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह लगा दिया गया है और अभी उसके बारे में निवेदन करूंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मुझे नहीं मिला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहस के दौरान में माननीय सदस्य ने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं उनका एक्स्ट्रेक्ट मैंने इस प्रस्ताव के साथ दिया है :

"आपका नाम नहीं होगा। मैं आपका नाम लेता हूँ। आप बैठिये, सुनिये। आपको मैं यह कहता हूँ कि डाक्टरों के जो तबादले आप करते हैं राजस्थान में, वह आप सुन लीजिये, वह आप या तो कांग्रेस के एम० एल० एज़० के कहने पर करते हैं या आप पैसा लेकर करते हैं।"

इसी तरह ६-३-६४ को भी आपने इसी बात को और रूप से कहते हुए कहा :

"मैंने रिश्वत की बात कही थी तो कहा कि प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया है, वह भी आया नहीं।"

इस सम्बन्ध में और कुछ बातें नहीं।

तो सवाल यह उठता है कि माननीय सदस्य को कोई अनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ऑफ स्पीच है कि चाहें जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध जैसे चाहें वैसे इम्पूटेशन लगा दें, जिस तरह के एलिगेशन्स चाहें लगा दें, या इस पर कोई रोक भी है ? जो हमारा भारत का संविधान है वह हमको इस सम्बन्ध में कुछ डाइरेक्टिव्ज़ देता है कि विधान सभा या पार्लियामेंट के सदस्य को स्पीच देने का अधिकार है। लेकिन इनको दो प्रावधानों से कन्ट्रोल किया है। एक तो संविधान में प्रावधान है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर सकते। दूसरा प्रावधान हमारी राजस्थान विधान सभा के बिज़नेस रूल्स के रूल २७२ में है। उसके अन्तर्गत कुछ चीजों की मुमानियत की गई है और डिस्कशन के बारे में बताया गया है। और उसमें ३ और खास तौर से २७२ की सब रूल (२) है जो इस प्रकार है :

"A member while speaking shall not make a personal charge against a member, use offensive expressions about the conduct or proceedings of the Assembly, Parliament or any State Legislature, reflect on any determination of the House except on a motion for rescinding it, reflect upon the conduct of persons in nigh authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms."

तो इस तरह से प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य ने जो कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट यहां दिया और इम्प्यूटेशन्स मंत्री महोदय के विरुद्ध लगाए, जो कि सदन के माननीय सदस्य भी हैं, वे इस तारीफ में आते हैं या नहीं ? जहां तक रूल २७२ के प्रावधानों का प्रश्न है उनकी खिलाफवर्जी स्पष्ट है और जब माननीय सदस्य रूल २७२ के प्रावधानों की खिलाफवर्जी करते हैं तो एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस बनता है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है। इस सम्बन्ध में मैं बहुत ज्यादा ऑथारिटीज़ की बात नहीं करता। लेकिन यह सब जगह माना गया है, सब पार्लियामेंट्री प्रेक्टिसेज़ में है कि सदन के अन्दर सदन के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार के डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स न दें, इस प्रकार के इम्प्यूटेशन्स न लगाएं या करप्शन की बात न करें जो कि नियमों के विपरीत हो। इसलिए इस समय मैं अधिक नहीं कहूँगा और यही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के प्रश्न

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

को उठाने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मोशन मूव किया गया है, मैं इसके कानूनी पहलुओं की तरफ नहीं जाऊंगा। कानूनी पहलू कुछ भी हों, लेकिन इस सदन का सदस्य होते हुए अगर कोई मंत्री महोदय किसी प्रकार का गलत काम करते हैं तो उसको सदन के समक्ष लाने का मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं। मेरी स्पीच को तोड़ा मरोड़ा गया है, मैंने केवल पैसे लेने की बात ही नहीं की, मैंने उसके साथ ४-५ बातें और भी कहीं थीं और दुबारा भी जब मैंने उस चार्ज को रिपीट किया तो मैंने एक और स्पेसिफिक चार्ज लगाया था। जो मैटर पढ़कर सुनाया गया, वह मैंने अभी तक देखा नहीं। वह मिलता तो मैं देखता, स्टडी करता। उसके बाद यहां से एक टेलीफोन करीब पौने नौ बजे आया कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ रहा है और आपका सदन में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। मैं यहां आया। मुझे मोशन की नकल वगैरह या नोटिस कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूँ, मैं न्याय के तौर पर आपसे चाहूँगा कि अगर प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज कमेटी को रेफर करें तो जितने भी चार्जेज़ मैंने लगाए वे सभी रखे जायं, एक ही चार्ज नहीं। मैं और भी चार्जेज़ प्रिविलेज कमेटी के सामने रखूंगा। यह परम्परा का मामला है। आयंदा यदि कोई मंत्री, कोई सदस्य यहां पर कोई भी बात कह दे तो वह भी जरूर प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि सरकार इस प्रकार हमारे लिए रास्ता खोल रही है और मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि इस चीज को साबित करने के लिए मुझे ज्यादा लंबा-चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रिविलेज कमेटी को यही कहूँगा माननीय मंत्रीजी ने जो म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स या चेयरमैन को सस्पेंड करने का कार्य किया है उसका रिकार्ड भी मुझे दे दिया जाय....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : What will be an evidence is not to be discussed here now.

श्री मानसिंह महार : मुझे बोलने दीजिए, आप चमकते क्यों हो ? चोरी और सीना ज़ोरी, यह नहीं हो सकती। एक तरफ तो चोरी करो और फिर सीना ज़ोरी कि प्रिविलेज कमेटी को देंगे। मैं तैयार हूं, अध्यक्ष महोदय, I am prepared to face the consequences. मैं सदन के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि इस मसले को प्रिविलेज कमेटी में जाने दीजिए। अगर कोई कानून अड़चन भी हो तो उस कानूनी अड़चन को न उठाएं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे मित्र ने जो गलत कारनामे किए हैं उनको स्पष्ट करने का मौका दिया है। मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं। पर उस मित्र से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की थोथी बातें करके मुझे डरा नहीं सकते हैं। मैं सब चीजों को साबित करूंगा। और इधर बैठने वाले जो मेरे साथी हैं वे भी मेरी मदद करेंगे। मैं यहां कांग्रेस के चीफ व्हिप को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए मुझे मौका दिया। मैं अपनी बात पर खड़ा हूं और उस पर कायम रहूँगा ताकि मंत्रियों के ऊपर अंकुश रहे कि वे इस प्रकार के नाजायज़ कार्य

(श्री मानसिंह महार)

नहीं करें और करेंगे तो इस सदन में मुझ जैसा निर्भीक उन बातों को कहेगा। प्रिविलेज कमेटी में उन लोगों की मिट्टी खराब होगी। ये चन्द शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय ने एक प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसको वैसे तो जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध पेश किया है उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि हम भी इसको स्वीकार करें। यह सदन के देखने का सवाल है, मुझे कुछ नहीं कहना है; लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय जो मुख्य तर्क दिया कि नियम २७२ में यह लिखा गया है:

A member while speaking shall not—

(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;

(ii) make a personal charge against a member;

(iii) use offensive expressions about the conduct or proceedings of the Assembly, Parliament or any State Legislature;' and then comes...

(iv) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms."

इस नियम का हवाला देते हुए कि नियमों का उल्लंघन किया गया है और दुरुपयोग किया गया है इसलिए यह मैटर प्रिविलेज कमेटी को भेजना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप फिर रूल २६६ की तरफ आ जाइए जिसमें भी लिखा है :—

"Whilst the House is sitting, a member—

(i) shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House;

(ii) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner,

(iii) shall bow to the Chair while entering or leaving the House and also when taking or leaving his seat;

(iv) shall not pass between the Chair and any member who is speaking.

(v) shall not leave the House when the Speaker is addressing the House,

(vi) shall always address the Chair.

तो ये नियम बने हुए हैं कि सिर झुकाकर बैठे, बीच में से होकर नहीं निकलें तो इधर वाले सदस्य तो सिर झुकाकर बैठते हैं, उधर वाले कभी ऐसा नहीं करते तो ऐसे सारे मामले प्रिविलेज कमेटी में जायेंगे ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हम सब सिर झुकाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, एक ही सदस्य ऐसा करते हैं। तो यह तो कहा जाता है कि रूल २७२ का उल्लंघन हुआ है इस कारण से मैटर प्रिविलेज कमेटी को जाय। मुझे कोई आपत्ति नहीं। कमेटी बने, जांच करे, वो इसके लिए तैयार हैं लेकिन ऐसा कोई प्रिसीडेंट न हो जाय कि इन आधारों पर मैटर्स प्रिविलेज कमेटी को भेजे जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय को रूल २६८ में अधिकार दे दिए गए हैं कि:

"If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House."

और कोई करे या कोई शब्द कहे जायं तो व्यवस्था यह है कि उन शब्दों को माननीय सदस्य वापस ले लें या वापिस लेने को तैयार नहीं हैं तो उन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाय। उनका पब्लिकेशन नहीं हो सकता तो इस आधार पर यह सवाल प्रिविलेज कमेटी को भेजने के काबिल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो विशेषाधिकार का प्रश्न कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय ने रखा वह प्रश्न एक नियम के उल्लंघन से संबंधित है। प्रिविलेज कमेटी के सामने सदन के जो विशेषाधिकार हैं उनके उल्लंघन के विषय में कोई प्रश्न जांच करने की नीयत से भेजा जा सकता है। नियमों का हवाला अभी मेरे पूर्व-वक्ता ने इस सदन में दिया। इस प्रिविलेज मोशन के अन्दर दो इश्यूज़ हैं—एक इश्यू यह है कि जो चार्ज लगाया गया है वह सही है या गलत और दूसरा इश्यू यह है कि जो चार्ज उन्होंने लगाया वह बिना पूर्व सूचना के लगाया और इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन किया। जहां तक दूसरा प्रश्न आता है यह प्रिविलेज कमेटी का काम्पीटेंस है कि नियमों के अन्दर जो सुविधाएं मिली हुई हैं उन सुविधाओं का उल्लंघन यदि कोई सदस्य करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सदन में एक प्रिविलेज के मोशन के रूप में अपनी राय प्रकट करे। लेकिन जो दूसरी चीज है जैसा इन्होंने कहा कि पैसा लेकर ट्रान्सफर्स होते हैं यह प्रिवलेज कमेटी के सोचने का सवाल नहीं है। इह क्लीयर कट करप्शन का सवाल है, यह कागनीजेबल ऑफेन्स है। उसमें यह हो सकता है कि यह मामला एन्टी—करप्शन डिपार्टमेंट को या सरकार जो विजोलेन्स कमीशन की घोषणा कर रही है उसको दिया जाय और उसके बाद में जब वह निर्णय पर पहुंच जाय कि माननीय सदस्य ने जो एलीगेशन्स लगाए हैं वे गलत हैं तो फिर मंत्री महोदय चाहें तो अपने प्रिवलेज के आधार पर वह सदन में मूव कर सकते हैं कि उनके कंडक्ट के बारे में जो चार्जेज लगाए गए थे वे इन्क्वायरी में गलत साबित हुए हैं। तो क्योंकि माननीय सदस्य को गलत चार्जेज लगाने का अधिकार नहीं है ऐसी हालत में किसी प्रिवलेज कमेटी को रेफर किया जाय और वह कमेटी अपनी काम्पीटेंस के आधार पर निर्णय करे। यदि हमने इस प्रकार की हाउस में परम्परा डाल दी तो यह उचित नहीं होगा। बिना पूर्व सूचना दिए हुए कोई इस प्रकार के वेग चार्जेज लगाए तो प्रिवलेज कमेटी को हम रेफर करें तो इसका परिणाम क्या होगा परिणाम यह होगा कि करप्शन के मसले राजस्थान के अंदर बहुमत से तय होंगे।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं माननीय सदस्यों के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाता लेकिन हम में जो ह्यूमन वीकनेस है, हम पार्टी बाजी में बंधे हुए हैं, उस स्थिति में मान लीजिये कि इस प्रकार के मामले को प्रिवलेज कमेटी में भेज दिया, प्रिविलेज कमेटी बड़ी ईमानदारी के साथ एक रिपोर्ट पेश कर दे। सदन को वह एब्लूट राइट है कि उस प्रिवलेज कमेटी की रिपोर्ट को सदन उसी रूप में स्वीकार करे या उसको उस रूप में स्वीकार न करे, उसको वह चाहे तो अमेन्ड कर दे। रिजोल्यूशन मूव करके किसी प्रकार से मेम्बर को कोई पनिशमेन्ट दे दे। यह सदन को एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आज सरकार के ऊपर कोई मेम्बर चार्ज लगाये तो इससे सरकार को एक वेपन मिल जायगा कि सरकार जब चाहे उसको प्रिवलेज कमेटी के सामने सौंप दे और बहुमत के रूप में तय करके कह दे कि यह गलत है और यह बात मेम्बर को नहीं कहना चाहिये। यह प्रश्न माननीय सदस्य, जिन्होंने चार्ज लगाया हैं, के लिए ही नहीं, जिन पर चार्ज लगाया यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रीजी के लिए ही नहीं हैं, यह प्रश्न दोनों के बीच का नहीं है किन्तु यह प्रश्न है सदन की प्रविलेज का। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की फीलिंग बनी हैं। यह दुर्भाग्य हैं कि इस प्रकार की फीलिंग बनी। यदि इस प्रकार की फीलिंग को प्रोटेक्ट किया गया तो मेम्बर्स के जो राइट्स हैं, जो उनके प्रिवलेज हैं उनको दबाने के लिए सरकार के हाथ में एक डंडा दे देते हैं। किसी भी समय कोई मेम्बर सरकार के खिलाफ बोला, कोई आरोप लगाया तो उसके खिलाफ प्रिवलेज के मोशन लाने की धमकी देकर या उसके विरुद्ध कोई प्रिवलेज का मोशन लाकर उसकी जबान बन्द कर दें, उसके अधिकारों को समाप्त कर दें।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक रूल्स का सवाल है, इसको प्रिवलेज कमेटी को दें या न दें लेकिन माननीय सदस्य यह कह दें कि उन्हें चार्ज लगाने से पहले पर्मीशन लेनी चाहिये थी और उसके लिए आज भी माननीय सदस्य को खेद प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है। यह क्वेश्चन वहीं समाप्त भी हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस प्रकार के अधिकार नहीं देने चाहियें कि इस प्रकार के मोशन लाकर सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों का जब चाहे अतिक्रमण कर दें।

जहां तक रूल्स की अवहेलना का सवाल है उन्हें उसके लिए पर्मीशन लेनी चाहिये थी। जो रूल्स की अवहेलना हुई है उसके लिए वे आज भी खेद प्रकट कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि सरकार को इस प्रकार के अधिकार दे दिये गये तो इसके भविष्य में बड़े भारी सीरियस कान्सिक्वेन्सेज होंगे और जब सरकार चाहेगी, विरोधी पक्ष के सदस्यों को कुचलने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता रूढ़ दल को इस प्रकार के सदन अधिकार न दे जिससे कि प्रिवलेज पर कुठाराघात हो।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमेशा से यह चर्चा रही है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

दोनों इस बात में एकमत हैं राजस्थान से भ्रष्टाचार मिट नहीं सका है। दोनों ओर से ये ही विचार प्रकट किये जाते रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में भी कहा जाता रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जहां तक रूल २७२ का सम्बन्ध है उसके अन्तर्गत कुछ त्रुटि रही होगी कि उसके अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया हो या जो दूसरी बातें हुई हैं उनके लिए कोई आपत्ति प्रस्तुत होकर उनसे खेद प्रकट करने के लिए कहा जा सकता था या चेयर की ओर से उसको एक्स्पेन्ज किया जा सकता था। वह कार्यवाही हो सकती थी यह रह गई हो। लेकिन कोई सदस्य अपने विचारों को और तथ्यों को सदन में रखना चाहे तो उसको नियमों के अनुरूप ही रखने का अधिकार है। नियमों में त्रुटि रही हो तो उसका सुधार हो सकता है। यदि इस प्रकार की याचिकायें सदन के अन्दर आती रहीं तो भाषण के अधिकार है उसमें नुकसान पहुंचेगा और क्षति पहुंचेगी। यदि ये मसले प्रिवलेजेज कमेटी को भेजे जाने लगे तो बहुमत से निर्णय होने लगेंगे और यह राजनैतिक दलबन्दी का आधार हो जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This should not be discussed here that there will be a party politics in the Privilege Committee also.

श्री अध्यक्ष : जो सुझाव माननीय श्री भैरोंसिहजी ने दिया है उस पर माननीय श्री महार क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं यह फाइनली नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इतने वर्ष हो गये सदन के अन्दर काम करते हुए, आम तौर से ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से किसी बात को प्रिविलेज कमेटी के सामने मूव करने की परम्परा कायम नहीं की गई। इस तरफ बैठने वालों की मजबूरी को भी, मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य जो दूसरी तरफ हैं, अगर ख्याल रखें तो ज्यादा आसानी होती है। इस मायने में, ट्रांसफर किये हों म्युनिसिपैलिटी के अन्दर किसी मेम्बर को सस्पेन्ड किया गया तो इतना मात्र कह कर केवल यह कह दिया जाय कि सारे मामलों में रिश्वतखोरी से काम होता है, तो हर ट्रान्सफर और हर सस्पेन्शन को यही कहा जायगा कि रिश्वत की वजह से हुआ तो अन्दाज कर सकते हैं कि ट्रान्सफर या सस्पेन्शन के साथ रिश्वत को जोड़ना एक आसान मामला हो गया है। क्योंकि ट्रान्सफर होते हैं, सस्पेन्शन होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन्स होते हैं तो इस संबंध में आखिर इस तरफ बैठने वालों के सामने भी मजबूरी की स्थिति पैदा हो जाती है कि वे क्या कह कर चलते हैं। जब यह सवाल आया और सदन में उपस्थित हुआ और बहस हुई जैसा अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ने जिस मूड में बात कही और उस मूड में माननीय मंत्रीजी ने बात कही । माननीय सदस्यों को कहने का अधिकार है लेकिन जो कहना चाहते थे उनको सोचकर कहना चाहिये था और यह सोच कर चलना चाहिये था कि इसके क्या इम्प्लीकेशन्स होते हैं। यदि यह उसी रोज अपोज़ किया होता और माननीय सदस्य ने खेद प्रकट कर दिया होता तो इतनी बात नहीं होती लेकिन यह रिकार्ड पर है। इसको फिर भी चेलेन्ज करते रहे तो यह स्थिति सामने रहती है। केवल मुझे इस सम्बन्ध में यही कहना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन करना चाहूँगा हमारे हिन्दुस्तान में पालियामेन्ट में और राज्य की लेजिस्लेटिव असेम्बलीज में जो कोई चार्जज लगाये जाते है, उनमें फन्डामेन्टल डिफरेन्स है। लोकसभा और राज्यसभा में जो चार्जज लगाये जाते हैं उनके लिए विशेष कानून बना हुआ है और अगर उनकी प्रोसिडिंग्स छापी जांय अखबारों में तो माननीय सदस्य को और अखबारों को डिफेमेशन के केसेज में इम्प्लीकेट नही किया जा सकता है। लेकिन जहां तक राजस्थान विधान सभा का सवाल है यहाँ की प्रोसिडिंग्स को, जो हाउस में चार्जज वगैरह लगाये जाते हैं, अखबारों में अखबार वाले छापें और माननीय सदस्य बाहर कहें तो उन पर कार्यवाही की जा सकती है।

अनेक माननीय सदस्य : No, No.

श्री मानिकचन्द सुराणा : की जा सकती है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं की जा सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें प्रोटेक्शन अखबारों को नहीं है। न्यूज-पेपर्स को सिर्फ हाउस आफ पार्लियामेंट और राज्य सभा की प्रोसीडिंग्ज के बारे में....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : The same applies for the legislature.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय का डिफेमेशन हुआ है इसलिये यह डिफेमेशन दफा ५०० में लिया जा सकता है जिसको वे साबित करें।

जहां तक ब्रीच ऑफ प्रीवलेज का प्रश्न है उसके लिये जो हमारे हाउस के रूल्स हैं उसके अनुसार यह ब्रीच ऑफ प्रीवलेज का प्रश्न नहीं बनता। संविधान के जो हिन्दुस्तान का है उसमें वे सब प्रीवलेज एड किये गये जो हाउस आफ कामन्स के लिये हैं और वे ही प्रीवलेज इस सदन को भी है। इससे ज्यादा प्रीवलेज सदन को नहीं है। जहां तक इसमें ब्रीच ऑफ प्रीवलेज का प्रश्न है वह बनता नहीं है अतः इसको प्रीवलेज कमेटी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रूल २७३ का ताल्लुक है उसमें मेरी गलती हुई है कि मैंने इसके लिये प्रायर नोटिस नहीं दिया है। यहां तक तो यह ठीक है। अब जो बात है उसमें मैं यह चाहता हूं कि यह अवश्य रेफर किया जाय लेकिन इसका थोड़ा स्कोप और बढ़ा दिया जाय। मैंने अपने भाषण में जिस जिस प्रकार

(श्री मानसिंह महार)

के चार्जेज लगाये हैं वे सब उसमें शामिल हों।

जहां तक २७३ के रूल का उल्लंघन हुआ है उसको तो मैं मानता हूं मेरी गलती हुई नोटिस प्रायर नहीं दिया गया। मैं यह समझता हूं कि आज तक इस प्रकार के बहुत कम नोटिस दिये गये हैं। इसलिये यह मानते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि बाकी चार्जेज भी प्रीवलेज कमेटी को रेफर किये जांय। इस मामले में जो दो लाइन लड्ढा साहब ने मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर रखी हैं, वह केवल दो लाइन ही नहीं होनी चाहिये। केवल उसमें पैसे लेने देने की ही बात नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर से तबादले किये जाते हैं, कांग्रेस के मित्रों के कहने से तबादले किये जाते हैं- ये सारी बातें कही हैं वे सब बातें भी उसमें जोड़ी जांय। मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको अवश्य प्रीवलेज कमेटी को दिया जाय। मेरे जनसंघी मित्र चाहते हैं कि यह रेफर न हो लेकिन मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह रेफर किया जाय लेकिन प्रीवलेज कमेटी का स्कोप बढ़ाया जाय। जो रूल २७३ का उल्लंघन किया है उसके लिये मैं माफी मांगता हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक रूल २७३ की अवहेलना की बात थी वह तो स्पष्ट हो चुकी। अब जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह फरमाया, जब तक इस प्रकार का आरोप प्रॉसीडिंग में रहता है ट्रेजरी बेन्चेज की मजबूरियां हैं। मैं इस मामले में एक नया वायोमीडिया सजेस्ट करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष उन सारे शब्दों को, जिन्हें आपत्तिजनक समझें, प्रॉसीडिंग्स से हटा दें। उसके बाद जो स्थिति रहती है वह रहने दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें मैं एड करना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने कहा-रुपये देकर ट्रान्सफर किये जाते हैं-इस बात को लेकर ही वे प्रीवलेज कमेटी के सामने भेजने के पक्ष में नहीं है। वे चाहते हैं, इसका व्यापक स्कोप हो। इस बात में-पॉलिटिक्स की वजह से ट्रान्सफर किये जाते हैं-यह भी जोड़ा जाय। यह तो एक प्रकार से वेग चीजें होती हैं। वे चाहते हैं कि इसको और व्यापक किया जाय जब कि मोशन स्पेसिफिक तौर पर रखा गया है—"रुपये लेकर ट्रान्सफर किये जाते हैं"। इसी को मूव किया जा रहा है। इतना रखने के माननीय सदस्य पक्ष में नहीं है। रिकर्ड में यह आया है यह मान कर चला जाय।

श्री मानसिंह महार : मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि इसका स्कोप ऑफ इन्क्वायरी ज्यादा हो जाय तो मैं ज्यादा तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनिट इस बारे में कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न विशेषाधिकार का हमारे सामने रखा गया है उसमें देखने की बात यह है कि जिस दिन मेडिकल कॉलेज के बारे में बातें कही गई। उस समय एक कमेटी बिठाने की बात कही गई थी। उस के दरमयान यह भाषण हुआ था। जो कमेटी की घोषणा हुई वह कमेटी अभी तक बनी नहीं। मैं इस बारे में इतना ही अर्ज करना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहता हूं, जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा-इसमें सिर्फ इतनी बात को-कि पैसा लिया या नहीं साबित करने की बात है। तो मैं समझता हूं यह कठिन है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बातें जुड़ी हैं जिनको प्रमाणित किया जा सकता है इसलिये इसके साथ साथ अन्य बातें, जो इसी संदर्भ में कही गई, वे भी जोड़ी जानी चाहियें। जो बातें उन्होंने इसके अलावा भी अपने भाषण में कहीं वे सारी आ जांय तो प्रीवलेज कमेटी के सामने उन पर विचार किया जा सकता है। जब आप समझते हैं कि सरकारी पक्ष कमजोर नहीं है तो ऐसी बातों के भी उसमें आजाने से कोइ फर्क नहीं पड़ता। केवल रिश्वत की बात को प्रमाणित करना ज्यादा कठिन हो जाता है। ट्रान्सफर्स का जहां तक ताल्लुक है उसमें नाना प्रकार के तरीके अपनाये जाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर भी उसमें रहता है। ऐसी बातें भी प्रिवलेज कमेटी के सामने आनी चाहियें ताकि सरकारी पक्ष मजबूती के साथ जवाब दे सके। ट्रान्सफर आदि के जो मामले हैं वे आसानी से प्रमाणित किये जा सकते हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के तहत हमें कुछ प्रिविलेजेज मिले हुए हैं। उसके लिये चेयर हमारी कस्टोडियन है। डेमोक्रेसी के सही फंक्शन के लिये सब से बड़ी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की होती है वहां पर आपोजीशन पार्टीज भी अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकती। मैं समझता हूं दोनों तरफ से सही कॉन्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमारी डेमोक्रेसी सही तरीके से काम कर सकती है। अगर कहीं बिहेवियर की बात होती है, टेम्परामेन्ट की बात होती है और जिसमें इनडीसेन्सी नजर आती हो तो उसको समय पर एक्सपन्ज किया जाता है। किसी व्यक्ति जो सदन का सदस्य है, के खिलाफ और उससे भी अधिक मिनिस्टर की सिन्सीयरिटी पर चार्जेज लगाये जाते हैं तो इनका जबाब हमें नहीं मिलता है; जो एलीगेशन्स लगाते हैं उनका सही तरीके से जवाब नहीं मिलता है। और इस तरह से सरकार अपने आप में सुधार नहीं कर पाती है। जहां तक इस मोशन का ताल्लुक है यह मंत्रीमंडल के एक सदस्य की सिन्सीयरिटी से संबन्ध रखता है। स्वतन्त्र पार्टी के व्हिप ने ये चार्जेज लगाये हैं जो एक पार्लियामेन्टेरियन है और एक पार्टी के जिम्मेदार पद पर हैं और उन आरोपों को उन्होंने बार बार रिपीट किया है उनका यह कहना है कि मैंने जिस कन्टेक्ट में चार्ज लगाया है उन सारी चीजों को प्रीवलेज कमेटी को रेफर किया जाय। हाउस में जो बातें होती हैं वे अखबारों में आती हैं और उनकी चर्चा लोगों में भी होती है। आज यह कहा जाता है, यह मामला एन्टी-करप्शन डिपाटमेन्ट को दे दिया जाय तो मैं समझता हूं वह कॉमन मैन के लिये है। इलेक्टेड मेम्बर और उनमें फर्क है। कॉमन मैन का मामला एन्टी-करप्शन विभाग को सौंपा जा सकता है या विजीलेन्स कमेटी उसको देख सकती है। इसमें सदन के एक सदस्य और वह भी मिनिस्टर की सिन्सीयरिटी का सवाल है अतः इसको प्रीवलेज कमेटी को सौंपने की इजाजत दी जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इस मोशन को प्रिवलेज कमेटी को सोंपने के लिये अनुमति चाहते वक्त मैंने स्टेटमेंट दिया था जो संक्षिप्त था। उसके संबन्ध में दो तीन मुद्दे उठाये गये है। एक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मुद्दा तो यह उठाया गया कि स्पेसिफिक चार्ज माननीय मंत्री महोदय के विरूद्ध लगाया था जिसका एक्स्ट्रेक्ट इस प्रस्ताव के साथ पेश किया है वह बहुत सीमित है इसलिए उसके साथ ग्रौर बातें भी जोड़ी जानी चाहियें। प्रश्न इसमें जोड़े जाने का नहीं है। इसके साथ वे ही शब्द जोड़े जाते हैं जिनसे प्रिवलेज बनता हो। प्रिवलेज किन शब्दों से बनता है उसी का उल्लेख उसमें हो सकता है। यदि कोई प्रस्ताव ब्रीच ग्रॉफ प्रिवलेज की ग्रनुमति चाहने के लिये ग्राता है तो हमको वह बातें बतानी पड़ेगी जिससे ब्रीच ग्रॉफ प्रीविलेज बनता है तभी ग्रनुमति प्रदान की जा सकती है।

इसके साथ साथ माननीय सदस्य ने बहुत सारी बातें कहीं—उस पर एतराज नहीं करता चाहे वह गलत भी कही गई हों। जब हम सदन का प्रोटेक्शन चाहते हैं ब्रीच ग्रॉफ प्रिवलेज के सिलसिले में तो ब्रीच ग्रॉफ प्रिवलेज किस चीज से बनता है उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है। वह हमने बताई हैं। ग्रौर भी बातें कहीं है उनसे ब्रीच ग्रॉफ प्रिवलेज नहीं बनता है तो उनको इन्क्लूड करने की जरूरत नहीं है।

(१०.०० म०पू०)

यहां पर यह भी बताया गया कि रूल २७२ का ब्रीच होता है। उसके लिये ग्रामेर से ग्राने वाले माननीय सदस्य यह माफी भी मांगें कि मैंने रूल २७२ का ब्रीच किया है उसके लिये क्षमा किया जाव तो भी यह रूल २७२ के ब्रीच ग्राफ टाइम का सवाल नहीं है। रूल २७२ में तीन उप धाराग्रों को पढ़कर मैंने बताया था। उसमें से एक यह भी है कि बिना नोटिस दिये माननीय सदस्य के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती। पर दूसरी जो धाराएं हैं। इसलिए सदन में ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज के प्रश्न को उठाने का एकमात्र प्रावधान २७२ की खिलाफवर्जी ही नहीं है। इस सम्बन्ध में जैसा निवेदन किया ग्रनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेन्स ग्राफ स्पीच नहीं है, वह कन्ट्रोल किया जाता है, कान्स्टीट्यूशन से, रूल से ग्रौर हमारे ट्रेडशिन्स से। इसके बाद भी इसको ग्रौर ऐंगल से देखना पड़ेगा। माननीय मन्त्री के सम्बन्ध में जो लेंग्वेज इस्तेमाल की गई वह इन्सल्टिंग ग्रौर एब्यजिव है। ग्रगर यह तो दूसरा सवाल ग्राता है कि इस प्रकार की लेंग्वेज क्या इन्सल्टिव ग्रौर एब्यूजिव होने के कारण ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज को कान्स्टीटयूट करने के लिये काफी है? इसके ऊपर सैंकड़ों रूलिंग, ग्राब्जर्वेशन चेयर के हैं हिन्दुस्तान के भी हैं ग्रौर यू. के. के भी हैं. जिनमें करप्शन के चार्ज किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगाये जावें तो वह करप्शन के चार्ज एग्जेम्पटेड नहीं हैं, ग्रनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेन्स ग्राफ स्पीच में वह नहीं ग्राते हैं। वह ग्राते है इन्सल्टिव ग्रौर एब्यूजिव लेंग्वेज के घेरे में। इस प्रकार की लैंगवेंज ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज को कान्सीटीट्यूट करती है। इसके सम्बन्ध में हिन्दुस्तान ग्रौर हिन्दुस्तान के बाहर के कई देशों की रूलिंग है ग्रौर ग्राब्जर्वेशन हैं, ग्रौर कन्वेन्शन भी हैं।

ग्रब यह बात एन्टी करप्शन विभाग को भी देने की नहीं है ग्रौर न इसमें इन्क्वायरी कराने का प्रश्न है। यह तो माननीय सदस्य को ग्रधिकार है कि उसके सम्बन्ध में ग्रगर किसी माननीय सदस्य ने नियम, परम्पराग्रों के विरूद्ध जाकर कुछ कहा है तो उसके लिये चेयर से प्राटेक्शन मांगा जा सकता है ग्रौर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसी के तहत यह क्वेश्चन रेज किया गया है। इसलिये जबकि माननीय सदस्य जो स्वयं इससे सम्बन्धित हैं, इसके लिये उत्सुक हैं तो सारे मामले की छानबीन, सदन में जिस प्रकार का मोशन रखा गया है उस तरह से हो जावे ताकि सदन के लिये भी हमेशा के लिये यह एक गाइडेन्स बने और काम आवे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : ब्रीच आफ रूल इसमें है नहीं....

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये दो मिनिट।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। बहस काफी इस पर हो चुकी है। इस पर माननीय सदस्य रामप्रसाद लडढ़ा ने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी, उस पर वैधानिक दृष्टिकोण व अन्य तरीकों से भी काफी विचार सदन में किया गया है।

माननीय सदस्य भैरोंसिंह सदन के नेता व अन्य सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि अगर माननीय सदस्य श्री मानसिंह महार अपने शब्द वापिस ले लें तो इस सारी समस्या का सुन्दर समाधान हो सकता है। और इस भावना से मैं स्वयं को इससे सम्बद्ध करते हुए पुन: उनसे विशेष निवेदन करूंगा जो बात माननीय सदस्य [मुख्य सचेतक] ने सदन में कही है, और जिसका उल्लेख प्रस्ताव में है, जिसको वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि जो उन्होंने कहा वह सही नहीं था, तो उस सारी चीज को वे वापिस ले लें तो मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

इस निवेदन के साथ मैं एक दफा पुन: उन्होंने कही उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनको निवेदन करूंगा कि वे जो उचित समझें, करें।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, आपने जो आज्ञाएं दीं, मैंने उनको आज तक कभी नहीं टाला। लेकिन मेरी मजबूरी है। मैंने उस दिन जो कुछ कहा था वह कोई निरा भावावेश में आकर नहीं कहा था और मैंने कोई यही एक ही बात नहीं कही, मैंने बहुत सी लम्बी चौड़ी बातें कही हैं। मेरे भाषण में देखिये मैंने बीकानेर के मेडिकल कालेज के सम्बन्धित कारनामे भी मन्त्री महोदय के खोले, मैंने पैसा लेने देने की बात भी कही है। लेकिन उसके साथ और भी कई बातें जोड़ी हैं और मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मै प्रिविलेज कमेटी को इस मामले में फेस करने को तैयार हूं। मैं इन्कार नहीं करता। मेरी आत्मा नहीं मानती, कि मैं अपने शब्द वापिस लूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इस बात के लिये आप मुझे बाध्य न करें। और इस प्रश्न को आप प्रिविलेज कमेटी को रेफर करेंगे तो यही नहीं, जिस प्रकार इंगलेंड में कुछ ही दिनों पहले प्राफ्यूमो और कीलर काण्ड की गूंज हुई थी उसी प्रकार के काण्ड की गूंज इस सदन में मैं कर के छोड़ूंगा और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि इसको जरुर जरुर प्रिविलेज कमेटी में रेफर किया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष विशेपाधिकार का प्रश्न है, जिसे मैं पढ़कर सुनाऊंगा। कई माननीय सदस्यों ने कहा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मोशन में अमेन्डमेन्ट देना हो तो ?

(विराम)*

ऐसा है अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम २६५ की ओर दिलाना चाहूंगा अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में और २६६ और २६८ का भी जिक्र करूंगा रूल २५४ में लिखा है :

"Every notice required by these rules shall be given in writing addressed to the Secretary, and signed by the member giving notice, and shall be left at the notice office which shall be open for this purpose between the hours to be notified from time to time on every day except Sunday or a public holiday."

यह एक मोशन है जो इन नियमों के अन्तर्गत दिया गया है। इसका नोटिस दिया गया है। और जिसका नोटिस दिया जाता है या जितने भी मोशनों के नोटिस दिये जाते हैं वे सारे नोटिस सरक्यूलेट किये जाते हैं और मेम्बरों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी मोशन पर, जो सब सब्स्टेन्टिव मोशन है, अपना अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

अब चूंकि यह मोशन आज आया है इस लिये सरक्यूलेट नहीं हुआ और इसलिये अमेन्डमेन्ट भी नहीं दे सके। अब इसमें और भी सदस्यों की इच्छा हो सकती है कि इसका स्कोप केवल इतना ही नहीं रखा जाय बल्कि बढ़ाया भी जाय तो इसके लिये अमेन्डमेन्ट देना चाहते हों तो उनको मौका दिया जाना चाहिये। केवल यह जरूरी नहीं है कि जितना स्कोप इसमें रखा गया है उतना ही रखा जावे। अगर सदन या सदन के सदस्यों की यह इच्छा है तो अमेन्डमेन्ट इसके लिये दिया जा सकता है।

तो इसलिये में निवेदन करूंगा कि अगर यह प्रश्न सदन के सामने आ रहा है तो अमेन्डमेन्ट भी आने चाहिये और इसके लिये यह कल भी लिया जा सकता है। आज मौका दिया जावे कि जो अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहें, वह किये जा सकें ताकि इसका स्कोप बढ़ाया जा सके और प्रिवलेज कमेटी के सामने इसे कॉम्प्रीहेन्सिवली रखा जा सके। इतना अधिकार है सदन के सदस्यों का और उस अधिकार की रक्षा आप करेंगे। केवल इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : जो आपत्ति की है कि इसको सरक्यूलेट किया जाना चाहिये और जो इस सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख किया है यह एक विचारधारा का प्रश्न है। इस तरह के मोशन एक विशेष प्रकार के मोशन होते हैं और उन पर सामान्य जो नियम हैं वे लागू नहीं होते। इसलिये माननीय सदस्य की यह आपत्ति उचित नहीं है।

चैप्टर १६ में विशेषाधिकार का प्रश्न है। कोई माननीय सदस्य जो भी प्रश्न उठाना चाहें उस सम्बन्ध में किस तरह से नोटिस देंगे, किस तरह से उसका निराकरण किया जावेगा यह सब उल्लेख है। पर जहां तक इसका सम्बन्ध है यह एक विशेष प्रकार का मोशन है। अब इस पर कोई अमेन्डमेन्ट सदस्य लाना चाहें तो जैसा मैंने निवेदन किया अब भी ला सकते हैं। इसके लिये इसे सरक्यूलेट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अब दूसरी बात यह भी है कि जो माननीय सदस्य इस तरह का नोटिस देते हैं तो वे किन शब्दों को ब्रीच ऑफ

(श्री अध्यक्ष)

प्रिवलेज मानते हैं यह तो उनके स्वयं के सोचने की बात है। सारी बातों को रोमिंग और रैपलिंग इन्क्वायरी हो रही हो यह स्थिति नहीं है। माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं, अब उनमें से माननीय सदस्य श्री रामप्रसाद लड्डा ने जो बात आपत्तिजनक समझी उसकी और संकेत किया और अब प्रिवलेज कमेटी उसके बारे में किस तरह से विचार करेगी, क्या करेगी, उसके लिये मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। परन्तु यह कह सकता हूं कि जो बातें और तर्क आपने यहां रखे वे उनके सामने भी होंगे। इसलिये अब इसको और आगे रखा जावे इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य चाहें तो अमेन्डमेन्ट रख सकते हैं और इसके बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। पर यह कहना कि दूसरी चीजें भी रख दी जावें, सम्भव नहीं है क्यों कि प्रस्ताव एक हमारे सामने है और प्रस्तुतकर्त्ता समझते हैं कि उसे इसी रूप में रखा जाय। फिर उन्होंने कोई तोड़-मरोड़ कर तथ्य रखे हों ऐसी बात भी नहीं है। स्वयं सम्बन्धित सदस्य ने कहा है कि उन शब्दों को वे आपत्तिजनक मानते हैं, और इन्होंने केवल उन्हीं शब्दों का उल्लेख किया है जिनका उल्लेख सदन में किया जा चुका है।

तो इसलिये अब इस पर आगे बहस न होकर अगर माननीय सदस्य कोई अमेन्डमेन्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं और इस पर आगे कार्यवाही की जावे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसके लिये अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित कर दिया जावे। इसे बाद में रख दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा सा क्लेरीफिकेशन चाहूँगा। अभी श्री लड्ढाजी ने जो बात कही मुझे ऐसा लगता है कि उनके तथ्यों के बारे में इन्क्वायरी कराने का कोई समय नहीं है। उनका डिस्प्यूट केवल लेंगवेज से है कि वह डिफेमेट्री है या नहीं और केवल यही प्रश्न है कि रूल्स की अवहेलना की है। अतः यही दो प्रश्न प्रिविलेजेज़ कमेटी के सामने देने की मन्शा है। तो इनके लिए तो इस सदन में बैठकर कह सकते हैं कि यह शब्द डिफेमेट्री हैं या नहीं और उनका निर्णय एक प्रिविलेजेज़ कमेटी करे, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि प्रिवलेजेज़ कमेटी अपाइन्ट हो, वह इस पर विचार करे, उसकी रिपोर्ट सदन में आये और फिर उसके ऊपर विचार करे, इसमें फिजूल काफी समय लग जायेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कि सदन की इन सब बातों पर निर्णय करने का अधिकार, अध्यक्ष महोदय, आप को है और आप में सदन का पूर्ण विश्वास है। यदि आप चाहें कि शब्द डिफेमेट्री हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता उनके एक्सपन्ज करने के बारे में। केवल इसी बात के लिए कि यह डिफेमेट्री हैं या नहीं तथ्यों की जानकारी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई राबिंग या रैंपलिंग इन्क्वायरी नहीं हो सकती। तो उन शब्दों का बैकग्राउन्ड तथ्यों से होगा तो उसके ऊपर प्रिवलेजेज़ कमेटी जांच नहीं कर सकती। आप चाहें तो अध्यक्ष महोदय, मेज़ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस को उठाकर देख लें इस मसले पर। यह ट्रांसफर्स क्यों हुए, उसके रीजन्स क्या थे, फलीटिकल रीजन्स क्या थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स क्या थे, इनके बारे में प्रश्न प्रिवलेजेज़ कमेटी को नहीं जा सकता और इसलिए नहीं जाता कि इसमें जो फण्डामेन्टल क्वेश्चन आता

(श्री भैरोंसिंह)

है जो भी इन्क्वायरी ऑफीसर होगा वह यह देखेगा कि मामला कहां तक सही है। प्रिवलेजेज़ कमेटी के अन्दर मेम्बर के ऊपर यह बात आती है। कागजों को देखने का सारा अधिकार मेम्बर को कभी नहीं मिल सकता सिवाय इसके कि मेम्बर वहां पर कुछ कह दे कि प्रिवलेजेज़ कमेटी इन इन चीजों में जाकर इन इन बातों में देखे। तो इन्क्वायरी सिर्फ लैंगवेज के लिए होगी और जिन शब्दों के बारे में सारा बैक-ग्राउन्ड लाकर निर्णय करना है वह भी उचित नहीं हो सकेगा। इन दो प्रश्नों के विषय में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो बहस सदन में होती है उस पर एक आपत्ति तो यह हो सकती है नियमों के अन्तर्गत कि वह आपत्तिजनक है इसलिए उनको निकाल दिया जाये या माननीय सदस्य स्वयं उनको वापिस ले लें। और उसी तरह की चीज हो जाती है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शब्द और भी हो सकते हैं जो कि आपत्तिजनक होने के साथ साथ उसके आगे विशेषाधिकार के हनन की परिभाषा में भी आते हैं। उस परिस्थिति में हर एक माननीय सदस्य का अधिकार है कि उन शब्दों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि अमुक शब्द जो इस्तेमाल किये गये हैं उससे सदन के एक माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। उस विषय में प्रस्ताव आ सकता है और इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत माननीय सदस्य यह प्रस्ताव लाये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि हमारी मजबूरी यह है कि हम लाईब्रेरी से कोई किताब मंगवा नहीं सकते, किताबें यहां मिलती नहीं, ऑथारिटीज़ मिलती नहीं और हमारे पास कोई चीज हो नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ कि we have been taken by surprise.

मैं सदन को सन्तुष्ट कर दूंगा कि जहां तक इस लैंगवेज का प्रश्न है यह मामला प्रिवलेजेज़ कमेटी में नहीं जा सकता। इस लैंग्वेज का नहीं जा सकता। लैंग्वेज डिफेक्टिव हो उसको इम्प्रूव करायें, लॉ-डिपार्टमेन्ट को रेफर करें, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ और सदन में सबूत कर दूंगा कि जिस लैंग्वेज में मोशन ड्राफ्ट किया है वह मोशन उस केस में प्रिवलेजेज़ कमेटी को रेफर नहीं हो सकता। हमारी मजबूरी यह है कि अभी हमारे पास कोई किताब नहीं है—लाइब्रेरी से कान्स्टीट्यूशन का थर्ड पार्ट मंगाते हैं फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट मंगाते हैं थर्ड आ जाता है। ए० आई० आर० उड़ीसा की मंगाते हैं ऑथारिटीज़ मंगाते हैं तो, वह लाइब्रेरी में मिलती नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मोशन को हम देख लेते हैं कि इस मोशन का क्या इम्पोर्ट्स है। तो या तो इसको एक बजे रख लिया जाये या कल सुबह रख लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो इसको कल के लिए स्थगित किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

विधान सभा की वित्तीय समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति १९६४–६५ के लिये १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव स्वीकार किये जाये ।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत के बाहर जाने पर) अध्यक्ष महोदय, आसन खड़ा है और श्रीमती लक्ष्मीकुमारी जी चूण्डावत सदन छोड़कर जा रही हैं; उनके खिलाफ भी प्रिविलेज का मोशन हो जाये ।

श्री भैरोंसिंह : वे किसी को भी छोड़कर जायें, आपको इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति १९६४–६५ के लिये १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया)

आय-व्ययक (१९६४–६५) पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं कुछ विचार बजट पर व्यक्त करना चाहता हूँ । यह प्रति वर्ष जो बजट प्रस्तुत होता है वह एक कदम होता है लक्ष्य की तरफ बढ़ने का । जिन पॉलिसीज की मार्फत आप अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, उनको आप कैसे इम्पलीमेंट करना चाहते हैं—यह बजट में दर्शाया जाता है । अब देखना यह है कि आपके समक्ष लक्ष्य क्या मेरे ऐसा मानता है कि जहाँ तक लक्ष्य का सवाल है, आपके और हमारे ही आगे क्या अन्य दलों के सामने भी लक्ष्य तो एक ही है याने अपने मुल्क की खुशहाली । सवाल यह है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आप कौनसी नीतियों का पालन करते हैं, किन नीतियों के जरिये आप उस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं—इसमें मतभेद है । आप जिन नीतियों से अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं । मेरे ख्याल से भुवनेश्वर में जो आपने सोशियलिज्म और डेमोक्रेसी की बात रखी है । नीति विषयक, वह नीति आप अख्तियार करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए । इस नीति को आप विषद रूप से आगे लाते है अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की मार्फत और उनको आप फिर क्रमशः क्रियान्वित करते हैं सालों साल जो बजट बनाते हैं उनमें । तो पहली बात तो यह है कि आपकी जो यह नीति है जिसके जरिये आप इस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं वह क्लियर नीति नहीं है, वह काफी वेग है । वह वेग है यह तो इस बात

(श्री केसरीसिंह)

से जाहिर होता है कि जिन्होंने आपके रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ओरीजिनली जो दो तीन ड्राफ्ट करने वाले थे उनमें से एक से बातचीत करने का मौका मिला। उनसे और केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री महोदय भी पास में वहीं थे उनसे उस समय स्पष्ट मालूम हुआ था कि किस प्रकार से नीति बनाई। उन्होंने यह कहा कि इस नीति के अख्तियार करने से अपनी पार्टी में जो वाम–मार्गी हैं वह भी और राइटिस्ट हैं वह भी सब सन्तुष्ट हो सकते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : कौन सी नीति ?

श्री केसरीसिंह : सोशियलिज्म और डेमोक्रेसी की।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : वाम-पंथी हैं या वाम–मार्गी ?

श्री केसरीसिंह : कुछ भी कहें। मेरा मतलब लेफिटिस्ट से है यानि उन्होंने यहां तक कहा कि इसमें ऐसी बातें भी हैं जोकि बिड़लाजी जैसे केपिटलिस्टों को भी खुश कर सकती हैं और मि० डांगे जैसे कम्युनिस्ट भी उससे सन्तोष प्राप्त कर सकते हैं।

जहां तक यह आपकी डेमोक्रेसी का सवाल है तो जो राइटिस्ट लोग हैं यानि हमारी पार्टी, जैसा कि आप कहते हैं, जैसा अर्थ लगाती है डेमोक्रेसी का उसमें इन्डिविजुअल लिबर्टी यानि व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य को बहुत ज्यादा महत्व देती है। कुछ दिन पहले जब यहां बहस हो रही थी तो प्रसंगवश मैंने इन्ट्रप्ट करके माननीय सदस्य श्री बृजसुन्दरजी से कलेरीफिकेशन पूछा था कि क्या आप व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के पक्ष में तो हैं लेकिन इकोनॉमी के स्फीयर में यानि आर्थिक क्षेत्र में उसको नहीं मानते हैं। तो यह बात ऐसी हो गई है कि इसमें कोई कन्टेन्ट नहीं रहा वह इस तरह की बात हो गई है कि जैसे कि मेम्बर्स से कहा जाय कि सदन में जो मेजर्स आये उनके खिलाफ बोल तो सकते है लेकिन वोट देते वक्त पार्टी का व्हिप मानना पड़ेगा। इसको आप स्वतन्त्रता मान सकते हैं लेकिन हम लोग उसको स्वतन्त्रता नहीं मान सकते। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इस रिजोल्यूशन से डेमोक्रेसी की जो बात है वह हम नाकाफी मानते हैं और जहां तक सोशियलिज्म की बात है उसके लिए यहां तक कह सकते हैं कि वह बिल्कुल कम्युनिज्म की बात है। और हमारे वाम–मार्गी मित्र श्री रामानन्दजी हैं वे कहेंगे कि यह सोशियेलिज्म नाकाफी है यह डेमोक्रेसी बिल्कुल केपिटेलिज्म की तरह लगती है बल्कि होजस कहकर उन्होंने इस पर स्पष्ट Comment किया है। इसको देखते हुए यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि जो बात आपकी इस नीति में है वह बहुत वेग रूप में कही गई है लेकिन देश के अन्दर हम देखते हैं कि गरीबी है और हम यह चाहते हैं कि यह मिटे। हम चाहते हैं कि इनकम की डिस्पेरिटी कम हो। हम यह जानते हैं कि कीमतें बहुत बढ़ रही हैं वह नहीं बढ़नी चाहिये। हम देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि टेक्सेशन में कमी हो। वे बहुत ज्यादा भारी हो गये हैं। यह आप भी महसूस करते हैं। हम लोग भी चाहते है कि लोगों को खाना कपड़ा मिले और उनका जो जनरल स्टैंएडर्ड ऑफ लिविंग है वह बढ़े। यह बात आपके सामने है। आप लोग भी इस बात को

(श्री केसरीसिंह)

स्वीकार करते हैं । हम भी इसको मानते हैं और शायद ही कोई ऐसा दल होगा जो इस बात को नही मानता हो ।

इस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए आपने पंच-वर्षीय योजनाएं बना रखी हैं उसमें जो आपने नीति अख्तियार की है उससे हमारा बेसिक मतभेद है दो-चार बातों का । एक बात तो उसमें यह रखी गई है प्लान्स में कि जो भी विकास या काम होना हो प्लान्स का उसमें मेजरशेयर होगा वह पब्लिक सैक्टर में होगा, स्टेट सैक्टर में होगा । प्राइवेट सैक्टर में हाल में रहेगा लेकिन शनैः शनैः वह संकुचित होता जायगा । इस बात से हम एग्री नहीं करते हैं आपसे । इस बात से हम सहमत नहीं है । इसके लिए आप फौरन कह सकते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी जो है वह केपिटलिस्टों की पार्टी है, वह तो पूंजीपतियों की बात कहती है इसलिए पब्लिक सैक्टर के खिलाफ है और प्राइवेट सैक्टर के पक्ष की बात कहती है । लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है । कॉमन मैन को किस बात से फायदा हो सकता है यही हमारी पार्टी के सामने नुकता है । अब कॉमन आदमी को इससे कैसे फायदा हो सकता है और आप जो नीति अख्तियार करते हैं उससे कैसे नुकसान होता है । इस विषय में मेरा निवेदन यह करना है कि जो भी धन्धा करेगा, उद्योग का काम करेगा उसको पैसा चाहिए, उसको साधन चाहिए, चाहे वह प्राइवेट आदमी हो चाहे आपकी सरकार हो । यदि सरकार कोई धन्धा करेगी तो सरकार को साधन जुटाने पड़ेंगे । साधन आयेंगे कहां से ? तो मुझे जहां तक मालूम हो सका है उसके तीन ही जरिये है एक तो टैक्स लगा सकेंगे, दूसरी बात हैं कि कर्जा ला सकेंगे कहीं से उधार लेंगे । और अगर दोनों जरियों से भी आप जितना चाहते हैं उतने साधन नहीं होते हैं और आवश्यक पैसा इक्ट्ठा नहीं हो पाता है तो आप लाते हैं डेफिसिट फाइनेन्सिग वानी नोट छापकर काम को पूरा करते हैं और कर रहे हैं ।

यह देखा गया है कि टैक्स बहुत लग गये हैं । यह आप भी महसूस करते हैं कि बहुत ही हैवी टैक्सेशन हो रहा है, कर्जे में देश गर्क हो रहा हे इसमें दो राय नहीं हें । राजस्थान ही में आप देखेंगे कि हमारा कर्ज कितना बढ़ा है । सन् ५७ में वह दो करोड़ था और अब शायद वह २०८-२५७ करोड़ का कर्जा है और उसकी ७-७॥ करोड़ के आसपास किश्त बन चुकी है जो आप सालों साल अदा करेंगे । तो कर्जा भी बहुत है । जो डेफिसिट फाइनेन्सिग की या नोट बनाने की बात है यह तो और भी खतरनाक है और बहुत ही झीने किस्म का एक, टैक्स है । तो यह आप नोट छापकर सरक्यूलेशन में निकाल देते हैं तो गुड्स तो उतने ही रह जाते हैं और पैसा सरक्यूलेशन में ज्यादा हो जाता है जिससे कीमतें बढ़ती हैं जिससे कठिनाई यह हो जाती हैं कि पैसे की वेल्यू घट जाती हैं । आपकी जेब में जैसे १०० रुपये हैं लेकिन इन्फ्लेशन के भीतर प्राइसेज बढ़ कर यह स्थिति पैदा कर देती हैं कि पहले जो चीज एक रुपये में आती थी अब वह दो रुपये में आती है तो एक रुपये की कीमत आठ आना रह गई है तो आपके पास जो १०० रुपये थे उनमें से ५० तो निकल गये लेकिन आपको पता तक नहीं चला । अब इन जरियों से आप पैसा इक्ट्ठा करते हैं और उसको लाकर पब्लिक सैक्टर, स्टेट सैक्टर में काम करते हैं । और उनको मैनेज कौन करता कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स ? मैं यह नहीं कहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स में योग्यता नहीं है । आई०

(श्री केसरीसिंह)

एस० एस० की केडर में जो अधिकारी होते हैं वे बहुत ही योग्य होते हैं। परन्तु एक आदमी जो खुद के धन्धे में पैसा लगाता है और देखता है कि धन्धा सफल हो। उसमें खुद का पैसा होता है तो मितव्ययता करता है और चाहता है कि नुकसान बचाये क्योंकि उससे फायदा कमाना है। वह चीज ब्यूरोक्रेट्स में नहीं आ सकती है। उसका नतीजा यह होगा कि एक तरफ तो इनएफिशियेन्सी रहेगी कुछ हद तक और दूसरी तरफ मितव्ययता नहीं होने की वजह से कॉस्ट आॅफ प्रॉडेक्शन ऊंचा रहेगा और कीमतें ऊंची रहेगी। सबसे बड़ी इनएफिशियेन्सी का कारण तो यह रहता है कि पैसे का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है— उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। यहां हमारे सदन के सामने कुछ माननीय सदस्यों ने बातें रखी थीं उससे स्पष्ट हो गया था। कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के बारे में कहा कि इतना रुपया लगा हुआ है गवर्नमेंट का, वह इस तरह से बरबाद हो रहा है और गवर्नमेंट परवाह नहीं करती है। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय ने यह आब्जर्वेशन किया कि यह अहम मसला है कि धड़ाधड़ गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है उसकी तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है। अतः वे धन्धे जिनमें सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है, किस प्रकार से चल रहे हैं—उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाय, ऐसे आदेश अध्यक्ष महोदय ने फर्माये हैं। इससे यह बात बेशक सामने आती है कि जितनी तवज्जह एक निजी उद्योगपति अपने उद्योग के लिए दे सकता है उतनी उनसे नहीं दी जा सकती है।

इतना ही नहीं जो स्टेट की तरफ से उस सेक्टर में काम होता है वह एक प्रकार से सुरक्षित भी होता है, यानि एक प्रकार से उस की मोनोपोली होती है तो फिर किस क्वालिटी की चीज बने, कन्ज्यूमर्स चाहते हैं वैसी चीज बने, सस्ती से सस्ती बने, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यह ख्याल किया जाता है कि जिसको लेना वह है ले लेगा। जो कीमत फिक्स करेंगे उसमें कॉस्ट आॅफ प्रॉडक्शन कवर कर लेंगे, क्योंकि नुकसान नहीं दिखायेंगे, लेकिन कन्ज्यूमर के लिए कोई आल्टरनेटिव रास्ता नहीं खुला रहेगा। जिसको लेना है वह ले लेगा। तो इस तरह का जो मैनेजमेंट होगा पब्लिक सेक्टर के काम में तो किफायत नहीं होगी उसमें घाटा रहेगा, लास जरूर होगा, और अगर कुछ रिटर्न्स भी हुए तो वह इतने कम कि कर्जे का जो पैसा लिया है, उसका जो ब्याज है वह भी अदा करने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। इतने कम वहां के रिटर्न्स आते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि और ज्यादा कर्ज लिया जाता है अथवा ज्यादा टैक्स लगा कर घाटे को पूरा किया जाता है यानि अन्त में जो टैक्स पेयर है उनको वह घाटा बर्दाश्त करना पड़ता है।

अब यह जो टैक्सों के बढ़ाने की बात होगी कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वह ठीक नहीं है, यह आवाज उठायेंगे तो फौरन यह कहा जा सकता है कि क्या विकास नहीं हो? क्या आप यह चाहते हैं, कि उद्योग नहीं लगायें? ये चीजें बने नहीं, इन चीजों का प्रॉडक्शन न हो? यहां पर लोगों को रोजगार मिल जायगा वह नहीं मिले? यह दलील आप देंगे, लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि हम भी जरूर चाहते हैं कि अमुक अमुक उद्योग यहां पर लगें, अमुक अमुक चीजों का यहां पर प्रॉडक्शन हो और रोजगार भी लोगों को मिले।

(श्री केसरीसिंह)

हमारा कहना इतना ही है कि आप यह काम यथासंभव प्राइवेट लोगों से क्यों नहीं कराते हैं।

आप यह फौरन ही कह सकते हैं कि देखो यह पूंजीपतियों के पक्ष की बात कह रहा है और यह चाहता है कि उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका दिया जाय। लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है। मेरा मतलब यह है कि यदि आप निजी उद्योगों के इन्वेस्टमेंट के इन्सेंटिव देंगे और फ्री कॉम्पीटिशन होने देंगे तो दो तीन फायदे होंगे। एक तो यह फायदा होगा कि कन्ज्यूमर्स कैसी चीज चाहते हैं उसका ध्यान रखा जायगा और कन्ज्यूमर्स चाहेंगे वैसी ही चीज बनेगी और कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन कम पड़ेगी, क्योंकि पूंजीपति अपने ढंग का मैनेजमेंट करेंगे इस वजह से चीजें सस्ती भी मिलेंगी। यदि आप प्राइवेट सैक्टर में इनको चलाना चाहेंगे तो इन उद्योगों को चलाने के लिए आपको पब्लिक पर टैक्स लगाने और कर्जा लेने की जरूरत नहीं रहेगी और नासिक में नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट आदमी चलायेंगे तो आवश्यक पूंजी का बन्दोबस्त वे खुद करेंगे और रोजगार लोगों को मिल ही जायगा चाहे उद्योग पब्लिक सेक्टर में चले या कोई प्राइवेट आदमी चलावे।

आप यह दलील दे सकते हैं कि आप यह कहते हो कि प्राइवेट एन्टरप्राइज को फ्लोरिश होने दे तो उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिये भी आप कई चीजें कर सकते हैं जैसे मिनिमम वेजेज फिक्स करना, मेग्जिमम ऑवर ऑफ वर्क निश्चित करना, बोनस लाजिमी करना आदि........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : एस्टेट ड्यूटी भी।

श्री केसरीसिंह : यह भी हो सकता है लेकिन एस्टेट ड्यूटी से मजदूरों का शोषण नहीं रुकेगा। एक आदमी यदि जरूरत से ज्यादा मालदार हो जाय तो उनके लिये टैक्सेशन ओन इन्कम आपने लगाया है, वैल्थ पर ड्यूटी है, सरचार्ज है ये सारी चीजें है। उसके बावजूद भी किसी के पास ज्यादा धन इकट्ठा हो जाता है बिना मजदूरों के एक्सप्लॉइटेशन के तो इसमें कुढ़ने और दिल जलाने की बात नहीं है। केपिटल फोमेंशन उद्योग के लिए नितान्त आवश्यक है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या पैसा बढ़ता जाय उनके पास और दूसरों के पास नहीं जावे तो भी कुढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री केसरीसिंह : मैं मेरी पार्टी का मत आपको बताता हूँ। एक आदमी के पास अधिक धन है और दूसरे के पास नहीं है, एक दूसरे में डिसपेरिटि है तो मालदारों के धन को छीन कर दूसरों में बांट दें तो उससे यदि आप समझते है कि गरीबी मिट जायगी—तो यह आपका भ्रम है। एक ही जरिया ऐसा है जिससे यह डिसपेरिटी मिट सकती है और वह है ज्यादा प्रॉडक्शन। किस तरीके से यह प्रॉडक्शन बढ़े यह मैं बता चुका हूँ—फ्री एन्टरप्राइज तथा काम्पटीशन। इसको लेकर लोएस्ट लोगों की आर्थिक दशा सुधरेगी और जन-साधारण और मालदारों की डिसपेरिटी कम होगी। ये मजदूर हुए, लो-इन्कम के लोग हुए उनकी फिक्स्ड

(श्री केसरीसिंह)

इन्कम है उन पर आपकी नीतियों की वजह से मंहगीवाड़ा बढ़ने से बहुत बुरा असर हुआ है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह सब आपके रास्ते से चलने से हुआ है।

श्री केसरीसिंह : हम सोचते हैं कि ये आपके रास्ते पर चल रहे हैं या फिर किसी के रास्ते पर नहीं चल रहे है। आधे बीच में ही लटके हुए हैं। मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि फिक्स्ड इन्कम वाले जितने काम करने वाले मजदूर या दूसरे आदमी नौकरी करने वाले हैं उनको आप कहते हैं कि ५) एडहोक डीअरनेस अलाउन्स बढ़ा देंगे। हमारे मित्र रामानन्द जी ने कहा कि इतना कम बढ़ाने से क्या होगा, जितना प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है वह सारा का सारा कवर अप हो सके उतना तो बढ़ाना चाहिये। मेरी अर्ज यह है कि कोई माकूल इलाज इस बीमारी का नहीं है। मैं एडहोक बढ़ोतरी के खिलाफ नहीं हूँ, बुखार हो जाय तो टेम्प्रेचर उतारने के लिए एस्प्रीन लीजिये लेकिन रोग की जड़ कहां है इसका इलाज होना जरूरी है। यदि आप मजदूरों की वेजेज बढ़ाते है तो फेक्ट्री, जिसमें चीजें बनती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन बढ़ेगी और उसमें आपका डीयरनेस अलाउन्स जंज्ब हो जायगा जिससे कि चीजों की कीमतें और बढ़ जावेंगी और फिर वही का वही हिसाब पड़ेगा कि डीअरनेस अलाउन्स नहीं जैसा रह गया। इससे आप लक्ष्य पर पहुँच नहीं सकते। मुकम्मिल इलाज यह है कि आप वह नीति अपनाइये जिससे आम सस्तीवाड़ा हो सके। उसके लिए वह रास्ता अपनावें जिससे प्राइवेट एन्टरप्राइज को अधिकाधिक बढ़ने का मौका मिल सके और उद्योगों में फ्री कॉम्पटीशन करने का मौका मिल सके।

मजदूरो के बारे में मेरे मित्र बहुत हिमायत रखते है यह बिल्कुल ठीक बात है। वे स्टेट एन्टरप्राइज की बात कहते है। वहां नारा यह है कि मिल किसकी ? मजदूरो की। लेकिन यह थ्योरिटिकल बात है। जिस तरह से आप कहते हैं कि यह राज्य किसका ? जनता का है। तो यह भी थ्योरिटिकली ठीक है। परन्तु वास्त विकता और ही है। जनता यह नहीं चाहती कि आप इस पर टेक्स लगादें। जिस तरह से जनता आज तकलीफ पा रही है उस परिस्थिति में जनता कभी नहीं चाहती कि वह अपने पर और टेक्स लगा दे वे। उसी तरह की बात है कि यह मिल किसकी ? मजदूरों की ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : On a point of information, Sir ! मजदूरों की - मिल- जिस तरह से आप कहते है, देश किसका ? हमारा ! उसी तरह से है।

श्री केसरीसिंह : देश तो जनता का है परन्तु सरकार किसकी ? जनता की। यह थ्योरी में ही है। प्रेक्टिस में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मजदूरों को क्या चाहिये ? एक तो उनको चाहिये ऐसी वेजेज जिससे वे आराम से अपना गुजर कर सकें और दूसरी उनको चाहिये काफी आजादी। उन्हें आजादी महसूस करनी चाहिये। यह तभी संभव हो सकता है जब कि प्राइवेट एन्टरप्राइज ज्यादा से ज्यादा काम करें। क्योंकि प्राइसेज कम होंगी तभी अच्छी तरह से गुजर चल सकता है। आजादी की बात यह है कि जहां तक मिल मालिक एक तरफ और मजदूर एक तरफ और उनके आपसी झगड़े नेगोसियेशन

(श्री केसरीसिंह)

से तय होते रहें तो ज्यादा ठीक है। उनको ज्यादा आजादी मिलनी चाहिये। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में अगर सरकार एक तीसरी पार्टी होगी तो ज्यादा जस्टिस की बात रहेगी। लेकिन सरकार यदि खुद मिल मालिकों की जगह आ जायगी तो उसका मतलब यह होगा कि अन्ततोगत्वा मजदूर बिचारे स्लेव होकर, गुलाम होकर रहेंगे। आज जैसे स्ट्राइक की बात है, प्राइवेट एन्टर प्राइज में मजदूर स्ट्राइक कर सकते हैं। हम मानते हैं कि स्ट्राइक करना मजदूरों का फंडामेन्टल राइट है। वे ज्यादा वेजेज़ मांगते हैं यह कह कर कि हमको इतने में पूरवता नहीं है और मालिक उनको उतना नहीं देता है तो वे स्ट्राइक करते हैं। लेकिन जहां स्टेट मालिक है और वहां मजदूर इस तरह की बात करते हैं और नहीं मिलने पर स्ट्राइक करने की बात करते हैं तो हो सकता है कि स्टेट एक ऑर्डिनेस ही निकाल दे कि स्ट्राइक करना गैर कानूनी है। जो स्ट्राइक करेगा उसको जेल भेज दिया जायगा या उस पर जुर्माना किया जायगा। कुछ समय पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉईज़ ने स्ट्राइक की थी। उसका रूप मैंने देखा है। मैं यह नहीं कहता कि स्ट्राइक करना बाजिब था। मैं तो बेसिक analysis की बात कहना चाहता हूँ। बुडापेस्ट में क्या हुआ था ? वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वह मिल भी मजदूरों की मानी जाती थी वहां पर उनका गुजर नहीं चलता था जिसके लिए बार बार उन्होंने अपनी मांगें रखी, परन्तु सुनाई नहीं हुई इसलिए उन्होंने सिटडाउन स्ट्राइक की। उनका लड़ने का ढंग नहीं था। वे तो वहां आकर शांतिपूर्वक बैठ गये थे और कह रहे थे कि हमें पूरवता नहीं है। लेकिन उनके साथ वहां की गवर्नमेंट ने क्या रवैय्या किया—यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ८० हजार मजदूरों को बुडापेस्ट में गोलियों से भून दिया, मार दिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्थिति जिसमें कि सरकार ही मिल मालिक से ज्यादा भयंकर है। तो मजदूरों का हित वास्तव में इसी में है कि उनको गुजारे की पूरी वेजेज़ मिले जिससे अच्छी तरह से उनका गुजर हो सके। और उनको आजादी रहे ट्रेड यूनियन्स बनाने की और उसके जरिये आपसी नेगोसियेशन्स करके काम चलाने की।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पूरी वेजेज देने को तैयार है प्रत्येक एन्टर प्राइज में।

श्री केसरीसिंह : साम्यवादी मित्रों ने एक और तरीका अपनाया है। वे मजदूरों को गुमराह करते है और मिल मालिकों और मजदूरों को आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जिससे मजदूर और मिल मालिक अपने इन्ट्रेस्ट आइडेंटिकल मानें। मिल फ्लोरिश करेगी तो मजदूरों और मिल मालिकों को दोनों को लाभ, भी मिलेगा। हमारी पार्टी का यह सजेशन हैं कि मजदूरों को जो बोनस मिलता है वह उन्हें कैश में देकर उसी इन्डस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया जाय तो उनका बोनस भी सुरक्षित रहेगा और मिल में भी उनका इन्ट्रेस्ट रहेगा। एक प्रकार से आपकी इन्डस्ट्री में वे पार्टनर शिप महसूस करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट में इन्ट्रेस्ट बन जाय जिससे मिल मालिकों और उनका इन्ट्रेस्ट आइडेन्टीकल हो-ऐसा दृष्टिकोण बन सके। यह भी एक सजेशन है, इस पर विचार किया जाना चाहिये। तो यह तो मैंने आपसे अर्ज की आपके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात। आप पब्लिक सेक्टर की ओर तवज्जह देना चाहते हैं, परन्तु मेरे ख्याल ये अधिकाधिक

(श्री केसरीसिंह)

काम, जैसा मैंने निवेदन किया, प्राइवेट सेक्टर को देने चाहिए और उससे क्या फायदा हो सकता है–वह भी सब मैंने निवेदन किया।

अब दूसरी बात है प्लानिंग की। यहां पर प्लानिंग के सम्बन्ध में कहा गया। आपकी तरफ से कहा गया कि हम स्वतन्त्र दल वाले प्लानिंग में विश्वास नहीं करते और हम लेसिसफेग्रर में विश्वास रखते हैं। आप यह चाहते हैं कि जो जो जैसा होता है उसे वैसा ही होने दिया जाय। हमसे एक प्रश्न पूछा गया था मेम्बर्स द्वारा, लॉ मिनिस्टर मथुरा दास जी माथुर और रामानन्द जी अग्रवाल ने पूछा था, प्लानिंग के सम्बन्ध में हमारी पार्टी का क्या अभिमत है। मैं आपसे अर्ज करूं, वैसे तो हर चीज में प्लानिंग होता है--कोई आदमी छोटे से छोटा काम करे, कोई धन्धा चलाता है, घर चलाता है, शादी मांडता है तो वह अपने ढंग से प्लानिंग करता है। सवाल इतना ही है, जो आदमी अपने आप काम करता है, वह अपने विचार से प्लानिंग करे वह ठीक है या जो दिल्ली में बैठे हैं लोग, जिनके लिए कहा जाय कि ज्यादा जानते हैं वे प्लानिंग करके दे दें और दूसरे सब उसके अनुसार काम करें, वह ठीक है। इन सवालों में कौनसा ठीक हो सकता है। हमारा मानना है कि यहां पर प्लानिंग होता है, इण्डिया में, उसमें सबसे बड़ी कमी है कि जिस एरिया, जिस पॉपूलेशन के लिए प्लानिंग करते हैं उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती जितनी होनी चाहिये। अब मैं यह अर्ज करूंगा कि इसे मोटे रूप से देखें। आपने अपने प्लानों में प्रायोरिटीज़ रखी हैं उन्हें हम ठीक नहीं मानते और आपकी प्लान की प्रायोरिटीज़ हमारी मान्यता से मेल क्यों नहीं खाती है और हम कैसे कैसे प्रायोरिटीज निश्चित करना चाहते हैं वह मैं आपको बतादूं। पहली बात यह है, जिस बात को लोग चाहते हैं, जिस तरफ अपने आप बढ़ने की सोचते हैं उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये उन धन्धों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये जिनमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके ऐसे धन्धों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। ऐसे धन्धों को यदि देखा जाय तो खेती-बाड़ी है, कृषि है, छोटे उद्योग टैक्सटाइल है, कॉटन टैक्सटाइल है, इस तरह के कन्ज्यूमर गुड्स हैं, वह है। लेकिन आपने पहली प्रायोरिटी दी है, जिसको आपने बेसिक इन्डस्ट्रीज कहा है–आइरन और स्टील, हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैवी इन्जीनिय़रिंग, हैवी केमिकल्स और बहुत बड़े बड़े रिवर वेली मल्टी पर्पज प्रॉजेक्ट्स आदि को। हम नहीं कहते हैं कि उनकी जरूरत नहीं है। इन वेसिक इन्डस्ट्रियों की भी जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि प्रॉयोरिटी किसको दी जाय। तो आपका जो मानना है उससे हम सहमत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में एक इकानामिस्ट ने जो फिगर्स दिये हैं वे मैं सदन के सामने रखूं। उन्होंने बताया है कि १ करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाय, एग्रीकल्चर में इनवेस्ट किया जाय तो उससे रिटर्न होगा वह ६. ७ मिलियन रुपये का और एम्प्लायमेंट मिल जायगा चार हजार लोगों को। अगर उसी रुपये को आप कॉटन टैक्सटाइल में इन्वेस्ट करें तो एडीशनल रिटर्न होगा वह ३. ६ मिलियन होगा, ३. ६ मिलियन रूपीज वर्थ होगा और ११५० लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा और उसे वेसिक इन्डस्ट्री, आइरन और स्टील की इन्डस्ट्री में इन्वेस्ट करें तो रिटर्न १. ६ मिलियन रूपीज

(श्री केसरीसिंह)

होगा ग्रौर एम्प्लायमेंट मिलेगा सिर्फ ५०० लोगों को। तो निवेदन यह है कि जिसमें रिटर्न ज्यादा होता है वह काम करना है या.... ...

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : जो प्रॉफिट के फिगर्स हैं तो बेसिक इन्डस्ट्री में इन्वेस्ट करने से प्राफिट ग्राया है वह कितना है, काटन टैक्सटाइल ग्रौर प्राइवेट कन्सर्न हैं उनसे profits will go to a private person; while profit from basic industries will come to the State exchequer.

श्री केसरीसिंह : मैं ग्रर्ज करूं उसमें प्राफिट कितना हुग्रा यह नहीं कहा है, टोटल एडिशनल ग्राउट फुट कितना हो सकता यह है बताया है ग्रौर फिर मैं फिगर्स में ज्यादा समझता भी नहीं हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उसमें प्राफिट १ पर्सेन्ट से नीचे है। यह ग्रापकी सूचना के लिए कहा है।

श्री केसरीसिंह : हां एक पर्सेन्ट से नीचे है। जो ग्रापने कर्ज करके इन्वेस्टमेंट किया है सुना है उसका ०·३ पर्सेन्ट रिटर्न ग्राता है, जिससे वास्तव में कर्ज के इन्ट्रेस्ट को भी ग्राप ग्रदा नहीं कर सकते है। इसके लिए मैं तो समझता हूं कि जो फ्री फॉरिन ग्रसिस्टेन्स मिलती है जिसे ग्रापको दूसरे कामों में खर्च करना चाहिये ग्राप उससे कर्ज रिपे करते हैं। वह नहीं करके ग्रपने यहां जो रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज ग्रौर टैक्सेज हैं उनसे रिपे करने लगें तो ग्रापकी इकानामी की चाबी ठीक हो जाय बिल्कुल।

तो ग्रापका जो कन्सेप्ट है बेसिक इन्डस्ट्री का है, उससे हम सहमत नहीं। बेसिक इन्डस्ट्री का मतलब यह नहीं कि भारी भारी इन्डस्ट्री हों, बेसिक इन्डस्ट्री जो हैं उनका कन्सेप्ट यह होना चाहिये कि ऐसी इन्डस्ट्री जिनको पनपाने से ऐसा बेस बन जाय कि फरदर इन्डस्ट्रीलाइजेशन ग्रासान हो। तो वह ग्रन्डर डवलप्ड कन्ट्रीज में, एग्रीकल्चर ग्रौर रा मेटिरियल का सिम्पल प्रासेसिंग ही है। ये ही ऐसी चीजें होंगी। वे ही बेसिक इन्डस्ट्री मानी जा सकती हैं। इसमें यह है कि लोएस्ट इन्कम वालों का ग्रार्थिक स्तर बढ़े तब सेविंग बढ़े तो वह कन्डीशन क्रियेट होगी कि दूसरी इन्डस्ट्रीज को पनपा सकेंगे ग्रौर उनके लिए ग्रावश्यक साधन मिलेंगे ग्रौर फिर ऐसा टाइम भी ग्रागे जाकर ग्रा सकता है कि हैवी इन्डस्ट्रियां वगैरह भी बेसिक इन्डस्ट्रियां बना सके। ग्राप कहते हैं कि इन बुनियादी चीजों को बाहर से लें तो ठीक नहीं हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि ग्रगर बाहर से चीज ग्राधे दामों में मिले यानी यहां बनेंगी दो सौ में ग्रौर बाहर से मिल सके एक सौ में तो ग्रापको समझना चाहिये कि बाहर ही से लेने में फायदा है वरना कितना नेशनल रिसोर्सेज का नुकसान होगा ? इस पर ग्राप विचार नहीं करते हैं। ग्राप कह सकते है कि फॉरिन एक्सचेंज का क्या होगा ? हम कहते हैं कि ग्रभी कौनसा फॉरिन एक्सचेंज ग्राने लग गया है, ग्रभी तो ग्रापकी इन बेसिक इन्डस्ट्रीज से यहां की नेसेसिटी भी पूरी नहीं होती है। जितना पैसा इनमें इन्वेस्ट हुग्रा दूसरी इन्डस्ट्रीज जो हैं उनमें उस हद तक वह पैसा इन्वेस्ट नहीं हुग्रा ग्रगर होता तो ग्राप सोच सकते हैं कि जो प्रॉडक्शन होता वह कहीं ज्यादा होता ग्रौर जो रिसोर्सेज बन सकते हैं जो फॉरिन एक्सचेंज मिल सकना, वह ग्राज से ज्यादा मिल सकता

(श्री केसरीसिंह)

था लेकिन ऐसा न करके सोचते हैं कि जो सारा का सारा रुपया इन हैवी और बड़ी इन्डस्ट्रीज में झोंकें तो उससे फायदा नहीं हुआ है नुकसान हुआ है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि इण्डिया में ऐसी इन्डस्ट्रीज को आज प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिये और जो आपने प्राथमिकता तय की है वह अनुचित है, उससे नुकसान हुआ है जो आपने तय की....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि जरा और इलेबोरेट कर दें कि जो पॉलिसी आप मानते हैं उससे जितनी डिमान्ड्स हैं, इर्रिगेशन प्रोजेक्ट, एक्सटेंशन, डवलपमेंट–उनका डवलपमेंट किस तरीके से, कहां से, किस रुपये से हो सकेगा और कितने अर्से में होगा ?

श्री केसरीसिंह : मैंने रिवर वेली मल्टी पर्पज प्राजेक्ट का विरोध किया था। आप उनकी जगह छोटे प्राजेक्ट और उद्योग हाथ में लीजिये और उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाइये, उससे लोग्रर इन्कम है........

श्री बालकृष्ण कौल : इनके लिए पैसा कहां से आयेगा ?

श्री केसरीसिंह : मैं कहता हूँ, एग्रीकल्चर के लिए ......

श्री बालकृष्ण कौल : राजस्थान को ले लीजिये, राजस्थान में कौनसा इर्रीगेशन प्राजेक्ट बन सकता है जिससे इतना बड़ा एरिया इर्रीगेट हो जाय।

श्री केसरीसिंह : मैं कहता हूँ चम्बल बांध में जो पैसा लगाया उसी से कितने कुंए खुदा सकते थे, जगह जगह हाडौती में ही नदियों पर पंपिंग सेट लगा देते तो इमीजियेट फायदा होता परन्तु मेरा अर्ज करना यह है कि बेसिक पालिसी को ठीक तरह से देख लीजिये। If I loose myself in details, तो मैं अपनी बात खत्म नहीं कर सकूंगा जिस अर्से में मुझे करनी चाहिये। बेसिकली प्लानिंग में हम आपसे कहां डिस्एग्री करते हैं वह मैं बताना चाहता हूँ। आपने ऐसी चीजें ली है जिनका फायदा, दस साल, बीस साल, तीस साल में मिले। हम चाहते हैं, ऐसे प्राजेक्ट लीजिये, उन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिये जिनसे जल्दी बेनिफिट मिल सके........

श्री बालकृष्ण कौल : आप राजस्थान में बतायें, कौनसा प्राजेक्ट हो सकता है। आप सारी बातों को छोड़ दीजिये। आप राजस्थान की इन्कम बढ़ाने के लिए बतायें।

श्री केसरीसिंह : राजस्थान के बारे में मैं संक्षेप में अर्ज करूंगा। बहुत कुछ अर्ज करना चाहता हूँ परन्तु मुझे डर है कि मेरे पास समय नहीं है। जो टूटे फूटे ढंग से मैं सुझाव दे सकता हूँ वह अर्ज करूंगा। फिलहाल बेसिक नीतियों की बात कहना चाहता हूँ। ऐसा करने का मतलब यह है कि प्लानिंग से हम किस किस बात में आपसे एग्री नहीं करते हैं वह मैं अर्ज करूं।

तीसरी चीज यह है कि कौनसी इन्डस्ट्री कौनसी जगह लगे। इसके सम्बन्ध में जो नीति आप अपनाते हैं उससे हम एग्री नहीं करते। हम चाहते हैं कि उसके लिए इकानामिक कन्सीडरेशन सिर्फ होना चाहिये। आप पालिटिकल कन्सीडरेशन रखते है, आप कह दीजिये,

Page No. 68

(श्री केसरीसिंह)

आप सारे एरिया का बैलेन्स्ड डवलपमेंट कराना चाहते हैं, पिछड़े हुए लोगों के क्षेत्र पिछड़े न रहें, इसलिए इक्वल ड्रिस्ट्रीब्यूशन हो इन्डस्ट्री का तो ठीक रहेगा। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। सही बात यह है कि कौनसी इन्डस्ट्री कहां सबसे ज्यादा प्राफिटेबल हो सकती है और इसके बारे में आप जितना सोच सकते हैं उससे अच्छा सोच सकते हैं प्राइवेट लोग। जो अपना पैसा लगा कर फायदा उठाना चाहता है वह ज्यादा अच्छी तरह सोच सकता है। उदाहरण के तौर पर आप फर्टीलाइजर फैक्ट्री को ही ले लीजिये। हमारे बीकानेर से आने वाले सोशियलिस्ट भाई कहते हैं कि यह बीकानेर में होनी चाहिये, तो कोई भाई यह कहेंगे कि जय समन्द के पास या उदयपुर में ठीक रहेगी और जैसा मैंने सुना है कि कोई उद्योगपति जिससे कि इसे प्राईवेट सेक्टर में लगाने की बात चीत चल रही थी, वह उसे कोटा में लगाना चाहता था क्योंकि वहीं यह फैक्ट्री सबसे अधिक प्राफिटेबल हो सकती है। मैं यह कहूँगा कि आप चाहे जिस स्थान पर उसे लगाइये—चाहे आप उसे जयसमन्द के पास लगावें या बीकानेर के मित्रों को खुश करने के लिये बीकानेर में लगावें या कोटा में लगावें। हम तो यह चाहते हैं कि जहां कहीं आर्थिक दृष्टि से ज्यादा प्राफिटेबल हो वहीं जल्दी से जल्दी लगाइये जिससे जल्दी से जल्दी प्रॉडक्शन बढ़े। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी कोई यह मंशा नहीं है कि पिछड़े हुए इलाके हैं वे पिछड़े हुए ही रहें। यदि पिछड़े हुए इलाके इसलिए पिछड़े हुए हैं कि वहां आवागमन के साधनों का अभाव है तो वहां पहले आने जाने के साधन बढ़ाए जायं। वहां पर शिक्षा और मेडिकल की फैसिलिटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन इन्डस्ट्रीज को आगे बढ़ाने वाली बात हो उसके बारे में प्रीप्लान्ड पैटर्न आपकी ओर से मिल जाता है तो वह बेनीफीसियल समझे नहीं तो नुकसान में रहेंगे।

दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह है कि...

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है।

श्री केसरीसिंह : अब मैं ज्यादा नहीं कह कर केवल पॉइन्ट्स देते हुए ही कहूँगा। संक्षेप में ही कहूँगा। मेरे कहने का मकसद यह है कि हमारी पार्टी यह सुझाव देती है कि डिटेल्स इसकी हम बैठ कर तैयार करते हैं और यह चाहते है कि पर्टीक्यूलर इन्डस्ट्रीज आगे बढ़े। यह चीज आप कर सकते हैं कि जिनको आप चाहें आप अपने ढंग से इजाजत दे देते हैं। उनको आप ढंग से इजाजत नहीं देते। हम चाहते हैं कि इस तरह के प्लानिंग से काम किया जाए। दूसरी बात हम यह चाहते हैं कि कोई भी कर्मशियल अन्डर टेकिंग आप नई न लें जिससे टैक्स व किराये आदि का भार अपने पर पड़ने वाला हो और आपको यह महसूस होता हो कि उनके रिसोर्सेज कम पड़ते हैं आय से।

इसके अलावा हमारी पार्टी यह चाहती है कि जिन इन्डस्ट्रीज को आपने नेशनलाइज किया है उसको भी अगर आवश्यकता हो तो डीनेशनेलाइज कर दें। जैसे आपने रोडवेज को नेशनेलाइज कर रखा है। यदि आप इन गाड़ियों को रूट सहित बेच दें किसी प्राइवेट पार्टीज को तो मैं समझता हूँ कि आपको ज्यादा फायदा होगा अन्यथा नुकसान ज्यादा होगा। अभी तो

Page No. 69

(श्री केसरीसिंह)

आपकी गाड़ियाँ नई हैं इसलिये आपको फायदा नजर आता है और होता है। लेकिन जब वे गाड़ियाँ एक साथ खराब हो जावेंगी तो आपको महसूस होगा कि उनसे नुकसान होगा। इसलिये हमारी तरफ से यह भी सुझाव है कि आवश्यकता पड़ने पर उन इन्डस्ट्रीज को जिनको आपने नेशनेलाइज कर दिया है नेशनेलाइज कर दें।

हम यह चाहते हैं कि मोनोपोली की टेन्डेन्सी को कर्ब करें और फ्री कम्पीटीशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें जिससे जनता को ज्यादा लाभ हो। ऐसा आप उचित इन्टेन्सिव देकर कर सकते हैं। लेकिन आप मोनोपोली की टेन्डेन्सी को जरूर रोकें। आपकी मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी नहीं होनी चाहिये। हमारी पार्टी की यह नीति है कि मोनोपोली की टेन्डेन्सी रोकी जावे। You have also felt it ! यह आपके हाथ में है और Commercial undertakings को प्रोत्साहन देंगे तो आपके यहां काफी इन्डस्ट्रीज डवलप होंगी और प्रॉडक्शन तेजी से बढ़ेगा और इसके लिए आपको बड़े भारी टैक्स लगाने की या देश को कर्ज में डालने की अथवा कोरे नोट छापने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे बहुत सी बातें अर्ज करनी थीं मगर अध्यक्ष महोदय ने फर्मा दिया इसलिये ज्यादा नहीं कहूँगा। एक आध बात ही अर्ज करूंगा।

एक माननीय सदस्य : सारी बातें तो अर्ज कर दी हैं।

श्री केसरीसिंह : एक आध बात ही कहूँगा। सारी बातों के लिये समय नहीं है। अब मैं कृषि पर और कुछ भ्रष्टाचार के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि भ्रष्टाचार हमारे यहां है। इसके लिये आपने विजिलेन्स कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही है। मैंने इसके लिए पहले भी अर्ज किया था और यही बात आपके सामने रखी थी मगर उस समय आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अब उस पर आये हैं तो इसकी मुझे बड़ी खुशी है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसको कमजोर न रखें। इसका जो भी दायरा हो वह बहुत बड़ा दायरा हो और इसके पावर्स हों वो ऐसे रखिये कि जिससे यह विजिलेन्स कमिशन इफेक्टिव हो सके। ऐसे पावर्स न रखें कि जिससे यह इनअफेक्टिव ही रहे। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि करप्शन कहां ब्रीड करता है। करप्शन ऐसे स्थानों पर ज्यादा हुआ करता है जहां पर लोगों को लाइसेन्स परमिट वगैर दिये जाते हैं बनिस्बत दूसरी जगहों के।

एक माननीय सदस्य : यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का असर है।

श्री केसरीसिंह : यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का असर नहीं है। यह तो आप जानते हैं किसका असर है। मैं कहता हूँ ये कन्ट्रोल्स आप यथासम्भव खत्म कर दें। यदि आप यह समझते हैं कि यह सब अभी खत्म नहीं किये जा सकते तो जैसा राजगोपालाचार्य ने सुझाव दिया कि निष्पक्ष व्यक्तियों का बोर्ड इसके लिए कायम किया जाए उस तरह का बोर्ड कायम करिये।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या आप यह मानते हैं कि बोर्ड के सदस्य प्रभावित नहीं होंगे।

Page No. 70

श्री केसरीसिंह : बहुत कम होते हैं। यदि आप उस बोर्ड के गठन में चीफ जस्टिस की हैसियत के लोगों को लेंगे तो वे पार्टी के लोगों से ज्यादा निष्पक्ष हो सकते हैं। पार्टी वालों को अपनी पार्टी का ध्यान रहता है। (श्री कौल साहब की तरफ उनके हंसने पर) आप हंस कर यह जाहिर करना चाहते हैं कि ये भी ईमानदार नहीं हो सकते, it is a reflection...

श्री बालकृष्ण कौल : I don't pass any reflection.

You did not say in so many words, लेकिन बात तो क्लीअर ही है।

श्री केसरीसिंह : दूसरी बात यह है कि एक और जगह है जहां करप्शन है वह कोर्ट्स हैं। कोर्ट में Fabrication of evidence होता है और जो वकील होते हैं वे fabrication of evidence कराते हैं Fabrication of evidence is also corruption.

श्री बालकृष्ण कौल : Who is responsible for that corruption ?

श्री केसरीसिंह : Whoever may be. I am suggesting इलाज for that. इसका इलाज मैं बता सकता हूँ। इसका इलाज यही है कि एकतो जस्टिस चीप होनी चाहिये; justice should be cheap. और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जल्दी लोगों को इन्साफ मिलना चाहिए। किसी का मुकदमा हाई कोर्ट में चला जाता है वहां पर बहुत से केसेज़ इकट्ठे हो जाते हैं। आप उनको तय करने के लिए नम्बर ऑफ जजेज़ को बढ़ाइये या आप किसी रिटायर्ड जज में से ही किसी को वहां लगा कर उन पेन्डिंग केसेज़ को निकलवाइये। यदि आपको इसके लिए दो तीन रिटायर्ड जज को भी लगाना पड़े तो आप उनको आवश्यक समय के लिए लगावें जिससे जस्टिस डिले न हो और लोगों को जल्दी इन्साफ मिल जाए और लटकते हुए मुकदमें हाईकोर्ट में काफी अर्से तक नहीं रहें।

इसी तरह से मैंने बहुत पहले आपको पब्लिक डिफेन्डर्स की बात कही थी। आपने उस समय पब्लिक डिफेन्डर्स की बात सुनी नहीं थी। पब्लिक डिफेन्डर्स अमेरिका में होते हैं। जिस तरह से आपके यहां पब्लिक प्रॉसीक्यूटर होते हैं उसी तरह से एक्यूज्ड को डिफेन्ड करने के लिए पब्लिक डिफेन्डर्स होते हैं। हमारे यहां पर भी होने चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : हमारे यहां पर भी है। मर्डर केस में कोई आदमी अपनी पैरवी के लिये वकील नियुक्त नहीं कर सकता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से प्रबन्ध होता है।

श्री केसरीसिंह : वह तो आपकी एक रियायत मात्र है। इस संबंध में जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अनुदान का प्रश्न आवेगा उस समय मैं कहूँगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उसका उस समय जवाब दूंगा।

श्री केसरीसिंह : मैं बताना चाहता हूँ कि इससे क्या फायदा होगा। इससे यह फायदा होगा कि fabrication of evidence will stop और delaying tactics का employment भी रुक जावेगा।

जल्दी फैसले हो जावेंगे करप्शन का स्कोप कम हो सकेगा, अमेरिका में ऐसा ही हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : Are you sure that there is no fabrication of evidence in U. S. A. ?

श्री केसरीसिंह : बहुत मिनिमम है।

(१०.५८ म. पू.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बालकृष्ण कौल : It all depends upon national character, nothing else.

श्री केसरीसिंह : Certainly' but you have to make the best of what is and not pine for what is not.

अब मैं एक बात कृषि के संबन्ध में कहूँगा। ज्यादा बातें कहूँगा तो बहुत देर लग जावेगी। इसलिए मैं एक ही बात यहां पर कहूँगा। श्रीमान् चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि कई विरोधी दल वाले कहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि किसानों के पास उनकी जमीन न रहे और वे यह चाहते हैं कि उनके पास उनकी जमीनें रहें। यह बात बिल्कुल गलत कही जाती है कि हम यह चाहते हैं कि किसानों के पास जमीनें नहीं रहे। हमारी यह मंशा कतई नहीं है कि जमीनें किसानों के पास न रहे। हम तो चाहते हैं कि किसानों के पास जमीन रहे। परन्तु मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूँ कि नागपुर में आपने जो रिजोल्यूशन पास किया था उसमें आपने यह तय किया था कि सहकारिता के बेसिस पर खेती होनी चाहिए। यह आपके उस रिजोल्यूशन का आशय था। अन्ततोगत्वा क्या आपने उसको छोड़ दिया है या वह रिजोल्यूशन अभी भी कायम है। अगर आप इसको नहीं चाहते तो अभी यह संविधान में १७ वां संशोधन ला रहे हैं जिससे आप छोटे से छोटे खेत को estate की परिभाषा में इन्क्लूड कर रहे हो, जिसमें कॉपरेटिव फार्मिग को पब्लिक पर्पज की डेफीनेशन में इन्क्लूयूड कर रहे हो तथा पब्लिक पर्पज के लिए ईस्टेट को एक्वायर करने में कम्पेन्सेशन मुकर्रर करने को इनजस्टिसिबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ रखते हैं। आप उनको कोर्ट में जाने की इजाजत देते नहीं। उनको अदालत में जाने से रोकना चाहते हैं इसकी क्या मंशा हो सकती है। इसका स्पष्टीकरण करें।

(११.०० म० पू०)

फेमिन के बारे में मैं लम्बी चौड़ी बातें न कह कर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो श्री रामानन्द जी ने बड़ा सुन्दर सुझाव दिया है कि जागीर कम्पेन्सेशन है, प्रीवी पर्सेज हैं, उनको इस अर्से के लिये क्यों नहीं ले लेते। मैं भी कहता हूँ कि फेमिन जैसे काम के लिये प्रीवी पर्सेज रूलर्स की राजी खुशी से थोड़े अर्से के लिए देना अगर स्टे कर दिया जाय तो ठीक है। जहां तक जागीर कम्पेन्सेशन का सवाल है, छोटी जागीरों का कम्पेन्सेशन तो स्टेगर नहीं किया जाय क्योंकि उनको तो रीहेबिलिटेशन के लिये खास कर इस अकाल के समय रिलीफ की कम्पेन्सेशन की जरूरत है। हां, जो बड़ी जागीरें हैं उनका कम्पेन्सेशन एक दो साल के लिये स्टेगर कर दिया जाय तो बहुत उचित होगा।

तो मैंने संक्षेप में जो हमारी पार्टी का दृष्टिकोण था वह सदन के समक्ष रखा। आप कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी की तरफ से कॉन्क्रीट सजेशन तो आते नहीं हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि हमारी पार्टी ने कई बातें आपके सामने रखी हैं कॉन्क्रीट सजेशन्स रखे हैं–उनको आपने महसूस किया है। हमारी पार्टी ने कहा कि

(श्री केसरीसिंह)

टैक्सेज लिमिट तक पहुंच गये हैं यह आपने भी महसूस किया। आपके प्लान्स में जो प्रायोरिटीज को रखा है इस विषय में हमारी पार्टी ने कहा कि हमारे यहां एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया है, वह भी आपने महसूस किया है और अब इस ओर ध्यान देना चाहिये इसे एम्फेसिस किया है। हमारी पार्टी ने कहा कि करप्शन बहुत बढ़ गया है, इसको भी आपने महसूस किया कि करप्शन को कर्ब करना चाहिये। हमारी पार्टी ने कहा कि हमारी प्लान्स ओवर एम्बीशियस हैं और हमारे रिसोर्सेज कम हैं इस लिये प्लान को प्रून करना जरूरी है, इसको भी महसूस किया है। हमारी पार्टी ने और भी बातें कही हैं, उन पर गौर करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि वे वाजिब और कॉन्क्रीट सजेशन्स हैं, उनको मानना चाहिये।

अन्त में मैं फिर अर्ज करूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से यह बार बार कहा गया है कि टैक्सेज का भार कम करें, डेफिसिट फाइनेन्सिंग का प्रोपोर्शन कम करें, रेस्ट्रिक्शन्स उद्योगों के रास्ते से हटायें, फ्री एन्टर-प्राइज व काम्पीटीशन को प्रोत्साहन देकर करप्शन को रोका जाय, एग्रीकल्चर पर विशेष तवज्जह दी जाय, जिससे मोर प्रॉडक्शन हो और इसप्रकार कॉन्स्टेन्टली राइजिंग स्टेन्डर्ड आफ लिविंग हो। देश की खुशहाली आपकी और हमारा भी लक्ष्य है, परन्तु उसे प्राप्त करने के लिये ये नीतियां और ये बातें जब तक बजट में झलकेंगी नहीं, तब तक, वित्तमंत्री महोदय, कोई खुशहाली अपने यहां आने वाली नहीं है और हम भी आपके बजट से संतुष्ट होकर उसकी तारीफ नहीं कर सकते।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सुमित्रा देवी (झूंझनूं) : माननीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो चुकी है कि उनके बाद हम में से बोलेंगे।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो चुकी है कि इनके बाद इधर के माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : yes।

श्री मोहनराज (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष, जो बजट वित्त मंत्रीजी द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसका सर्वत्र स्वागत किया गया है...

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र ही समाप्त करें क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री मोहनराज (बाली) : इसमें लिखी गई बातें हैं, मैं उनमें न जा कर जिन जिन बातों में लेकूना रह गया है, उन्हीं की ओर संकेत करूंगा।

सबसे पहले तो जिन बुजुर्ग लोगों के लिये इस बजट में पेन्शन का प्रावधान किया है, मैं उसका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। यह बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। इसके लिये वित्त मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं ज्यों ही इस सभा से भाषण सुन कर बाहर जा रहा था तो मेरे कानों में आवाज आई कि यह वित्त मंत्री जी ने हम-उम्र के लोगों के साथ पक्षपात तो नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो अभी कमसिन हैं।

श्री मोहनराज: लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करता हूं कि वित्त मंत्रीजी की चलती तो मेरी उम्र के लोगों की ओर भी उनका ध्यान जाता। मैं इस समस्या की ओर इशारा कर रहा हूं, २० से ४० वर्ष तक की उम्र के हजारों लाखों पढ़े-लिखे लोग और बेपढ़े-लिखे लोग जिनके हाथ पैर मजबूत हैं, जो काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा है बेकार, बेरोजगार बैठे हैं। कल प्रश्नोत्तरकाल में यह बात सामने लाई गई कि ३० कृषि स्नातक ऐसे हैं जिनको हम राजस्थान में काम नहीं दे पाये हैं। यह वास्तव में बड़ी शोचनीय बात है। यह तो एक उदाहरण है। लाखों लोग ऐसे हैं जो इस उम्र के हैं, जो काम करना चाहते हैं, पर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। यह प्रगति का समय है, इस प्रगति के समय में भी उन्हें हम काम नहीं दे पाये तो हमारे लिये यह एक सोचने की बात होगी, इस ओर वित्त मंत्रीजी को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिये था।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि गत वर्ष वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि हम एक संकटकालीन स्थिति में से गुजर रहे हैं और उस दौरान में जो किसानों पर सरचार्ज लगाया था तो यह दलील दी गई थी कि देश के ऊपर आज संकट है, ऐसी संकटकालीन स्थिति में उनको पेट पर पट्टी बांधना जरूरी हो गया है, और पेट पर पट्टी बांधने की बात कही। इसलिये, हालांकि हमारे राजस्थान के किसान का पेट उसकी पीठ की हड्डी से चिपका हुआ है, फिर भी उस विशेष स्थिति को देखकर हमने उस विशेष बोझे को स्वीकार किया था। अब की बार वित्त मंत्री जी का हाथ उस पेट की ओर गया है जो पेट बहुत बढ़ा हुआ है। जो इस बार करों का प्रावधान किया है उनका असर उन लोगों पर होता है जिनके पेट बहुत आगे निकले हुए हैं, जो मालदार हैं, पूंजीपति हैं। वित्तमंत्री जी ने जहां एक हाथ से उस बढ़े हुए पेट पर पट्टी बांधी है, वहां वे न मालूम क्यों दुबले पतले किसान के पेट पर बन्धी हुई पट्टी को खोलना भूल गये। अगर वित्तमंत्री जी के दयालु भगवान् ने समय पर वर्षा कर के दया नहीं की तो यह उनके भगवान् के लिए शोभा की बात नहीं, तो यह वित्त मंत्रीजी के लिए कैसे शोभा की बात हो सकती है कि भूखे प्यासे किसान के पेट पर बांधी हुई पट्टी को वे अपने दूसरे हाथ से नहीं खोल सके। भूखे किसान के पेट पर उस समय पट्टी बांधी थी वह अब तो खोलनी चाहिये जब कि आपका हाथ ठीक पेट की तरफ गया है। जो बहुत आगे निकला हुआ पेट है उस पर पट्टी बांधी है तो गरीब किसान के पेट पर बंधी पट्टी को खोलना चाहिये।

दूसरी बात, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरचार्ज इसलिए भी हटाना जरूरी है कि हमारे यहां के राजस्थान के किसान के पास इतनी भी आर्थिक तौर पर संचित की हुई शक्ति नहीं है कि एक वर्ष भी, यहां अगर पानी नहीं गिरता है, वह सम्हला हुआ रहे, क्योंकि आज उसके पास पैसे भर भी पूंजी नहीं है, वह सदियों से चूसा हुआ है। आज एक फसल बर्बाद होती है तो उसके लिये भूखों मरने की नौबत आ जाती है। आज पार्लियामेंट, विधान सभाओं में कुछ क्षेत्रों से आवाज

(श्री मोहनराज)

आई है कि पूंजीपतियों पर कर लगाये जा रहे हैं इससे पूंजी इकट्ठी नहीं हो रही है, औद्योगीकरण नहीं हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ। चाहे बिड़ला हो, शाहू जैन हो, चाहे डालमियां हो, चाहे पोद्दार हो, या बांगड़ हो, इनको आपने केपिटल फार्मेशन की छुट्टी दी तो वह उनके ऐशो आराम में, अमीरी को बढ़ाने में खर्च होगी। इसलिए आज अगर कहीं केपिटल फार्मेशन की जरूरत है तो वह राजस्थान के किसान के पास है ताकि राजस्थान के किसान के पास केपिटल फार्मेशन हो और मुसीबत के समय में वे अपने पांवों पर खड़े रह सकें, अपना गुजारा कर सकें। पर किसानों के पास केपिटल फार्मेशन तभी हो सकता है जब कि किसानों को राहत दी जाय।

किसान के ऊपर जो लगान राजस्थान में इस वक्त है वह मेरे खयाल से हिन्दुस्तान में जो दूसरे राज्य हैं उनसे बहुत अधिक है, जब कि यहां की भूमि बहुत कम उपजाऊ है, यहां का कृषक दूसरे प्रांतों के मुकाबले में बहुत कम प्रगतिशील है। ऐसी हालत में भी किसान के ऊपर जो कर लगाया हुआ है, जो सरचार्ज है वह इतना अधिक है कि उससे राहत मिलनी चाहिये। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, वह मजबूत रहेगी तो हमारा सारा देश अच्छा रहेगा।

अब जो खर्चा प्रशासन पर हो रहा है उसकी ओर मैं थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूँ। मैं यह बात मानता हूँ कि हर विकासशील राष्ट्र या प्रान्त के लिए बहुत अच्छा प्रशासन होना जरूरी है लेकिन जैसी कि हमारी प्रवृत्ति रही है-अंग्रेजी साम्राज्यवाद जाने के बाद हमारे हाथ में प्रशासन की मशीनरी आई और उसका जो हिस्टारीकल बैकग्राउन्ड है उसके अन्तर्गत हम अभी भी आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात दो मिनिट में कहनी है। अवध के नवाब साहब के पास बहुत रसोइए थे। जब नवाबी खत्म हुई और वह रवाना हुआ अपनी मालिकी छोड़कर तो उनके यहां कमाल कमाल के रसोइए थे जो रवाना हो गए। तो वहां के जमींदार और सेठ लोगों ने देखा कि अवध के नवाब साहब तो जा रहे हैं उनके यहां कमाल के रसोइए हैं, उनमें से अपन किसी को क्यों न ले लें। मुख्य खानसामा से बात हुई, नौकरी तय हुई। महीने की ७००) रुपये की नौकरी तय हुई, उस खानसामा को सेठजी ने अपने यहां रख लिया। कुछ दिनों बाद सेठ को अच्छी रसोई खाने की तबीयत हुई तो उन्होंने खानसामा को बुलाकर कहा कि पकवान तैयार किए जायं और कुछ नई चीजें अपने रसोड़े में बने। इस पर खानसामा ने कहा कि मैं नवाब साहब का रसोइया था, उनके एक ही महकमें में काम करता था। मुझे दूसरे महकमों का मालूम नहीं। सेठ ने पूछा कि कौनसे महकमे में तुम काम करते थे तो उन्होंने कहा कि जहां आलू की सब्जी बनती थी मैं उस महकमे में काम करता था। दूसरे महकमों में मिठाई-परावठे और पकवान बनते थे, मैं वह बनाना नहीं जानता। सेठजी ने कहा कि अच्छी बात है आलू ही सही। आलू की बहुत चीजें बनती हैं, पकवान बनते हैं, तरह तरह की नमकीन चीजें बनती हैं वही बनाई जायं। इस पर खानसामा ने कहा मैं न तो उसमें मसाले डालने का काम करता था और न उबालने का ही काम करता था। मैं तो केवल आलू काटने का काम करता था। सेठ को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी बड़ी तनख्वाह पर खानसामा रखा और यह तो केवल एक ही बात

(श्री मोहनराज)

जानता है।

खैर, मैं यह नहीं कहता कि हमारी स्थिति आज बिल्कुल वही है लेकिन सोचने की बात तो यह है कि अगर वास्तव में हमारी इस आजादी को कायम रखने के लिए प्रजातंत्र कायम रखना चाहते हैं, विकास की जो गति है उसको कायम रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि एक ऐसी सरकारी मशीनरी हमारे यहां पर हो जो नेकनीयती से काम करे। एक अच्छा करने के हेतु हम जो कानून और नियम यहां पर बनाते हैं, उनका पालन हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी सारी मशीनरी को एक नये तरीके से प्रशिक्षण देना होगा। मैं याद दिलाता हूँ, मुख्य मंत्रीजी ने गत वर्ष घोषणा की थी कि जो बड़े खर्चे हैं उनमें कमी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया है। यह उस वक्त घोषणा की थी जब हमारे यहां संकटकालीन स्थिति थी। उसकी वजह से, जैसा बताया गया है, करीब १६ लाख रुपए की बचत हुई। लेकिन आज जिस तरह से भारी भरकम प्रशासन है, हमारे यहां सेक्रेटेरियट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स बने हुए हैं, वहां पर करोड़ों रुपए ऐसे खर्च हो रहे हैं जो बिल्कुल फालतू खर्च हो रहे हैं, जिनको करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारी एफीशियेन्सी को आज दबा रहा है, इनीशिएटिव को दबा रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में चीफ सेक्रेटरी के प्रति आदर रखते हुए कहना चाहता हूँ कि उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, वह कोई कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। वह सेक्रेटरियेट के अन्दर इकोनोमी करने के तरीके कभी लागू नहीं कर सकती क्योंकि जिस सेक्रेटेरियेट की चीफसेक्रेटरी अध्यक्षता कर रहे हैं उसके अन्दर उनके ही साथी सचिवों को इकोनामी में आना पड़ेगा। ऐसी इकोनोमी, जो वास्तविकता के दृष्टिकोण से की जाने वाली हो के लिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरे खयाल से मुझे यह कहना नहीं चाहिए। उस एग्जाम्पल को जोर से लागू करने की बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन चर्चिल ने कहा था वह तो इतना साम्राज्यवाद था उसके लिए कोई ऐसी बात करने को तैयार नहीं था जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का निराकरण हो जाय। मैं नहीं मानता कि हमारे मुख्य सचिव कोई दूसरा उदाहरण पेश कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है, वास्तव में हम इकानामी करना चाहते हैं तो शासन पर जो बोझ बढ़ा है उसको कम करना चाहिए। तो इस सदन की एक समिति बनाई जाय जिसके अन्दर सरकारी आदमी भी हों क्योंकि वे वहां पर रहते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सारी हकीकत को जानते हैं। उसका चेयरमेन इस सदन का सदस्य हो। तब जाकर इसके अन्दर सुधार हो सकता है वरना आज हालत बहुत खराब है। हमारे यहां प्रशासन के क्षेत्र में बहुत आजादी है इसलिए प्रगति नहीं हो रही है। इसका विश्लेषण किया जाता है तो कहते हैं कि

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बाकी कहीं ३२ जातियां हैं, कहीं ३३ जातियां हैं, कहीं ३५ हैं लेकिन मैंने सेक्रेटरियट का सूची देखी है उसमें ४१ जातियां हैं। ४१ तरह की नौकरी की श्रेणियां हैं। ४५ रुपये से शुरू

(श्री मोहनराज)

होकर ३,००० रुपए तक की तनख्वाह पाने वाले हैं। जहां इतनी ज्यादा श्रेणियां हों, तरह तरह के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हों वहां आप क्या सोचते हैं कि कर्मचारी ईमानदारी से काम करेंगे। वह कर्मचारी तो रात दिन इस फिराक में होंगे कि प्रोमोशन किसका होता है, किस जगह होता है, किस वेतन शृंखला में अधिक फायदा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं मूव करता हूँ कि इन सब बातों को सोचने के लिए इस तरह की समिति नियुक्त की जाय और जो उसके सुझाव हों उनकी एक रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि एवं खाद्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो वाद विवाद चल रहा है इस साल के बजट के सिलसिले में और जो कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनके बारे में मैं भी कुछ उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जो बातें खड़ी हुई हैं उनका उत्तर देने से पहले....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था की बात जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय के बोलने के बाद भी अपोजिशन और ट्रेजरी बेन्चेज के मेम्बर बोल सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कल तक बोल सकेंगे।

श्री माणिकचन्द सुराणा : कल भी बोल सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कल तक बोल सकेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : व्यवस्था के सिलसिले में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अच्छा होता अगर माननीय मंत्री महोदय सब सदस्यों के भाषण सुनकर जवाब देते तो सब सदस्यों के द्वारा रखी गई समस्याओं के बारे में जवाब आ जाता।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत से मुद्दों पर रोशनी डाली है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या और कृषि के सिलसिले में और माननीय सदस्य बहुत सारे तथ्य रखने वाले हैं। अच्छा होता कि माननीय मंत्रीजी उन सब सदस्यों की बातों को सुन लेते और तब अपना उत्तर देते क्योंकि दुबारा वे नहीं बोल पायेंगे एक दफा बोलने के बाद। बहतर यह होता कि सब ही सदस्यों को सुनकर उनके द्वारा रखे गये तथ्यों का वे जवाब दे देते।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, तीन चार मंत्रीजी जवाब में हिस्सा लेने वाले हैं। यह नहीं है कि कल केवल मंत्री ही जबाब देंगे। माननीय सदस्य भी बोलेंगे और उनके भाषण में आयी हुई बातों का उत्तर दिया जायगा। पार्लियामेन्ट में भी यही तरीका है कि बीच में माननीय मंत्रीजी जवाब दे देते हैं तो मान लीजिये कि आज कृषि मंत्रीजी बोल जाते हैं। और किसी माननीय सदस्य ने कोई इस विषय में प्रश्न उठाया तो

(श्री मथुरादास माथुर)

कल माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलने वाले हैं और वित्त मंत्रीजी अपना जवाब देंगे । वे अपने भाषण में उन बातों को रख सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था । खाद्य और कृषि की समस्या एक गंभीर समस्या है इसलिए मेरा यह निवेदन था कि माननीय कृषि एवं खाद्य मंत्री बाद में ही जवाब देते ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझता हूँ, मैं उसकी गंभीरता को महसूस करता हूँ । जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उन पर निवेदन करूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं कृषि की समस्या एक बड़ी गंभीर समस्या है हमारे राजस्थान के लिए । हमारे जो इस सम्बन्ध में प्रश्न हैं या तो आप एक घंटे का समय दें कि हम कृषि मंत्री जी को वे सब लिख कर भेज दें । हमें उनके बारे में उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे प्रश्न तो आप मुझे अभी भी दे सकते हैं । आपकी एक लाइन देख कर भी मैं उत्तर दे दूंगा ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता था, जैसा योजना मंत्रीजी ने कहा कि सब मंत्री एक साथ न बोलें इसलिए कुछ बातें कहने के लिए मैं बीच में खड़ा हो गया । मेरे ख्याल से खास तौर से जितने अहमियत के मुद्दे हैं माननीय सदस्यों के वे डिबेट के, वक्त में आ चुके हैं । अलग अलग इलाकों से कृषि के बारे में सूचनायें खाद्य के बारे में प्रश्न, और बहुत से मुद्दे इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, जो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलांग करते है, कुछ नीति के महत्वपूर्ण प्रश्न खाद्य समस्या को लेकर एग्रीकल्चर के प्रॉडक्शन के साथ में जोड़ कर इस सदन में खड़े किये । उधर से विरोधी पक्ष के माननीय नेता और उसके बाद स्वतंत्र पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने नीति के सिलसिले में चर्चा की और एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन और खाद्य समस्या का हल किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार इस देश की योजनाओं के जरिये इस समस्या को हल किया जा सकता है, जो योजनायें बन रही हैं, वे गलत योजनायें हैं आदि मुद्दों को उठाया । खास तौर से सदन के विपक्ष के नेता ने इसको स्वीकार किया है कि योजनाओं को तो वे मानते हैं, उनकी उसमें आवस्था है लेकिन जिस प्रकार से योजनायें आज बन रही है—योजना कमीशन का खास तौर से जिक्र किया कि यह जो सुपर-इम्पोज्ड बॉडी इस देश में बनी हुई है और वह योजनायें बना कर पेश करती है वे गलत योजनायें हैं और उन गलत योजनाओं की वजह से देश में जैसा ठीक काम काज होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है । उधर से साम्यवादी दल के नेता ने यह कहा कि योजनायें होनी चाहिये और बड़ी योजनायें बननी चाहिये । एक पक्ष के नेता कहते हैं कि योजनायें बनी हैं वे बड़ी एम्बीशियस हैं । योजनाओं को पूरा करने के लिए देश के अन्दर कर्जा लिया जा रहा है, देश को कर्जे के भार से दबाया जा रहा है । देश के अन्दर टैक्स लगाये जा रहे हैं जिससे देश की जनता को कमर तोड़ी जा रही है । बड़ी महत्वाकांक्षी योजनायें देश ने बना लीं हैं और उसके साथ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राजस्थान ने बना ली है। एक तरफ एक पार्टी की नीति है कि योजनायें बहुत कमहैं। योजनायें और बननी चाहिये और जो कुछ हो रहा है उससे ज्यादा काम होना चाहिये। लेकिन जहां टैक्स की बात होती है तो वहां विरोध करने के लिए वे भी खड़े होते हैं। लोन्स लेने के बारे में और दूसरी पद्धतियों के बारे में जहां तक संभव होता है वे विरोध करते हैं।

मैं आपके जरिये, माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान की योजनायें देश की योजनाओं के साथ बन रही हैं। देश की पहली पंचवर्षीय योजना करीब २४०० करोड़ धन राशि की थी और राजस्थान की पहली पंचवर्षीय योजना ६० करोड़ के लगभग की थी। देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना ४८०० करोड़ की धनराशि की थी और राजस्थान की १०५ करोड़ धन राशि की बनी। उसमें से १०३ करोड़ की योजना को राजस्थान ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरा किया। देश की तृतीय पंचवर्षीय योजना १०२०० करोड़ रुपयेकी धन-राशि सेबनी और उसके साथ साथ राजस्थानकी तीसरी पंचवर्षीय योजना २३६ करोड़ की राशि लेकर बने यह हमने पहले शुरू में सोचा था लेकिन क्योंकि बीच में कुछ कठिनाइयां राजस्थान में रिसोर्सेज के बारे में, देश में अन्य हालातों के कारण और नयी परिस्थितियों के खड़े होने के कारण पैदा हुई उस समय राजस्थान की सरकार और इस सदन के माननीय सदस्यों ने दुबारा उस सारी परिस्थिति पर गौर किया और हमने तृतीय पंचवर्षी योजना के कोर को निर्धारित किया जिस कोर को २०८ करोड़ की योजना मान कर चलते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के जरिये हम चाहते हैं कि देश का उत्पादन बढ़े। देश का उत्पादन बढ़ा कर ही इस देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है। देश में एम्प्लॉयमेंट के साधन उन योजनाओं के द्वारा बनाये जा सकते हैं। हम इस बात को बुनियादी तौर पर मानते हैं कि देश की गरीबी को मिटाना है, देश की बेकारी को मिटाना है, देश के लोगों के जीवन-स्तर को उन्नत करना है और यह सब करना है प्रजातान्त्रिक तरीकों से, प्रजातन्त्र को कायम रखते हुए, यह हमारा जो मौजूदा विधान है उस विधान के अन्दर चलते हुए उन सारे मुद्दों को पूरा करना है। यह बड़ा प्रश्न इसके अन्दर जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य, जो विरोधी दल के नेता हैं, अगर इस प्रजातन्त्र को कायम रख कर, अगर इस देश के ६० प्रतिशत गरीब लोगों की गरीबी को मिटाने और देश के करोड़ों लोगों को काम दिलाने की बात सोचते हैं तो जो इस योजना को गलत बताते हैं, इस प्लानिंग कमीशन की बॉडी को सुपरफ्लुअस बॉडी बताते हैं, जो बॉडी योजनाओं पर विचार विमर्श करती है, लगातार पांच वर्ष तक योजना का काम करती है, आगे आने वाली योजनाओं का क्या नया स्वरूप बने, कितने बड़े पैमाने पर हो, किस प्रकार रिसो-र्सेज बढ़ाये जांय, मौजूदा जो योजनायें चल रही हैं उनके आंकड़ों को ठीक प्रकार से रखें ताकि मालूम हो कि वे प्लान्ड में हो रही हैं या नहीं, जो प्रायोरिटीज़ प्लान में रखी गई हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उन सारी बातों पर निगाह रखने के लिए जो एक कमीशन बिठा कर बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। जिस काम को केन्द्रीय सर-कार व राज्य की सरकारें आसानी से डिटेल्स में नहीं देख सकतीं। उस बॉडी को सुपरफ्लुअस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और सुपरइम्पोज्ड और एक रद्दी बॉडी कह कर टाल देना इस समस्या का हल नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्वतन्त्र पार्टी के नेता जो तपे-तपाये हैं और जो बड़े नेता हैं वे क्यों नहीं देश के सामने आलटरनेट योजना का पोथा लिखकर पेश करते हैं जिससे पता लग सके कि वे उस योजना के द्वारा देश में क्या करना चाहते हैं, क्या नया दृष्टिकोण, क्या नया मोड़ देकर इन सारे कार्यों को चलाना चाहते हैं। न उनको लिखने की फुर्सत है, न सोचने की फुर्सत है और न उनको काम करने की चिन्ता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वे तो शोषण करते आये हैं। शोषण ही को कायम रखना चाहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अफसोस तो यह है कि वे आपके गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ये बातें गम्भीरता से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम इन बातों को लाइट तरीके से टाल नहीं सकते। देश के इन मुद्दों के बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। प्लानिंग को यूजलैस कह कर उसके लिये आलटरनेटिव क्या मशीनरी हो उसकी रूपरेखा आप नहीं रख सकते कि वह कैसी बननी चाहिये, कितने का प्लान बनना चाहिये, योजनाओं के लिये रिसोर्सेज कहां से लाये जांय। रिसोर्सेज के बारे में जब कर्जे का नाम आता है तो कह दिया जाता है स्टेट को दिवालिया बना दिया गया। महत्वाकांक्षी योजनायें बनाने जा रहे हैं। टैक्स लगाया जाता है तो कहा जाता है कि कमर तोड़ टैक्स लगाये जाते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आप पब्लिक फाइनेन्स की बुनियाद के सिद्धान्तों पर गौर करें। योजना को जहां तरीके से चलाना है तो उसके लिये रिसोर्सेज भी ढूंढ़ने होंगे। लेकिन उसके बारे में वे एक शब्द भी नहीं बोलते। कर्जा लेते हैं या विदेशी राज्यों से कुछ समझौता करके कुछ सहायता लेते हैं तो वह उनको बुरी बात लगती है। रिसोर्सेज के लिए कर्जा मत लो, टैक्स मत लगाओ, यहां पर नीति बनाकर काम करने की बात होती है वह भी मत करो, टैक्सेशन मत करो तो आखिर आपका भी इस बारे में कोई मन्तव्य तो होना चाहिये। वह कुछ नहीं है। केवल योजना में खराबी बता कर जनता को गुमराह करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। हमने चम्बल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। उसके लिये २१ करोड़ रुपये की धन राशि खर्च की गई जिसके द्वारा पांच छः लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई हो रही है। उसके लिए उस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इतना वाटर लोगिंग हो गया, इतनी पुलियां नहीं बनीं, इतना वाटर यूटिलाइजेशन होना चाहिये, वह नहीं हो रहा। इस तरह से छोटी मोटी नुक्ता चीनी करके जनता को गुमराह करके बड़ी योजनाओं पर जो काम हो रहा है उससे लोगों का दिमाग हटा लेना चाहते हैं। योजना के अन्दर से जनता का विश्वास उठा देना चाहते हैं और अपनी अन्धेरगर्दी में अपनी पुरानी परम्परा को कायम रक्खें, यही उनकी असलियत है। इस तरीके का शासन चाहते हैं जिससे हिन्दुस्तान और राजस्थान की जो ज्वलन्त समस्यायें हैं उनका हल नहीं हो सके। उनको यह करना भी नहीं है क्योंकि

Page No. 80

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनको कोई दर्द नहीं, खूब आराम की जिन्दगी बितायी है पिछले वर्षो में खूब जनता का शोषण किया है, कहीं राजाओं के रूप में, कहीं जागीरदारों के रूप में, कहीं सेठ-साहूकारों के रूप में किया है और आगे भी करना चाहते हैं..

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आखिर इनकी संख्या कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे संख्या में तो बहुत कम हैं लेकिन पॉवर बहुत रखते हैं बड़े बड़े अखबार चलाते हैं। बड़े ताकतवर लोग हैं और अक्ल वाले लोग हैं। अपनी अक्ल से और जोर जबरदस्ती से लोगों को बैलों की तरह हांकना चाहते हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : चम्बल क्षेत्र की समस्या की ओर जब आपका ध्यान आकर्षित करते हैं तो आप यह कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी समस्या का हल निकलेगा तो इसी तरीके से निकलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से जो माननीय सदस्य बीच बीच में बोल रहे हैं उनको रोका जाय। मैं इस बारे में आपका प्रॉटेक्शन चाहता हूं। मैंने भी किसी माननीय सदस्य के बोलने के समय ऐतराज नहीं किया। शान्ति से सुनता रहा। आप भी मेरा जवाब सुनते रहिये। आप फिर कोई मुद्दा खड़ा करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आप इस पर गंभीरता से सोचें।

आप जिस प्रकार से इसको लाइटली लेते हैं उससे जनता की गरीबी नहीं मिटा सकेंगे। तो योजना के बारे में उनको विश्वास तो है लेकिन कैसी योजना बननी चाहिये, उसके लिये कैसे पैसा प्राप्त करना चाहिये उसके बारे में उनका कोई सुझाव नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने इन योजनाओं के बारे में इतना बड़ा पोथा लिख दिया जो देश की जनता के सामने है। आपने तो इतना सा पेम्फलेट भी नहीं लिखा है जिसमें आप यह बताते कि इस तरह की योजनायें बनायें, ऐसे साधन प्राप्त करें। इतने में सिर्फ उनका विश्वास है, कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना नहीं....

श्री राधाकृष्ण गोयल : कृषि मंत्री जी का ख्याल गलत है कि पेम्पलेट ही नहीं है। मैं उनको पुस्तकें और पेम्पलेट सभी पढ़ने को दे सकता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : वे किताबें फ्री फोरम की हैं जो बिना पैसे लेकर बांटते फिरते हैं। जो मेरे यहां भी काफी पड़ी हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बहुत पढ़ता हूं, इन सारी चीजों को भी देखता हूं। आपका इरादा नहीं कि देश आगे बढे, और हो भी नहीं सकता क्योंकि आप हमेशा अन्धेरे में शिकार करते आये हैं और अन्धेरे में ही शिकार करना चाहते हैं। इस पार्टी की थ्योरी ही इस प्रकार की है कि कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। न कोई पार्टी का डिसीप्लीन है और न कोई पार्टी की बात पर चलते हैं। कभी राम राज्य कहते हैं तो कभी दूसरा नाम जनसंघ रख लेते हैं और कभी कुछ। अब चौथा घूतक और खड़ा करना चाहते हैं और खड़ा करना पड़ेगा। इस प्रकार नये नये घूतकों द्वारा जनता के सामने आते हैं भ्रष्टाचार और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

टैक्स विरोधी बातें कह कर देश की जनता के सामने नारा लगाते हैं। जनता अभी अशिक्षित है। वह छोटी-मोटी बातों में इस तरह से आ जाती है। जिस प्रकार व्हेल मछली होती है जब किसी के चंगुल में फंसती है इस प्रकार का तो काला रंग फेंकती है कि सारा पानी काला ही काला नजर आये, उसी प्रकार जनता को छोटी बातों के भुलावे में डालकर बड़े-बड़े मसलों के हल करने के लिये जहां देश के लोग कोशिश करते हैं उससे उनका ध्यान हटाना चाहती हैं। मैं यह मानता हूं कि प्लान में कमियां हैं और रह सकती हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि जो भी चीजें होती हैं वह पर्फेक्ट रूप में होती हैं और किसी चीज में सुधार की आवश्यकता नहीं। मेरी पार्टी के लोग यह कभी दावा नहीं करते और यह मान कर नहीं चलते कि सुधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम एक पॉलिसी को साथ लेकर चलते हैं। आप कभी मजदूरों की बात करते हैं, कभी किसान की बात करते हैं। आखिर आप यह तो बताइये कितना वाजिब है, प्राइज़ इन्डेक्स क्या है? महंगाई क्या देना है? आखिर उसका सोल्यूशन तो होना चाहिये। आपकी पार्टी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जब कभी लाइसेन्स की बात आती है, परमिट की बात आती है, औद्यगीकरण के लिये लाइसेन्स का सवाल आता है, अगर उसमें किसी प्रकार का इन्टरफीअरेन्स होता है तो कहते हैं उसमें भ्रष्टाचार है, यह योजना ठीक तरीके की नहीं है। यह आपका स्वाभाविक तरीका है। आप इंसी को लक्ष्य में रखकर चलते हैं और चलना चाहते है कि जो पैदा करता है वह करता रहे, जो धन्धा करता है उसको करने दें, कोई किसी से लेता है तो लेने दें। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी शोषण समाज में चल रहा है उसको चलने दिया जाय। इन्डस्ट्रीज़ के लाइसेन्स में कट थ्रोट कॉम्पीटिशन चलने दें। एक तरफ तो साधनों की कमी है उसके साथ अगर बिना लाइसेन्स लिए ही कोई जो चाहे धन्धा करे तो उसे करने दिया जाय, यह उनकी नीति है। लेकिन ये सारी बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। हमको बहुत गम्भीरता से इन प्रश्नों को हल करने के लिये सिरियसली सोचना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा जिससे राजस्थान का चित्र बदले, राजस्थान का आर्थिक ढांचा बदले। आप तो पोल में ढोल बजाये जाना चाहते हैं। आपको कहने का अधिकार है। यह अधिकार हमने स्वयं ने प्रजातंत्र में, विधान में इसीलिये रखा है कि अखबारों द्वारा लिखें, बोलें, नाराज़गी से बोलें, भ्रष्टाचार की बातें कह कर जनता को धोखा दें, यह सब बातें आप कर सकते हैं। यही तो सब से बड़ा प्रजातंत्र का आनन्द है। प्रजातंत्र में चाहे जैसा बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं। जिसके पास कोई पॉलिसी नहीं वह पॉलिसी न होते हुए भी दुनियां के वोट लेते हैं, सदन में मेम्बर बन कर आ जाते हैं। यह तो हिन्दुस्तान के विधान की खूबी है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोरों का दावा किया कि वहां फूड प्रॉडक्शन को कमी हो गई, अकाल हो गया इसलिए सरकार की पॉलिसी में परिवर्तन आना चाहिये। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ लोअर प्राइस हैं, वह ज्यादा की जानी चाहिये। सीलिंग प्राइस के सिद्धान्त का भी जिक्र किया। उनका कहना था वह ठीक है यह उनका आइडिया। हम मानते हैं। तभी तो जिक्र

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करते हैं। बहस करते हैं। सारे हिन्दुस्तान के खाद्य मन्त्री मिले हैं। पर उसके पहले कुछ और बातें भी चाहिये। अगर सीलिंग प्राइस, फ्लोर प्राइस फिक्स करना चाहते हैं, ट्रेड को रेगुलेट करना चाहते हैं तो प्रश्न यह है कि ट्रेड किसके हाथों में हो, प्राइवेट लोगों के या स्टेट के हाथ हो। उन्होंने स्टेट के ट्रेड के बारे में सिफारिश की। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार भी इस मत की है, पहले भी थी, आज भी है कि फूड ग्रेन्स और एसेशियल चीजों को ट्रेड का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा स्टेट ट्रेडिंग में होना चाहिये। यह राजस्थान सरकार इस बात को मानती है, उसने अपना यह मन्तव्य पहले भी भारत सरकार के सामने रखा है जब कि दो साल पहले स्टेट ट्रेडिंग की बात चली थी। हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है। यहां १४ बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। कई प्रकार की विचारधाराओं के लोग उनमें हैं। हमारी पार्टी में भी कई प्रकार के विचार-विमर्श चलते हैं, मतधाराएं चलती हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम की यही तो विशेषता है, यही तारीफ है। वे विचारधाराएं अभी देश में कोई निश्चित रूप नहीं ले पाई हैं। इसी का नतीजा है कि कई अच्छी बातें जो आप कहते हैं उनमें से कई मानते हैं, कई नहीं मानते। अब इनको अच्छा मानने वालों में से मैं एक हूँ। अभी इस बारे में कोई एक निर्णय नहीं हो पाया है। पर राजस्थान सरकार का मन्तव्य स्पष्ट है। अगर प्लान्ड इकोनोमी के जरिये हम हमारा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कर्जा लेना भी शामिल है, जिसमें रिसोर्सेज़ बनाने के लिये सेविंग को मोबिलाइज़ करना भी शामिल है, टैक्सेशन का प्रश्न भी शामिल है, जिसमें मनी को बढ़ावा देकर सरक्यूलेट करने की बात भी शामिल है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्लान चलाना चाहते हैं तो उस चीज को भी निश्चित तौर से मानता हूँ कि प्राइस को निश्चित लेवल पर रखना चाहिये। वरना अगर कन्ट्रोल से ये बाहर होकर समय समय पर बढ़ने लगे तो नतीजा यह हो सकता है कि प्लान का असर जो चार साल में हम लायें उसको एक साल में निष्फल किया जा सकता है।

सरकार इस बात को मानती है और विश्वास रखती है कि पर-कैपिटा इन्कम को बढ़ाने के लिये कई साला योजनाओं की जरूरत है। अगर वह पर-कैपिटा इन्कम बढ़ती है थोड़े रुपयों में और प्राइसेज का राइज़ इतना हो जावे कि जिससे जो पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है वह न्यूट्रेलाइज़ हो जावे तो वह उचित नहीं है। इसलिए इस बात को हम मानते हैं कि इस प्राइस को स्टेबिलाइज़ होना चाहिये।

प्रश्न यह है कि जो सुझाव इसके लिये दिये गये हैं, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को निवेदन करना चाहता हूँ कि आज उस राज्य (रूस) में भी उतनी सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। हां, उसके मुकाबले में तो हम अभी बहुत पीछे हैं। दुनिया के बहुत बड़े साम्यवादी राज्य में, सबसे पुराने क्रांति के सूत्रपात करने वाले राज्य रूस में जो कि आज चालीस वर्षों पहले क्रांति करके एक फिज़ा देश में बनाई, एक तरह की हुकूमत को कायम किया, वहां चल रही है उनकी हुकूमत उनके अपने तरीके से, उनके अपने विधान के नीचे चल रही है, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना, मैं तो उन सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि मैंने उस मुल्क को भी देखा है और उसे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डिटेल में देखकर विस्तार से समझने की भी कोशिश की है कि उसकी चालीस साल के बाद भी आज क्या हालत है। आप वहां के किसान की आमदनी की दुहाई देते हैं, मैं बताऊंगा वहां कितना अन्तर है। यहां पर-केपिटा आमदनी एक किसान की २३. बताई थी और दूसरी आम लोगों की आमदनी, शायद व्यापारियों की आमदनी से उनका अर्थ था, ८००) के आस पास बताई थी। किसान और दूसरे आदमियों के बीच का अन्तर चार गुना बताया था। मुझे इन आंकड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं कह सकता कि इसमें कितना तथ्य है और कितना नहीं। फिर भी मैं मान लेता हूँ बहुत तथ्य है उनके कहने में। डिफरेन्स हो सकता है किसान और दूसरे की आमदनी में। मैं बताऊं उस मुल्क में, जिस मुल्क की बात वे करते हैं, रूस में किसान की पर-केपिटा इन्कम आज से दो साल पहले जब उस मुल्क में मैं गया था ४५० रूबल के लगभग आती है और मजदूर वर्ग की आमदनी पर-केपिटा उस समय भी ८५० रूबल थी। तो उनके यहां भी किसान आज भी नीचे लेडर पर पड़ा है। जिस देश के किसान की आप दुहाई देते हैं, उस देश के किसान की आज चालीस साल की क्रान्ति के बाद यह हालत है। वहां सौ में से ८० फी सदी किसान आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं जैसे वे ज़ार और सामन्तों के वक्त में रहते थे। हो सकता है उस देश ने बहुत तरक्की की हो, और की है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उस विचारधारा के जरिये कोई मरहम-पट्टी निकाल कर जादू के डण्डे से वहां के किसान की गिरी हुई हालत को बहुत ठीक कर दी हो या कर सकता है कोई-मैं इस विचारधारा को मानने वाले लोगों में से नहीं हूँ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : आपकी रफ्तार से तेज रफ्तार है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो ओपीनियन का विषय है। आपके राज्य में तो यह चर्चा भी नहीं कर सकते। वहां पर यह भी बन्धन है।

श्री हरिराम चौहान : बराबार कर सकते हैं। आप गलत कहते हैं कि नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी पार्टी वाले खड़े हों तो 'ठैं'। यह हिन्दुस्तान की खूबी है, यह यहां के विधान की ही खूबी है, यह यहां के डेमोक्रेसी की ही खूबी है कि एक कुर्सी पर बैठ कर आलोचना कर सकते हैं, कह-बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, यह हमारे विधान की खूबी है। यह आजादी है आपको, हम को, सबको और यह डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म के राज्य में ही सम्भव है।

श्री हरिराम चौहान : यही अक्ल लेकर आये हैं वहां से तो गलत लेकर आये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी अक्ल मैं रक्खूंगा। आपकी अक्ल आप रक्खेंगे। आपकी अक्ल भी मैं समझता हूं कितनी जोरदार काम करती है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अब आपने "आपके राज्य में" जो कहा है यह सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज कर दिया जावे तो अच्छा है।

Page No. 84

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके राज्य का मतलब है जो आप आगे होने का सपना लेते है। आपका राज्य जो आगे होगा, वे आशा करके चलते हैं, गुंजाइश मानकर चलते हैं, मैं उसका जिक्र करता हूँ। नहीं होगा ऐसी आशा है आपको तो इन्कार कर दें।

श्री हरिराम चौहान : बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा।

श्री मथुरादास माथुर : वे तो उम्मीद लगाते हैं हमारी होगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जिस कॉन्स्टेक्स्ट में कहा गया है वह यह नहीं है, वहां तो आपका मतलब शायद रूस से था।

श्री नाथूराम मिर्धा : बेसिक बात कहकर इन्फरेन्स निकालना चाहते हैं। कोई भी पद्धति अपने आप में बड़ी रामबाण औषधि नहीं है कि सारी चीजों का हल आसानी से एक दम लिमिटेड समय में निकल सके।

आज रूस में चालीस साल के बाद भी उत्पादन की समस्या खड़ी है। विचार किया जा रहा है वहां इस पर, और स्वयं प्रेसीडेन्ट साहब विचार कर रहे हैं कि प्रॉडक्शन का परिणाम एग्रीकल्चर में जैसा होना चाहिये वैसा नहीं आ रहा है। पचास फीसदी किसान उस मुल्क में भी प्रॉडक्शन का काम करते हुए आज उतना उत्पादन नहीं कर सके हैं। इसलिये वहां भी व्हीट का सवाल आज खड़ा है कि कहां से मंगाया जाय। अमेरिका वाले कह रहे हैं हम देते हैं और उनसे बात चल रही है। इसलिये बहुत बड़ी दुहाई उनकी देना उचित नहीं है। आज चालीस बर्ष के बाद भी अनाज की यह स्थिति है तो इससे बड़ी असफलता न हो सकती है, न हुई है। आप तो विचार कर रहे हैं कि उनके मुकाबले में हम नख के बराबर भी नहीं हैं। क्या कर सकते हैं? यह तथ्यों से बिलकुल विपरीत है। मैं नहीं कहता उस मुल्क ने कुछ नहीं किया। बुनियादी बातों पर बहुत बड़ा परिवर्तन वहां आया है। वह आज दुनियां का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है। बहुत बड़ी तरक्की उस मुल्क ने की है। पर वह एक दिन में इस विधान के नीचे आप यहां ले आवें यह सम्भव नहीं। आप भी नहीं ला सकते। कुछ नहीं कर सकते आप। कोई नहीं है आपके पास ऐसा प्रोग्राम कि जिसके जरिये इस विधान में रहते हुए आप सौ सालों में वह परिणाम ले आवें। आप अपना राज्य इस तरह से बनाने का सपना इस विधान के नीचे सौ सालों में भी नहीं देख सकते। इसके बाद की मैं नहीं कह सकता।

मैं कह रहा था कि नीतियों पर लोग बोलते हैं उनकी बातों को सुन कर दिलों में भी हमारे भी विचार खड़े होते हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारा तो निराला ही रास्ता है, हम तो बीच में ही लटक रहे हैं। अब हम लटक रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमने नया दृष्टिकोण और नया रास्ता देश और दुनिया को दिया है। अपने ही तरीके से हमने देश को आजाद कराया है। यह सबसे बड़ा देश था सबसे पहले उस तरीके से आजाद होने वाला। इसके बाद तो सैकड़ों हो गये हैं। महात्मा गांधी के रास्ते पर चल कर यह देश आजाद हुआ और उनके फोलोअर और कई देश उस रास्ते से चलकर आजाद हो गये। हिन्दुस्तान के बाद हुए।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हिन्दुस्तान ने आज नारा लगाया है समाजवाद का और समाजवाद भी डेमोक्रेसी के जरिये लाना है। डेमोक्रेसी के जरिये समाजवाद को लाना दुनियां के लिए नयी बात होगी, उपाध्यक्ष महोदय। यह नया रास्ता है, नया तरीका है। जब हमें लोगों की आजादी को कायम रखना है तो हम किसी तरह से एक पार्टी का शासन, डंडे का शासन जैसा हो सकता है, वैसा शासन देश में नही बना सकते। हम इस तरीके से लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि तुमको अमुक तरीके से प्रॉडक्शन करना होगी या अमुक फसल पैदा करनी होगी। हम इस प्रकार की मजबूरी लोगों पर नहीं डाल सकते विधान के जरिये। यह तो हम ज्ञान की चेतना देकर और नये नये प्रकार के इन्सटीट्यूशन्स कायम करके, जो प्रजातांत्रिक हों, उनके द्वारा किसानों को समझा सकते हैं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (वनेडा): यह आप जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं तो कोलोनाइज़ेशन जबरदस्ती क्यों किया?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं माननीय सदस्य से हाथ जोड़कर कहूंगा कि मैंने आपकी बातों को बहुत शान्ति से सुना था, आप भी शान्ति से सुनें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन कर रहा था कि पहले तो आप में कोई भी सिद्धान्त या तरीका, जो अपने आपको पैनिक बताते हैं, नहीं है। इसलिए इस देश के अन्दर जो हमारी पार्टी के द्वारा काम हुआ है मैंने अभी आपके सामने रखा। उसमें कितने लक्ष्य को हासिल किया है उसके लिए हिन्दुस्तान के अन्दर अलग से समय समय पर समूचे देश की रिपोर्ट निकलती हैं, राजस्थान की रिपोर्ट निकलती है। प्रोग्रेस और रिव्यू के बारे में चर्चायें होती हैं वह सदन के सदस्यों के सामने हैं। मैं उस पर और अधिक बोलकर समय नहीं लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारी इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पहले हमारा राजस्थान कहां खड़ा था—एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन के बारे में लीजिए। कई बार पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूँ। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य किसी पोथी के आंकडे गिना रहे थे। वह ४-५ फसलों के बारे में कह रहे थे। गेहूं, बाले, चना इनके तीन चार साल के आंकड़े उन्होंने पकड़े थे। उन्होंने कहा कि जौ का उत्पादन ६ लाख टन हो गया एक साल में, दूसरी साल में वह ७ लाख टन हो गया, तीसरी साल में वह ६ लाख टन हो गया और एक साल में जब ६ लाख टन था तो दूसरे में ७ लाख टन हो गया, तो कहने लगे कि एग्रीकल्चर, प्रॉडक्शन गिर गया। और उसी पर बोलते हुए वह कहने लगे कि राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें जरा गंभीरता से इन बातों को सोचना चाहिए। हर क्रॉप का उत्पादन कई फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। किसी साल में किसी क्रॉप के लिए वर्षा में जो सोज़न होता है वह मुफीद पड़ सकता है और किसी साल में वह मुफीद नहीं पड़ सकता है।

इसी साल का लीजिये, शुरू में खरीफ की फसल के समय वरसात कम हुई और रबी की फसल के समय शीत आ गयी। नतीजा यह हुआ कि अरहर की फसल में जैसी बाल आई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और जैसे उसके आसार नजर आ रहे थे कि पिछली साल से अरहर कई गुना ज्यादा होती लेकिन इस साल में ज़ीरो हो गयी । इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आंकड़ों को लेकर खड़े हो जाना और कहना कि एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन कम हो गया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ठीक नहीं है और इसलिए योजनायें ठीक नहीं हैं-यह ठीक नहीं है । स्वतन्त्र पार्टी की बातें सब ठीक ! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को नहीं मानता । मैं कहना चाहता हूं कि जनरल दृष्टिकोणों से प्रॉडक्शन की बात लेकर चलना होगा । १९४८-४९ में राजस्थान का, जिसके आंकड़े हमारे पास हैं और जिनका हमने संकलन किया है, टोटल फूडग्रेन्स का प्रॉडक्शन २८-२९ लाख टन के लगभग था । राजस्थान के सैकिण्ड प्लान के अन्त में वही प्रॉडक्शन टोटल फूड ग्रेन्स का था । जिस पोटेन्शियल का हम जिक्र करते है, जिसका लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, उन पोटेन्शियल्स को एचीव करना चाहते हैं । उन पोटेन्शियल्स की बात करना एक बात है और प्रॉडक्शन करना दूसरी बात है । एक्चुअली पहले क्या था और अब क्या है, वह तीसरी बात है । इसलिए फूड प्रॉडक्शन की बात सारी समझनी होगी । जब हम फूड ग्रेन्स की बात करते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था वह इतना ही था जो करीब ३ लाख टन के लगभग हमने सोचा था । उस समय उस लक्ष्य को पहली योजना में भी पूरा किया और इस स्थिति में आये कि राजस्थान का पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो २८-२९ लाख टन १९४८-४९ में प्रॉडक्शन था उस समय राजस्थान में ३०-३१ लाख टन सीरियल्स की आवश्यकता थी उसको हमने पूरा कर लिया । याने जो कमी थी उसके बाद में भी १-२ लाख टन ज्यादा हम सीरियल्स की स्थिति में पहली पंचवर्षीय योजना में आ चुके । यह राजस्थान का एक्चुअल पोटेन्शियल रहा जो उस समय कुछ कुएं बने, कुछ इरिगेशन वर्क्स बने, कुछ काम काज पहली पंचवर्षीय योजना में जमा ही था इसलिए राजस्थान जो मार्जिनली डेफिसिट था सीरियल्स के मामले में यह पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १-२ लाख टन सीरियल्स से ज्यादा बढ़ गया । राजस्थान के अन्दर आबादी भी बढ़ती जा रही है । दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य फूड ग्रेन्स के मामले में हमने यह सोचा था कि हम ८ लाख टन एडीशनल टन फूड प्रॉडक्शन का पोटेन्शियल राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना के जरिये करेंगे । और उसके लिए इन-पुट्स लगाने के लिए इरिगेशन के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने नये बीज, नये फर्टीलाईज़र, नये कुंए बनाकर, जो माईनर और मेजर इरिगेशन की स्कीम्स हैं उनके जरिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५-६ लाख एकड़ जमीन में पानी तिराकर जो भूमि सिंचित करने का लक्ष्य था और उसके जरिये एडीशनल ८ लाख टन फूड ग्रेन्स के पैदा करने की बात कही थी इस सदन के सामने और हमारे लक्ष्य में एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन के सिलसिले में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने उस लक्ष्य के पोटेन्शियल को ही पूरा नही किया बल्कि ८ लाख टन के बजाय १० लाख एडीशनल टन फूड ग्रेन्स का पोटेन्शियल राजस्थान में खड़ा किया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि १९६०-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

६१ हमारा एक ऐसा साल था जिस समय कम से कम खेतीबाड़ी को डिस्टर्ब करने वाले फेक्टर्स काम कर रहे थे । उसमें टोटल प्रॉडक्शन का आंकड़ा है उस समय ५४ लाख टन के लगभग पैदा हुआ है फूड ग्रेन्स के मामले में । जिस प्रकार के फेक्टर्स कुदरत के हैं वह हमेशा काम करते हैं और करते रहेंगे और जीवन जब तक सृष्टि में रहेगा तब तक काम करते रहेंगे । हमारे एग्रीकल्चर के फेक्टर्स को कन्ट्रोल करना ईश्वर के हाथ में हैं । इन सारे फेक्टर्स को हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते । किसानों के सारे मामलों को हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते । अब किसी साल में प्रॉडक्शन ७ लाख टन हो गया और किसी में ६ लाख टन हो गया तो क्या प्रॉडक्शन गिर गया ? एक किसान एक साल में गन्ना ज्यादा बो सकता है, मूंगफली ज्यादा बो सकता हैं, हमने इसको रेगुलेट नहीं किया है । यह इनसेन्टिव हमने किसान के ऊपर ही छोड़ा है कि वह किस साल में क्या फसल पैदा करे । हम सोचते हैं कि इस साल शुगर केन की कमी है । तो यह सरकार की नीति हो सकती है कि किसान इस बार गन्ना अधिक बोयें–लेकिन उनको इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता । इसलिए १९६१–६२ में ५४ लाख टन सेकिण्ड प्लान के अन्त में जो हमारा लक्ष्य था पोटेन्शियल बनाने का, जो १० लाख टन हमने एडीशनल किया और १९६१–६२ में ५४ लाख टन तक पहुंच गया । लेकिन हमने सेकिण्ड प्लान के प्रॉडक्शन का बेस माना है वह ५० लाख टन माना है....

(१२.०० मध्यान्ह)

हमने कहा है कि ५४ को नहीं मानते हैं वह एक साल का प्रॉडक्शन हो सकता है । औसत सालों का प्रॉडक्शन कम है । सेकण्ड प्लान के अन्त तक प्रॉडक्शन का टोटल पहुँचा है ५४ लाख टन तक तो ५० लाख को मान कर चला जाया और थर्ड प्लान के अन्दर जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उसमें १६ लाख टन और अनाज पैदा किया जाय । उस अनाज का मतलब यह है कि जो बेसिस ५० लाख का इन-पुट मान कर चलते हैं, पोटेन्शियल जो क्रियेट को चुका है उसके बजाय १६ लाख टन और ज्यादा पैदा करने के लिए हम इस योजना में लक्ष्य करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष, इसका असर आया है । यह कहना कि उत्पादन नहीं बढ़ा है तो मैं कहता हूँ कि २८–२९ लाख टन था उसके बजाय ५० लाख टन का पोटेन्शियल बढ़ा है....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : बहुत बढ़ा है । सस्ता हो गया है अनाज ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आ जायगा आपका सहयोग रहेगा तो; अगर आप चुप रहेंगे तो सब आ जायगा ।

मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर तीन योजनाओं के अन्दर सिंचाई के सिलसिले में निवेदन करूं । सिंचाई के बारे में इस सदन के कई माननीय सदस्य काफी आलोचनाएं करते हैं और गम्भीरता से करते हैं और यह कहते हैं कि सिंचाई योजनाओं के रिटर्न्स जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आ रहे हैं । सिंचाई की योजनाएं जिस प्रकार के रिटर्न्स स्टेट एक्सचेकर और फाइनेन्स को देने चाहिए वैसे नहीं दे रही हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है कि उनके रिटर्न्स जिस प्रकार के फाइनेन्स को मिलने चाहिएं वह नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान की तीन योजनाओं के अन्दर सिंचाई के लिए ६० करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जिसमें चम्बल की योजना पर करीब १९ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, भाखरा की योजना पर करीब २१ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मीडियम और मेजर स्कीम के अन्दर करीब ८ करोड़ रुपये की धन–राशि खर्च हुई है। माइनर इरिगेशन के बारे में जो इरिगेशन के जरिये बनाये गये हैं उनमें साढ़े चार करोड़ की धन-राशि खर्च हुई है। और ६० करोड़ की धन-राशि राजस्थान की इन तीन योजनाओं में खर्च होने के बाद इरिगेशन का पोटेन्शियल था—जो पहले केवल एक गंग केनाल थी उसके नीचे सिर्फ ६ लाख एकड़ का पोटेन्शियल था—इन योजनाओं के जरिये से करीब १० लाख एकड़ बढ़ चुका है और हम चाहिते हैं कि पोटेन्शियल को राजस्थान नहर जैसी योजना को लाकर....

श्री मानसिंह महार : १० लाख एकड़ बढ़ा है या १६ लाख एकड़ हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मीडियम और माइनर इरिगेशन के विषय में माइनर इरिगेशन की स्कीम में जो कुंए, तालाब, कुओं का डीपनिंग आता है, फर्टीलाइज़र की मद में जो आता है, सीड की मदों में जो आता है—वह अलग से है। इन योजनाओं के जरिये कुओं के आंकड़े माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने रखे थे जब अपना वक्तव्य सदन के सामने रखा था। कुओं की संख्या भी बहुत बढ़ी है। राजस्थान में दूसरी योजना में ४०,००० कुंए बने। फर्स्ट योजना में ६००० कुंए खुदे और तीसरी योजना के इन दो सालों में औसत ९–१० हजार कुंए बनते जा रहे हैं। तो इन योजनाओं के नीचे इन पांच सालों के अन्दर करीब ५०,००० कुए बनेंगे। इन कुओं के जरिए छोटी इरिगेशन में ४–५ या तीन एकड़ एक कुए से सिंचाई होगी। और कोई कोई कुंए तो ऐसे बढ़िया हैं जो कि ५०-५० एकड़ तक इरिगेशन करते हैं। उनके जरिये....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of information, Sir. थर्ड प्लान में टार्गेट्स हैं कुल ८ हजार कुंए बनाने का। जो आपकी मिड टर्म एप्रेज़ल कमेटी की रिपोर्ट निकली है उसमें ८००० कुंए बनाने का प्रावधान किया गया है और आप कह रहे हैं कि २० हजार कुंए बन चुके हैं तो कौन सा गलत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह गलत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी तक आपने कहा कि एक साल में ९ हजार कुंए बन चुके हैं। यह जो मैंने आंकड़े कहे हैं वह आपकी सरकार की तरफ से दिये गये आंकड़े हैं। आप की प्लान मिड टर्म एप्रेज़ल कमेटी थी उसकी रिपोर्ट में कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब वैल्स का ८००० का थर्ड प्लान का टार्गेट है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ट्यूब वैल्स का नहीं कह रहा हूँ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : न्यू वैल्स का आपका टार्गेट ८००० का है। आप कह रहे हैं कि इन दो सालों में २० हजार कुंए बना दिए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने योजना के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आंकड़े बताये हैं, १९६१-६२ में ९१९५ कुंए और १९६२-६३ में ९३९० कुंए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी मिड टर्म एप्रेजल कमेटी ऑफ दी प्लान कहती है लाइकली टार्गेट ऑफ १९६४, ३३९९ और आप कह रहे हैं २० हजार बन चुके है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सिंचाई के कुओं की बात कर रहा हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : ड्रिंकिंग वाटर का अलग है, सिंचाई का अलग है, और डीपनिंग ऑफ वैल्स का अलग है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके आंकड़ों के बारे में कुछ गलतफहमी हो तो मैं फिर देख लूंगा।

श्री मानसिंह महार : गलत इन्फार्मेशन हो तो आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन आ सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कुओं के जरिये और नहरों के जरिये हम राजस्थान में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी जमीन की सिंचाई कर सकेंगे। इसी तरह से मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो राजस्थान का कुल कल्टीवेटेड रकबा था वह दो करोड़ के लगभग ..

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): On a point of order, Sir, माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सामने जो कुओं के आंकड़े बताये हैं वे आंकड़े मिड टर्म रिपोर्ट में जो दिये गये हैं उन आंकड़ों से नहीं मिलते हैं। इसलिए उस रिपोर्ट को देखकर तसल्ली करें कि वह गलत बताये गये हैं। हाउस को सस्पेंन्स में रखना उचित नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : कृषि मंत्रीजी ने जो आंकड़े रखे हैं उनमें टोटल वैल्स जो सेकण्ड फाइव ईअर प्लान के अन्दर खोले हैं वह ४१,७४९ हैं और फर्स्ट फाइव ईअर प्लान के अन्दर खोदे हैं वे ७५५० हैं और थर्ड प्लान में जो गवर्नमेंट का ३३.९७ का बजट है उसमें ६२-६३ मे ९३९० कुंए खोदे गये हैं। इसके नीचे यह दिया हुआ है कि figures including wells constructed through privat sources also.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं प्राइवेट पर्सन्स के वैल्स का नहीं पूछ रहा हूँ। आपने जो प्लान में बनाये हैं राज्य के द्वारा।

श्री मथुरादास माथुर : आप फिगर्स की बात कर रहे हैं तो जो प्लान में बढ़े हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कुंए खोदे जायं। प्राइवेट वैल्स भी होते हैं उनको हम ५००) रुपये देते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक): गवर्नमेंट के द्वारा कहां कहां कुंए खोदे जा रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप जो कह रहे हैं यदि वह सही है तो आप डिस्ट्रिक्ट-वाइज फिगर्स दे दें कि २०,००० कुंए कहां कुछ खुदे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मैं बराबर दूंगा।

Page No. 90

श्री राधाकृष्ण गोयल : गवर्नमेंट के द्वारा कहां कहां खोदे गये हैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा प्रकाश डालें।

श्री नाथूराम मिर्धा : पचायत समितियों में लिस्ट है आप वहा से देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं। यह कलेक्ट किया गया है from various reports, from Panchayat Samities under the development programme. मैं फिगर्स वही रख रहा हूँ जो वहां कुंए बने हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो कमेटी बनी थी उसने यह दिये हैं फिगर्स।

श्री मथुरादास माथुर : मिड टर्म एप्रेजल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें प्राइवेट वैल्स नहीं हैं। इसमें वे ही हैं जो सरकार की तरफ से हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह फिगर्स की कलाबाजी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सिंचाई के उद्देश्य से गवर्नमेंट की तरफ से कुंए कहां कहां खोदे गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो निवेदन किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनमें उन कुओं का नम्बर भी है जो कि प्राइवेट हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of information, Sir..........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): सरकार की तरफ से जो कुंए खोदे गये हैं वह किस किस जगह पर खोदे गये हैं ?

श्री मानसिंह महार : यह जो कहा गया है ४ हजार कुंए सरकार की तरफ से खोदे गये हैं वह सरकार की तरफ से खुदे हैं—यह गलत है। मैं कहता हूँ कि सरकार कुंए नहीं खोदती है। अगर आपका कहना गलत हो तो आप उसको करेक्ट कर लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सारे कुओं का नम्बर दे रहा था। मैं सरकार की बात नहीं कह रहा था। इन योजनाओं के अन्दर जो कुंए बने हैं उनके बारे में नम्बर दे रहा हूँ। दूसरी योजना में ४१,००० बने हैं और फर्स्ट योजना में ८००० और तीसरी योजना के दो वर्षों में ९-९हजार कुंए बने हैं। उनका हमारे राजस्थान के प्रॉडक्शन के ऊपर जरूरी तौर से असर हुआ है। अब यह कि कहां बने, किसने बनाये, कितना रुपया लोन के रूप में दिया, किनको दिया, प्राइवेट लोगों का कितना इन्वेस्टमेंट है, यह सारे प्रश्न अलग से हैं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन कर रहा था कि निश्चित तौर से माइनर इरिगेशन, मीडियम इरिगेशन और मेजर इरिगेशन और कूओं के बनने से निश्चित तौर से जो जमीन पहले असिंचित थी वह सिंचित हुई है और इस वजह से पर-एकड़ उत्पादन बढ़ा। कई बार यह सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान का पर-एकड़ प्रॉडक्शन गिरा है और उसको गिरने नहीं देना चाहिये, इसके लिये कोशिश करनी चाहिये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ब्रोड आस्पेक्ट लें, जैसा कि मैं पहले कई बार इस हाउस में बता चुका हूं कि राजस्थान में प्रॉडक्शन बढ़ाने का मेजर शेयर राजस्थान में नई नवतोड़ भूमि कल्टीवेशन में आई, है-उसका है, इसमें दो राय नहीं हैं। और

Page No. 91

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो नवतोड़ भूमि कल्टीवेशन में आई है उसमें से बहुत सी जमीन अच्छी है, लेकिन सब की सब अच्छी नहीं है, उसमें मार्जिनल और सब-मार्जिनल भूमि भी शामिल है। उसके आंकड़े मैंने दिये हैं। हो सकता है कि ५० लाख एकड़ में ५.१० लाख एकड़ अच्छी जमीन हो और बाकी सभी मार्जिनल और सब-मार्जिनल टाइप की है और जब यह कल्टीवेशन में आती है तो प्रॉडक्शन बढ़ता है। लेकिन पर-एकड़ प्रॉडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इन-पुट और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत रहती है और वे लोग जिन्होंने नयी जमीन हाथ में ली है वे गरीब लोग हैं, वे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले जमीन नहीं थी, उनके पास साधन नहीं हैं इसलिये उनका प्रॉडक्शन निश्चित रूप से कम है। जहां २ करोड़ एकड़ भूमि में से ५० लाख एकड़ भूमि मार्जिनल और सब-मार्जिनल टाइप की अन्डर-कल्टीवेशन आवे तो कुछ जगह जहां इरिगेशन के साधन है, नये फर्टिलाइजर्स और सीडस काम में लिये हैं, नये औजार काम में लिये हैं-वहां निश्चित तौर से प्रॉडक्शन बढ़ा है। राजस्थान के किसान में जहां तक क्षमता है, जहां तक उसके पास इरिगेशन रिसोर्सेज हैं, बैटर टेक्निक काम में ली जा रही है, किसान के पास मीन्स और समझ है-वहां तक इतना एरिया निकालें तो मैं निश्चित तौर से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि उनका पर-एकड़ प्रॉडक्शन निकालें तो राजस्थान का प्रॉडक्शन समूचे देश की तरह ऊंचा आया है। पर ओन दी होल....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : पर-एकड़ कितने रुपये....

श्री नाथूराम मिर्धा : रुपये नहीं, पर-एकड़ ईल्ड का सवाल है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर एकड़ ईल्ड कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके आंकड़े मेरे पास हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप इस तरह की बात कहते हैं तो फिगर तो होंगे आपके पास। उसकी जानकारी हमें दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं फिगर दे दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : कितनी नवतोड़ जमीन अंडर-कल्टीवेशन आई है इसकी जानकारी नहीं है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जानकारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह टोटल जमीन ६१-६२ की है या....

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में हुई है ५० लाख एकड़। इन ५० लाख एकड़ में मार्जिनल और सब-मार्जिनल जोड़ी जाय और समूचे स्टेट का पर-एकड़ प्रॉडक्शन निकाला जाय तो कई प्रकार के फेक्टर्स-जिसमें सीज़नल वेरिएशन्स शामिल हैं, मार्जिनल और सब-मार्जिनल लैंड शामिल है, जिसके लिये इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है-इस सब का पर-एकड़ प्रॉडक्शन निकाला जाय तो उसमें जरूर कई वर्षों में कई इलाकों में कमी महसूस होगी। मैं इस बात को मानता हूं। इसको दूर करने के लिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमारे पास इलाज यह है कि हम ज्यादा फर्टिलाइज़र काम में लें, उन्नत सीड काम में लें, लोगों में ज्यादा टेक्निक हो। लेकिन यह थ्योरी की बात है। इसको पूरा करने के लिए समय और रिसोर्सेज़ की आवश्यकता रहेगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से राजस्थान का प्रॉडक्शन पर-एकड़ बढ़ना चाहिये, इसके लिये कोशिश होनी चाहिये, सरकार की नीतियों को समर्थन देना चाहिये-इसमें दो राय नहीं है। मैं सदन के माननीय सदस्यों की बात मानता हूं। लगातार विभाग इसके लिये सतर्क है, हम सतर्क हैं कि प्रॉडक्शन बढ़ाया जाय। सारे एग्रीकल्चर के विवाद को लेकर आंकड़े जानना चाहें तो मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा १९६१.६२ में ५४ लाख टन प्रॉडक्शन हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने माना है सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में ५० लाख टन चार साल के प्रॉडक्शन का औसत लेकर चलते हैं। इन ईयर्स में प्रॉडक्शन का कितना औसत आया उसको मानकर चलते हैं इसलिये यदि हम सन् १९५७ से ६१ तक के चार सालों की औसत निकालें तो इन चार सालों की औसत करीब ४५.५६ लाख टन होगी। सन् १९५८ से ६२ तक की यदि हम औसत निकालें तो वह ४९.४१ लाख टन आती है और यदि हम १९५९ से ६३ तक की औसत निकालें तो वह है ४९.१५ लाख टन...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एक्च्युअल प्रॉडक्शन बता दीजिये १९६१-६२, १९६२-६३ का।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मैंने बताया करीब ५४ लाख टन हुआ है १९६१-६२ में लेकिन हमने जो औसत माना है चार सालों का उसको देखा जाय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार साल का नहीं चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको तो नहीं चाहिये लेकिन हम जिसको बेस मानकर चलते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सालवाइज़ बता दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सालवाइज लेकर चलते हैं लेकिन हम चार साल का औसत मानते हैं क्योंकि इसमें कई फेक्टर्स होते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९६१-६२ का तो आपने बता दिया ५४.८० लाख टन लेकिन १९६२-६३ का ५४.१४ लाख टन रह गया, इसलिये नहीं बताना चाहते।

श्री नाथूराम मिर्धा : .१और .२ से क्या असर पड़ता है। इतने छोटे फिगर की अहमियत नहीं है। यह बात मैं पहले कह चुका हूं। वापिस रिपीट करूंगा तो ५ मिनिट हाउस के लेने पड़ेंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसलिये चार साल का औसत प्रॉडक्शन दिया है। बेस ५० लाख टन का माना है। वैसे तो जैसा कि मैंने बताया ५४ लाख टन तक जा चुका है, लेकिन बेस यह है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रॉडक्शन बढ़ा है।

आोयल-सीड के फिगर्स ले लीजिये :

१९५७ से ६१ तक २.१६ लाख टन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

१९५८ से ६२ तक	२.२३ लाख टन
१९५९ से ६३ तक	२.३७ लाख टन

इसी तरह शुगर-केन के फिगर्स ले लीजिये :

.६८ पहले का
.६६ दूसरे का और फिर उसके बाद
.७६

फिर कोटन-बेल्स का ले लीजिये लाखों के हिसाब में।

१९५७ से ६१ तक १.६४
१९५८ से ६२ तक १.५२
१९५९ से ६३ तक १.५६

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये सारे कई फेक्टर्स पर निर्भर करते हैं जिनमें सीज़नल वेरिएशन बहुत जरूरी है ...

श्री भैरोंसिंह : एक तो डिस्प्यूट यह है कि पर-एकड़ ईल्ड और आपने फेक्टर्स बातायें हैं उनमें कई प्रकार की चीजें बताई, मैं जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने इस बात की इन्क्वायरी कराई या नहीं कि जिन जमीनों में सिंचाई पहले होती थी और जिनके लिये आपने सहूलियतें विशेष नहीं दी हैं, सिवाय फर्टिलाइज़र्स और इम्प्लीमेंट्स के, इस प्रकार की जमीन की पर-एकड़ ईल्ड बढ़ी है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह बात कह चुका था जो आपने फरमाई, कि इरिगेटेड लैंड पर जहां पर डेफिनेट तौर से नये इम्प्लीमेंट्स काम में लिये गये, फर्टिलाइजर्स और बेटर सीड्स काम में लिये गये, बेटर टेक्निक काम में ली गई-ऐसी जमीन का संकलन करके वर्क आउट कराया जाय तो वहां पर निश्चित तौर से पर-एकड़ ईल्ड या प्रॉडक्शन बढ़ा है सभी कॉप्स में ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसकी इन्क्वायरी करा लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्क्वायरी करा ली है। मैंने कहा कि मेरे पास इस समय फिगर्स अवेलेबल नहीं हैं यदि कट-मोशन के जरिये इस बात को फिर सदन में रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से आंकड़े बता दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने पिछले सदन में एक क्वेश्चन के जवाब में कई आंकड़े रखे थे। पर एकड़ ईल्ड गिर रही है, इसे आपने स्वीकार किया था और कमेटी की घोषणा १९६१ में की थी, लेकिन उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। फिर आपने कहा था कि दो मेम्बर और कमेटी में डाल दिये जायं जो उसको एग्ज़ामिन कर लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने कॉटन के बारे में कहा था, कॉटन का प्रॉडक्शन गिर रहा है। उस मामले में उसमें दो मेम्बर रखे थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के क्वेश्चन के जवाब में कहा था, फूड ग्रेन्स, ऑइल सीड्स, कॉटन आदि के आंकड़े दिये थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे सारा याद नहीं पड़ता है। कॉटन का याद पड़ता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो मेम्बर को लेने की घोषणा की थी कि वह एग्ज़ामिन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कर लें। उसकी न तो एक भी मीटिंग हुई और न कोई मीटिंग बुलाई गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं हुई है तो बुला लेनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो आप अलग से कह सकते थे, मीटिंग होनी चाहिए, इसकी छानबीन भी होनी चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप आश्वासन तो देते हैं। तीन वर्ष बीत चुके हैं, कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कमेटी बन गई है, मीटिंग नहीं हुई है-यह आप सदन में आज कहते हैं। पहले कह देते तो मैं इन्तजाम कर देता। आज आप पूछें कि कौन काम कब बाकी रह गया तो मैं यह नहीं कह सकता। मुझे देखिये, मैं सारा काम करता हूं वह सारा मुझे याद नहीं रह सकता। आप आज कहते हैं। दो महिने पहले कहते तो मैं मीटिंग बुला लेता, छः महीने पहले कहते तो मैं मीटिंग बुलवा लेता।

मैं एक बार पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर अर्ज करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन का मसला इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि पोटेन्शियल को बढ़ाने वाली बात है वह इन-पुट्स के जरिये पोटेन्शियलिटी क्रियेट करना और उनके लक्ष्य को हांसिल करने की बात है। एक बात पोटेन्शियलिटी क्रियेट करने की है और दूसरी लक्ष्य प्राप्त करने की बात है। पोटेन्शियलिटी क्रियेट करने के बाद दूसरी ओर यह लक्ष्य रखा है कि १५ लाख एडिशनल फूड ग्रेन्स का प्रॉडक्शन करना है। जब एक लक्ष्य बना लेंगे, तो दूसरी बार बनायेंगे वह उससे ज्यादा बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा, यह चाहे इर्रिगेशन के रूप में हो, चाहे फर्टीलाइजर के रूप में हो-एक्चुअल प्रॉडक्शन पोटेन्शियलिटी में कहीं ज्यादा हुआ। राजस्थान का प्रॉडक्शन २६ लाख का १९५८-५९ में था वह करीब ५२-५३ लाख के लगभग है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान एग्रीकल्चर में सीरियल्स, फूड ग्रेन्स के मामले में आगे बढ़ा है, दूसरे मामलों में आगे बढ़ा है। जिसमें कमी रही है उसके बारे में कहा होगा, कॉटन का मामला मुझे याद नहीं है। ऑइल सीड के मामले में आगे बढ़े हैं। जो कमी है वह भी सदन को कहते हैं। जिसमें आगे बढ़े हैं उसको भी कहते हैं और जो भी करने की गुंजाइश होती है उसको करने की कोशिश करते हैं। आपकी आलोचनाओं से हमें बल मिलता है, हमको ताकत मिलती है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। आप जो भी बोलते हैं उसमें इस तरह की बातें हों तो हमें स्वीकार हैं। लेकिन उसमें अगर डिस्प्रपोर्शनेट बातें जुड़ जाती हैं तो वह सोचने की बात हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कम से कम इतना प्रपोर्शन तो आपको करना चाहिए। यह आपके सोचने की बात है।

मैं खाद्यान्न के बारे में कह रहा था कि जब राजस्थान में खाद्यान्न बढ़ गया, खाद्यान्न की प्रॉडक्शन बढ़ गई तो फिर प्राइसेस क्यों ऊंची हो गई। जैसा मैंने कहा कि इसमें समूचे देश का प्रश्न है। अकेले राजस्थान के प्रॉडक्शन का और अकेले राजस्थान की प्राइसेज का प्रश्न नहीं है। इसमें समूचे देश की प्राइसेज का सवाल है, समूचे देश के प्रॉडक्शन का सवाल है। राजस्थान और हिन्दुस्तान का प्रॉडक्शन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मेग्जिमम ८२ लाख टन तक पहुँच चुका है, ८२ मिलियन टन तक पहुँच चुका है। इन पिछले वर्षों में कभी ८६ मिलियन, कभी ७६ मिलियन श्रौर कभी ७५ मिलियन तक रहा हैं लेकिन ८२ मिलियन टन तक बढ़ा हुश्रा पोटेन्शियल रहा। श्रब तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें १०० मिलियन टन तक पहुँचना है। श्रब जो पोटेन्शियल डाला है इस साल श्रौर श्रगले साल में जो पोटेन्शियल डालना है तो प्रॉडक्शन कितना बन सकता है, इसके बारे में जैसा भारत सरकार चाहती है, वैसे इसको देश में टोप प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन देश के श्रन्दर कुदरत के फेक्टर एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन के मामले में वर्क करते हैं। इसलिए हिन्दुस्तान का श्रोवर श्रॉल प्रॉडक्शन, जैसा मैंने निवेदन किया, इन सालों में एक साल कम हुश्रा श्रौर फूड ग्रेन्स का श्रोवर श्रॉल प्रॉडक्शन जैसा होना चाहिए था वह नहीं हुश्रा। नतीजा यह हुश्रा कि इससे जिस क्लास को लाभ मालूम पड़ा वह खास तौर से बिजनेस क्लास को मालूम पड़ा श्रौर जिस हद तक इस समस्या को गम्भीरता से सोचना चाहिए था उस तक नहीं सोचा श्रौर नतीजा यह हुश्रा कि प्राईसेज़ कुछ श्राउट श्रॉफ कन्ट्रोल जाने लगीं। भारत सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए यह कर सकती थी कि जो व्हीट का रिज़र्व स्टॉक पड़ा हुश्रा है उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फेंका जाय। इस नीति को श्रख्तियार किया श्रौर कुछ दुकानें बनीं, कुछ सहकारिता के श्राधार पेडी श्रौर ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया, ग्रेन शॉप्स के जरिये प्राइसेज़ को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस समस्या को सुलझाने की रेमेडी तो श्रल्टीमेट प्रॉडक्शन ही है श्रौर इस समस्या को सुलझाने के लिए हमको सतर्कता से काम करना पड़ेगा। जब हमारे देश में, कन्ट्री में शोर्टेज है तो प्राइस फेक्टर को कैसे कन्ट्रोल किया जाय, फूड ग्रेन्स श्रॉर्डीनेन्स को हिन्दुस्तान में लागू किया जाय जिसमें स्टॉक्स को निकालने की बात हो या फिर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाय–इस बारे में सोचा है। श्रब यह कहा जावे कि श्राने वाली फसल के पहले खास तौर से जो कमी है उसको मीट करने के लिए एक्सपोर्ट को बन्द क्यों नहीं किया जाय। तो मैंने एक क्वेश्चन के जवाब में निवेदन किया था कि १८ लाख मन खाद्यान्न बाहर गया है। यह जो १८ लाख मन बाहर जा रहा है, इसके लिए श्राप कहते हैं कि इसे क्यों नहीं रोक देते हैं। जैसा मैंने कहा, यह सारे देश का सवाल है श्रौर राजस्थान स्टेट-श्रपने श्राप में इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन राजस्थान सरकार का मन्तव्य राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के सामने रख दिया है–प्राइसेज़ को कंट्रोल कैसे किया जाय, श्राने वाली क्रॉप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाय, किस प्रकार फूड ग्रेन्स चीपर प्राइसेज़ पर मिलें। स्टेट ट्रेडिंग प्राइस कंट्रोल करने की बुनियाद है इसके बारे में भी सोचते हैं कि किस हद तक हो सकता है। फरदर डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेट्स में श्राने वाली साल के लिए हो, उसको कैसे रेगुलेट किया जाय। श्राने वाली साल के श्रन्दर किस प्रकार से क्या किया जाय, इस मसले पर सब दृष्टिकोणों से विचार किया है श्रौर श्रपना मन्तव्य भारत सरकार के सामने रखा है। मीटिंगों में डिस्कस किया है श्रौर प्राइवेट में बातें की हैं। इसलिए हम सो रहे हों यह बात नहीं है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : खपत की

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दृष्टि से किस किस अनाज की राजस्थान में कितनी कितनी खपत होती है, उसके आंकड़े हैं और उन आंकड़ों के आधार पर आपने स्टोर कर रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार के पास, मैंने जैसा कहा, सब सूचना है और वक्त-वक्त पर सूचना देते हैं । आप क्वेश्चन के द्वारा सूचना मांगिये । सब सूचना मैंने घोट कर तो पी नहीं है । इस समय सब सूचना दे सकूं, यह सम्भव नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : खपत के आधार पर स्टोर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब हैं, सरकार के पास हैं, जनता के पास हैं । उस पर नियंत्रण कैसे करना है उस पर विचार कर रहे हैं । अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाय, उसके लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, यह जो भारत सरकार की नीति है, उसके अनुसार समूचे देश के प्रश्न को सामने रख कर और विचारधाराओं को सामने रख कर प्रश्न को हल करने के लिए भारत सरकार चिन्तित है । सरकार ने कदम उठाये हैं और इनके अलावा और कोई कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो उनको उठायेंगे । इसलिए फिलहाल जो प्राइसेज़ का असर चाहे सरकारी कर्मचारियों पर हो, चाहे मजदूरों पर हो, चाहे किसानों पर हो या किसी पर हो और उससे परेशान देश के लोग हों तो उसके प्रति सरकार को चिन्ता न हो, ऐसी बात नहीं है । हमें उसको रेगुलेट करना है । इसके लिए देश के सारे लोगों को कन्सल्ट करना पड़ेगा क्योंकि पालिसी डिसीज़न करना है इसलिए सलाह करनी पड़ेगी, सबके मन्तव्य लेने पड़ेंगे । यह एक प्रजातांत्रिक तरीका है । ऐसा नहीं है कि एक चीज करने जा रहे हैं तो एक आदमी जैसा चाहे वैसा निर्णय ले ले । न तो इस प्रकार का संविधान में प्रावधान है और न कर सकते हैं । तो जो खाद्यान्न नियन्त्रण के बारे में, नीतियों के बारे में मुद्दे उठाये गये, उसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

गुड़ और शक्कर....

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इजाजत दें तो मैं पांच मिनट और कह दूं । मेरे ख्याल में जो छोटी छोटी चीजें कहीं गई हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, वह इस समय नहीं उठानी चाहिए थीं और कट मोशन के समय उठाते तो अच्छा रहता । जो मुद्दे उठाये गये हैं डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, किसी ने कहा, राजस्थान कैनाल के मजदूर बाहर चले गये, किसी ने कहा मजदूरी नहीं मिली । श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने कहा कि १२ स्कीम्स की लिस्ट लिखी हुई है, उसमें उसको लिया नहीं, या मेरे ख्याल से उन्होंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं । हमने उसमें लिखा है कि हम सर्वे सर्वे ही करेंगे । उन्होंने वगैर पढ़े ही इस बात को पूछ लिया कि आपने कामों को हाथ में लिया या नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने कहा है और साफ लिखा है कि हम सर्वे ही करेंगे तो हाथ में लेने का प्रश्न पैदा कैसे हो सकता है ।

इसी तरह से चम्बल के बारे में जनसंघ के सदस्य ने कहा कि वहां पर १६ लाख रुपया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खर्च हुआ है, मगर लोगों को इससे कोई सहूलियतें नहीं मिलीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि १ लाख एकड़ जमीन सिंचित हुई और वहां खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा हैं-इसके बारे मे आपने कोई जिक्र नहीं किया। आप यही कहते है कि नालियों पर पानी बहने लग गया और किसानों की गाडियां फंसने लग गई-इसके बारे में सरकार जागरूक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में सतर्क और जागरूक है। सरकार ने वाटर लोगिंग के बारे में ४॥ हजार एकड़ का सर्वे कराया, उसमें जहां ० फुट से १० फुट वाटर लेवल है उसका चित्र भी हमारे सामने है। इसके अलावा इसमें १० या ११ करोड़ रुपये को धन–राशि खर्च होगी। इसके लिये समय चाहिये। पुलियां बनाने, सड़कें आदि बनाने की योजना है। १६ लाख रुपयों की धन–राशि मुकर्रर हुई है उसमें से ११-१२ लाख की धनराशि हम खर्च कर चुके हैं। हम खुद किसानों की डिफिकल्टीज़ को महसूस करते हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि किसानों को भी, जब हम १६–१६ करोड़ रुपया उनकी भलाई के लिये खर्च करें, दो पैसे हमको देने चाहिये। उनका भी यह फर्ज होता है कि वे भी सरकार को दो पैसे दें। आपको किसानों उनको को भड़काना नहीं चाहिये बल्कि आपको समझाना चाहिये। वे यह कहें कि उनकी गाडियां फंस जाती हैं इसलिये वे दो पैसा भी नहीं देना चाहते हैं। इसके लिये आपको उन्हें नहीं भड़काना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने अपने बजट में यह रख दिया है कि हमने इसको छोड़ दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने प्रश्न के जवाब में पहले ही साफ समझा दिया। जो हमको किसानों को राहत देना है, देते हैं और जो उनसे लेना है वह सुविधा दे कर उनसे वसूल करना ही है। हम इन्स्टालमेंट में वसूल कर लेंगे। इसके अलावा छोटी-मोटी बातों का जवाब सदन में कभी भी दे दूंगा। इसके लिये ज्यादा चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। कट-मोशन के जरिये जो बातें सदन में आवेंगी उनका जवाब उस वक्त दे दिया जावेगा। अगर कट-मोशन में कोई मुद्दे नहीं भी उठाये जावेंगे और जवाब देना जरूरी होगा तो दे दिया जावेगा। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : योजना मंत्री।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि योजना मंत्री कुछ समस्याओं पर अपनी राय जाहिर कर दें तो आपको उन मुद्दों पर कहने का अवसर मिलेगा। कल हो सकेगा तो १२ बजे तक कर सकेंगे। उसमें जिन माननीय सदस्यों का समय बाकी है उन सब को समय देने का प्रयत्न किया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : योजना मंत्री के बोलने के बाद आप बात कर लें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : घर जाकर तो कोई बात नहीं करेंगे। बात तो यहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप किनसे स्पष्टीकरण करना चाहते हैं।

आप जिस वक्त बोलें उसी वक्त स्पष्टीकरण करा लीजिये।

एक माननीय सदस्य : क्या आप यह चाहते है कि हम उनको इन्ट्रप्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : If you like to interrupt your own Ministers, you can.

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं कल इस बजट की बहस में हिस्सा लेता लेकिन कल लेट जयनारायणजी व्यास की डेथ एनिवरसरी होने के कारण कुछ बातें आज कहने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल आपको छुट्टी कर देनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कृषि मंत्री के भाषण के बाद में बहुत ज्यादा आंकड़ों में जाना पसन्द नहीं करूंगा, क्योंकि सदन को एक दफा मौका मिलेगा और सदन चाहेगा कि हमारे यहां जो कट-मोशन्स होंगे उन पर चर्चा हो तो उस समय बहुत विस्तारपूर्वक हर आइटम पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी कॉपी तो सदस्यों को पहुंचा दें।

श्री मथुरादास माथुर : आपको मिल जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास तो पहुंच गई है।

श्री मथुरादास माथुर : आपके पास तो पहुंच गई है मगर वह सबके पास पहुंच जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में मैं यह निवेदन करना पसन्द करूंगा कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को भारत की अर्थ व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। आज के स्ट्रक्चर के अन्दर राजस्थान की economic position और राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को नहीं देख सकते। राजस्थान के बजट या राजस्थान प्रान्त की योजना या इस देश के प्लान की योजना से इस देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जो उत्पादन होता है उसका सिर्फ १७ प्रतिशत ही है। जो योजनाएं हम बनाते है उससे हमारी इन्कम हो-उसके बारे में बहस चलती है। बाकी ८३ पर्सेन्ट हमारे पर्टीक्यूलर सेक्टर्स से-चाहे वे खेती में हों, चाहे ट्रेड में हों या और कोई मुख्तलिफ तरीके हों-उनसे आमदनी पैदा होती है। बजट सिर्फ एक हमारी स्टेट या भारत का इस बात का हिसाब करता है। यह एक एक्सीलरेटिंग एजेन्ट है, यह स्वयं अपने आप में पूरा नहीं है। इसलिये इस पर देश के गरीब और अमीर लोगों को निर्भर होना अच्छा नहीं। हम इस बात की कोशिश करते हैं और मुझे शुरू में इस बात को कहने में कोई एतराज नहीं है कि आंकड़ों का विभाग है, स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट, जिसकी रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, ६ या ७ वर्षों से यहां काम कर रहा है। और अभी इसका विस्तार इतना नहीं हो चुका है जिसकी वजह से हम आपको यह आंकड़े दे सकें कि सारे देश

(श्री मथुरादास माथुर)

की क्या आमदनी है। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके जरिये से हम आमदनी पैदा करते हैं उसके आंकड़े पेश करते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जितने आमदनी के आंकड़े जानने की आवश्यकता है वह हम न तो यहां पर इकट्ठे कर पाये हैं और न भारत सरकार में भी आपको उपलब्ध होंगे। यदि मुझसे यह प्रश्न पूछ लिया जावे कि कितनी इन्कम राजस्थान के बजट से पैदा होगी और कितनी पर्सेन्ट इन्कम होकर आगे आमदनी बढ़ाने में काम आवेगी तो मैं खुद नहीं बता सकता। हल्के हल्के हम सेल्फजनरेटिंग इकानामी पैदा कर पावेंगे। तो ये आंकड़े बताना मुश्किल है इस बात को हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी जो सारा ट्रेन्ड है उसको देख कर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। कभी कभी कुछ आंकड़ों में हजार दो हजार में ऊंच-नीच हो सकती है। और उनको ही यहां पर कोट करने पर यह कहा जाता है कि सरकारी आंकड़े गलत हैं। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार से कहना सरकार के साथ अन्याय होगा।

इसलिए मैंने शुरू में आपके सामने इस बात को रखा है ताकि माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में गलतफहमी न हो।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार इस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने रखती है तो यह हमारे साथ भी अन्याय होगा।

श्री मथुरादास माथुर : जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं वे तो ठीक हैं पर जो ट्रेन्ड्स हैं, उनके आधार पर आप कहें कि राजस्थान की कितनी पर्सेन्ट आय है, कितना पर्सेन्ट डेड केपिटल है, कितनी सेविंग है, कितना इन्वेस्ट हो जाता है, कितनी फरदर ग्रोथ ऑफ इकोनामी करेंगे? तो इस सबके बारे में मैं नहीं कह सकता। सोशल इफेक्ट ऑन सोसायटी जब तक नहीं हो जाता-यह बताना मुश्किल है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : तो फिर इसकी जानकारी के साधन क्या हैं?

श्री मथुरादास माथुर : जो मैंने पॉवर लिमिटेशन्स और फिस्कल लिमिटेशन्स है उनको देखते हुए विस्तार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पर अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाये हैं कि इन सब चीजों को रख सकें। पूरे आंकड़े हमारे सामने हों तभी रख सकते हैं, फिर भी ट्रेन्डस को देख कर कन्क्लूजन्स निकाल कर हम आपके सामने रखते हैं। यह बात शुरू में मैंने इसलिए रखी है कि माननीय सदस्यों को गलतफहमी नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो आंकड़े सरकार की तरफ से अब तक दिये जाते हैं उन आंकड़ों के बारे में क्या यह मान कर चलें कि ट्रेन्डस पर आधारित हैं, ऑथेंटिक नहीं हैं?

श्री मथुरादास माथुर : आप यहां नहीं थे। मैंने अभी बताया जो ट्रेन्डस के आधार पर हम कह सकते हैं और हमारे पास आंकड़े है, जो आंकड़े देते हैं वे तो सही हैं, पर कितनी इन्कम राजस्थान को हुई, कितना वेस्ट गया, कितना डेकेपिटल है, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना फरदर ग्रोथ इकॉनोमी का करेंगे-यह आंकड़े नहीं हैं। इससे सोशियलोजिकल इन्टिग्रेशन के बारे में तथ्य निकाल सकते हैं। पर-केपिटा इन्कम हम सिम्पल सर्वे कराके निकालते हैं या टोटल

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्कम है उसके आधार पर निकालते हैं। ये दो फिगर्स हैं इनसे जो टोटल फिगर्स राष्ट्र के बनते हैं उन्हीं का रेटियेबल डिस्ट्रिब्यूशन कर देते हैं। कन्सेन्ट्रेशन ऑफ केपिटल यदि ज्यादा है कुछ व्यक्तियों के हाथ में तो भी हम तो कह देंगे कि इतना पर—केपिटा इन्कम है। हमारे राजस्थान में कन्सेन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ कम है because of lack of industrilisation. हमारे यहां concentration of wealth in hands of fewmen है, वह बहुत कम है। ७५ पर्सेन्ट करीब करीब एक जैसी आय है। राजस्थान की पर-केपिटा इन्कम के फिगर्स इसलिए फिर भी ठीक हैं in comparison of other States. हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की अदर स्टेट्स से कम्पेरेटिवली हमारे फिगर्स ठीक हैं क्योंकि हमारे यहां कन्सेन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ बहुत कम आदमियों के हाथ में है।

श्री भैरोंसिंह : अपनी इन्कम में मेजर पोर्शन ४८ पर्सेन्ट एग्रीकल्चरिस्ट्स का है, ५२ पर्सेन्ट अदर पॉपुलेशन का है। तो ४८ की वैल्थ पर कब्जा रखती है जो २८ पर्सेन्ट पॉपुलेशन बचती है उसमें वैल्थ कन्सेन्ट्रेट हुई। ५२ पर्सेन्ट जो नेशनल इन्कम है वह २८ पर्सेन्ट लोगों के हाथों में रह जाती है, तो क्या आप इसे कन्सेन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ नहीं मानते ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि राजस्थान में कन्सेन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ बहुत कम लोगों के हाथ में है। राजस्थान स्टेट की इन्कम है उसका ब्यौरा मैं आपके सामने रखता हूँ :

"Agriculture	25.69%
Animal Husbandry	11.88%
Mining and Factories	2.32%
Commerce and Transport	20.48%
Other Sectors	39.63%

यह पर्सेन्टेज़ है। और राजस्थान की इकोनामी में कन्ट्रीब्यूट्री फैक्टर्स हैं, एनीमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़। इन सब बातों को गौर से देखें तो हमारी ७२ पर्सेन्ट पॉपुलेशन नेशनल इन्कम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो मैं कम्पेरेटिवली कहता हूँ, जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ट्रेन्ड्स के आधार पर ही राजस्थान के पर-केपिटा इन्कम फिगर्स आते हैं। जो फिगर्स ट्रेन्ड्स के आधार पर या सिम्पल सर्वे के आधार पर आते हैं, वे इतने गलत नहीं हो सकते। ऑल इन्डिया, महाराष्ट्र बंगाल और मद्रास से हमारा कन्सेन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ इन फ्यू हेंड्स बहुत कम है इसलिए इन कम्पेरिज़न टू अदर्स हमारे पर-केपिटा इन्कम फिगर्स ठीक हैं। माननीय उपाध्यक्ष, यह सब बातें इस लिए निवेदन करनी पड़ी हैं कि बजट के वक्त वित्त मंत्री से जैसी कि आशा की जाती है उन्होंने इस बजट में जो आंकड़े, खास तौर से रिव्यू ऑफ बजट दिया है, उसमें काफी आंकड़े दिये हैं, वे माननीय सदस्यों को वितरित किये जा चुके हैं, उन आंकड़ों में न जाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप स्टडी करके कन्क्लूज़न्स निकालें।

बजट की जनरल बहस में जो हमारी फिस्कल पॉलिसी के बारे में कहा गया, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हमारी फिस्कल पॉलिसी ऑल इन्डिया की फिस्कल पॉलिसी से अलग नहीं हो सकती। चाहे पॉलिटिकल हो या इकॉनोमिकल हो, राजस्थान के वित्त मंत्री की कोई अलग फिस्कल पॉलिसी हो—ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार के पास साधन कम हैं, भारत सरकार के पास साधन बहुत हैं, वह राजस्थान सरकार को देना नहीं चाहती।

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने जो कहा उस वक्त मैं भी मौजूद था। उन्होंने यह कहा कि राजस्थान के मुकाबले भारत सरकार के साधन बहुत ज्यादा हैं और इस कारण भारत सरकार ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं समझता हूं, ऐसी सुपरफ्लुअस बात है जो कॉमन मैन जनता है, ले—मैन जानता है कि भारत सरकार के पास राजस्थान सरकार के मुकाबले साधन ज्यादा हैं। इसको बजट भाषण में कहने की क्या आवश्यकता वित्त मंत्री को पड़ी ?

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने जब कहा था मैं भी मौजूद था। उन्होंने यह कहा कि भारत सरकार बमुकाबले राजस्थान सरकार के ज्यादा रिसोर्सफुल होने से कम्पेरेटिवली ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती है, हमारे रिसोर्सेज़ इतने नहीं हैं इसलिए हम नहीं दे सकते। जयपुर में जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं उनको भारत सरकार ज्यादा बेनिफिट दे सकती है और राजस्थान सरकार के कर्मचारी जयपुर में हैं उनको राजस्थान सरकार उतना नहीं दे सकती। इस प्रकार की डेस्पेरिटी होती है तो सरकारी कर्मचारियों में असंतोष होता है। आप और समझ गये हों तो वह अलग बात है।

यह जनरल बात कहने के बाद मैं निवेदन करूं कि सदन के अन्दर तीन तरह की आवाज उठती है। मेरे सामने, ठीक सामने बैठने वाले माननीय सदस्य और उनके नेता ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने भाषणों में कही और सदन के बाहर कहते हैं, वह एक आवाज है। मुझे बहुत खुशी हुई यहां उनकी बात सुन कर। मैंने तो उनके बंगलोर के प्रस्ताव को पढ़ा है, वह तो प्लान्ड-इकॉनोमी के खिलाफ है। हमारी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन है। उनकी प्रायोरिटी क्या है, यह वे बतायें। अलग अलग विचारधाराओं में देश बंटा हुआ है। सबके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं। देश के चाहे वे भूतपूर्व नरेश हों, चाहे केपिटलिस्ट्स हों, चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के कारण सोसायटी अपने मुकाम को बमुकाम कायम रखना चाहती है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : हेवी इन्डस्ट्रीज़ के द्वारा...

श्री मथुरादास माथुर : आप तो बैठ जाओ। जुम्मे जुम्मे चार दिन हुए हैं आपको स्वतन्त्र पार्टी में गये हुए, आप नहीं समझते इसकी पॉलिसीज़ को।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं तो इसमें जाकर भी नहीं समझ पाया तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो इत्तफाक है कि उधर चले गये हो। आज उधर हो, कल इधर चले आओगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपके पास कोई नक्शा है ? आप तो इसी घर में पैदा हुए थे, कोई बात नहीं अब उधर चले गए।

Page No. 102

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पहले कहां थे ?

श्री मथुरादास माथुर : पहले कांग्रेस में थे ।

श्री मुरलीधर व्यास : इतने वर्षों का सबंध है ।

श्री मथुरादास माथुर : इनकी कुछ मजबूरियां होंगी । हमारे पास तो आ सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : धर्मशाला है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह बजट संबंधी बातें नहीं हैं । माननीय सदस्य मुझे माफ करें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अच्छा है कि आप भी मेरे तजुर्बे से फायदा उठा लें ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो फायदे में हूं । नुकसान में तो आप हो जायेंगे । Why should I waste the time ? स्वतंत्र पार्टी की नीति फ्री फोरम की नीति है । लेसी.फेयर की नीति है । उनका लिट्रेचर जितना निकलता है उनके लिए जो देश के पुराने कन्ज़रवेटिव इकॉनॉमिस्ट्स हैं उन लोगों को एन्गेज कर रखा है । वे ही लोग बनाते हैं । स्वतंत्र पार्टी के मॉरेल्स क्या हैं ? मॉरेल्स नहीं हैं । यह कौन सी बातें कहते हैं ? अभी हमारी रानी गायत्रीदेवी ने बेंगलोर में भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस वाले तीन आर्स (R's) चाहते हैं । पढ़ाई के लिए तीन आर्स कहते हैं । लेकिन उन्होंने तीन सीज़ (C's) की बात कही । एक कम्यूनिज्म और दूसरी करप्शन । कम्यूनिज्म के बारे में उस पार्टी के लोग ही जवाब दें । दोनों एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, अपने आप फैसला करें । जहां तक करप्शन का सवाल है, ये लोग पब्लिक लिज्म के ...

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : इस मामले में आप उनके साथ हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो साथ नहीं हैं क्योंकि उनमें और हम में फर्क है । वे तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, फ्री एन्टरप्राइज़ में, फ्री फॉरम में विश्वास रखते हैं, हम डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म में विश्वास रखते हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : डेमोक्रेसी क्या और डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मालूम पड़ जायगा । वहां पर जो मसानी, राजगोपालाचार्य, रंगा और गायत्रीदेवी के भाषण हुए—मैंने चारों के भाषण पढ़े हैं । आपने नहीं पढ़े होंगे । उन्होंने खास तौर से इस पर प्रस्ताव पास किया है । कम्यूनिज्म और हमारे बीच में अन्तर है । आपका और हमारा मुकाबला नहीं हो सकता । हम प्लानिंग में विश्वास करते हैं । ये लोग हमसे कहते हैं कि कुर्बानियां करो । हम तो कुर्बानियां करेंगे, हमने बहुत की हैं, लेकिन आप उन बड़ी रकम पाने वालों से पूंछो जिन पर १६ लाख रुपये का प्रीवीपर्स के रूप में खर्च होता है, कि आप कुर्बानियां करोगे ? खुद तो शीशे के मकान में बैठते हो और दूसरों के मकानों पर पत्थर फेंकते हो ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप क्यों नहीं बन्द करते ? यह आपकी कमजोरी है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : स्वतंत्र पार्टी का प्रीवीपर्सेज़ से क्या ताल्लुक है ? Swatan-

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

tra Party is not concerned with Privy purses. It is a private agreement between you and the Rulers.

आप पहले राजा हरिश्चन्द्र का प्रीवीपर्स तो बन्द कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें राजा हरिश्चन्द्र भी शामिल हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : और महारानी ग्वालियर भी।

श्री मथुरादास माथुर : आपको याद है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने अपील की जब देश में एमर्जेन्सी थी कि प्रीवीपर्सेज़ का कुछ पोर्शन सरेंडर कर दो, तो उस अपील के जवाब में राजा हरिश्चन्द्र ने ही किया और किस ने किया ? लाखों रुपये के तो इलेक्ट्रिक बिल्स होते हैं और फिर लड़ते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप स्वतन्त्र पार्टी को बीच में क्यों लाते हो ?

श्री मथुरादास माथुर : आप अभी तक नए मुसलमान हो। मैं भी तो आपकी बातों को सुन रहा था। आप भी सुनिए। आज आप चाहते हो कि कुंआ भी चाहिये, सड़क भी चाहिये। आपने कभी भी यह कहा कि आप लोग प्लॉनिंग के पक्ष में हो या आपकी ये प्रायेरिटीज़ हैं। कहते हैं कि स्टील प्लान्ट्स क्यों बनाए ? देश में बेसिक इंडस्ट्रीज़ के लिए नींव डालनी पड़ेगी। हमारी औलाद क्या कहेगी। कहेगी कि बुजुर्ग कार्ट वाली इकॉनोमी हमारे लिए छोड़ गए और प्रॉग्रसिव इकानोमी नहीं छोड़ी, इसलिए हमारे जो प्लान हैं वह सोशियलिस्ट प्लान भी हैं। सिर्फ इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट इकॉनोमिक प्लान नहीं हैं, जो टार्गेट्स हैं वे अल्टीमेटली सोशियलिस्ट प्लान में आएंगे। आज कोई बुजुर्ग मकान लेता है या बनाता है कर्जा लेकर भी वह मुश्किल से कर्जा चुका पाता है। लेकिन मकान सिर्फ इसलिए बनाता है कि मेरी औलाद आराम से रहेगी। आज हमने कर्ज उठाये हैं, तकलीफ उठाई हैं, सिर्फ इसलिए कि आने वाला हिन्दुस्तान आराम में रहे और हमारा तिरंगा झंडा दुनियां के सामने ऊंचा उड़ता रहे।

मैं प्लान के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उस दिन एक माननीय सदस्य ने कहा था कि चल्लू भर पानी में डूब मरो। हम तो समुद्र में जायेंगे लेकिन तैरने के लिए जायेंगे। लेकिन आपका जो राजा था पहले वह तो चुल्लू भर पानी में डूबे। अपने ही राज्य में दो बार चुनाव हार गया। डेमोक्रसी में हार जीत होती रहती है। विरोधी दल के नेता और उनके चीफ व्हिप साहब बड़े जोर जोर से गला फाड़कर चिल्लाते हैं कि हम महुआ के चुनाव में हार गए। आपके राजा साहब क्यों हार गये। उनके लिए कौन सा पानी बताएं जिसमें डूबे ? मेरे पास कोई शब्द नहीं है।

आप स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपके मूलभूत सिद्धांत में फर्क है। आखिर आप क्या चाहते हैं ? मैं पूछना चाहता हूँ बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से, लिगनाइट को किसी पूंजीपति को दे दें। मन्जूर है ? वह रहेगा नहीं।

(१.०० म० पू०)

(श्री मथुरादास माथुर)

लिग्नाइट को हमें माइन करना पड़ेगा। उसमें सो किलोवाट का थर्मल प्लान्ट लगाने का राजस्थान सरकार प्लानिंग कर चुकी है। उसका जितना पैसा होगा, उससे मजदूरों को फायदा मिलेगा और उसके साथ साथ वह सरकारी खजाने में आयेगा। उससे स्कूल और अस्पताल खुलेंगे। आपके कहने के हिसाब से टैक्स और इन्कम टैक्स हम को मिल जाते हैं। लेकिन बीस तीस पर्सेन्ट जो मुनाफा बचता है वह हमको नहीं मिलता है, वह उनके खजाने में चला जाता है। यह फर्क है सोशिलिस्टक पैटर्न और केपेटेलिस्ट पैटर्न में। सरकार सोशियल वेलफेयर में खर्च करना चाहती है आप उसके विपरीत हैं। इसलिए आप में और हम में बहुत फर्क है। बड़ा मतभेद है इस मायने में। देश की गाड़ी को हम उस पुरानी बैल गाड़ी के जमाने में नहीं ले जाना चाहते हैं। जब विकास की गाड़ी चालू हो जाती है तो उसके ब्रेक नहीं होते हैं। एक्सेलेटर होते हैं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : चाहे वह फिर खड्डे में गिरे !

श्री मथुरादास माथुर : एक दफा मसानी साहब ने कहा था Let us have holiday in planning"

प्लानिंग में होलिडे नहीं होता है। मिडिल स्कूल बना है तो वहां हाई स्कूल की मांग आयगी, हाई स्कूल बन गया तो कॉलेज की मांग आयगी।

श्री केसरीसिंह : यह सारा रख दिया। एक नहीं बना रहे हो। प्रॉविजन नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : प्रॉविजन नहीं है इसलिए नहीं है कि पहले हमने यह फैसला किया है कि जो चीजें बढ़ गयी हैं उनमें पहले इम्पलीमेंट्स और अन्य बातों में बढ़ोत्तरी कर दें और उनको अच्छा बना दें ताकि काम विशेष तौर से अच्छा चले। विकास की गाड़ी चल पड़ी है वह रुकने वाली नहीं है चाहे जितने ब्रेक लगाये जांय।

मैं एक समस्या का जिक्र करूंगा और अधिक समय सदन का नहीं लूंगा।

मैं मानता हूं कि जब बजट पेश किया गया उस वक्त हमारे राजस्थान में दो परछाइयां पड़ रही थीं। उसका जितना रंज और गम विरोधी दल के माननीय सदस्यों को है, उतना ही, ज्यादा नहीं तो, इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी है। एक तो है अकाल और दूसरी है बढ़ते हुए भाव। दो चीजें ऐसी हैं कि हमारे वित्त मन्त्रीजी ने कुछ भी घोषणा की हो, वे इस वक्त असर नहीं डाल पाती हैं। और इसके कारण हैं। मैं बढते हुए भावों की ओर अर्ज करना चाहता हूं। भाव बढ़े हैं और खास तौर से फूड ग्रेन्स के भाव बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब किसी बेसिक चीज के भाव बढ़ते हैं तो दूसरी चीजों के भाव भी बढ़ते हैं। ये दोनों कॉर्डिनेटेड और इन्टीग्रेटेड हैं। बीच के सर्किल में फंस जाते हैं। यह बात सही है कि प्लान की वजह से करोड़ों रुपये अर्थ व्यवस्था में डाला जाता है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होना मामूली बात है। चाहे किसी भी कन्ट्री ने अपने देश का विकास किया हो उनको भी इसका सामना करना पडा है, चाहे आप रूस को ले लीजिये।

(श्री मथुरादास माथुर)

वह भी उसी चीज से गुजरा है जिस चीज़ से हम गुजर रहे हैं। फर्क इतना है कि यहां डेमोक्रेसी है। इस मुल्क में कहना पड़ता है, और उस मुल्क में कहना नहीं पड़ता है। यह भी एक चीज है, हम कहते हैं तो भी हमें गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी तकलीफ आती है, सोशियलिस्टक इकोनोमी है, एक प्लान्ड इकोनोमी है, इसमें देश को आगे बढ़ाने का पैदाइशी दर्द है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir! आपने फरमाया कि अकाल की वजह से कीमतें बढ़ी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा है कि दो परछाइयां हैं जिनमें से अकाल भी एक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि अनाज पैदा नहीं हुआ और आया नहीं उससे पहले जो अनाज था उसका किस प्रकार पैसा बढ़ गया है ? उसकी कीमतें कैसे बढ़ सकती हैं ? इस पर बोलिये ना।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय इन्फ्लेशन की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्लान्ड इकोनोमी में विश्वास करते हैं तो यह बतायें कि भाव बढ़ते हैं तो उनको किस प्रकार रोका जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : जरा आप सब्र रख लीजिये। मैं सारे पाइन्ट्स कवर-अप कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन प्लान्ड इकोनोमी में कुछ होता है इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। ज्यादा मनी मार्केट में आवेगा तो इन्फ्लेशन होगा। वह पर्सेन्टेज तो मान कर चलना चाहिये। फिर उसको मिटीगेट किया जा सकता है ज्यादा प्राडक्शन बढ़ा करके। ज्यादा प्राडक्शन होने और कन्ज्यूमर्स की नीड पूरी हो जाने से चीजें सस्ती हो जाती हैं यह इकोनोमी का लॉ है। १९६२-६३ और १९६३-६४ में क्या हुआ ? जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि खरीफ की फसल फैल हो चुकी है। वह निश्चित बात है कि गत २५ वर्ष में ऐसा दुष्काल नहीं आया। जब खरीफ फैल हो चुकी तो कमॉडीटीज़ की पोटेन्शियलिटी दुगनी ड्योढ़ी होनी चाहिये। लेकिन ज्यादातर हमारा नेचरल प्रॉडक्शन खरीफ पर निर्भर करता है। अगर थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि पोटेन्शियलिटी के अन्दर मेन्योर हो गया और दूसरी चीज़ हो गयीं तो भी अगर बरसात नहीं बरसी तो सिवाय इर्रीगेटेड एरिया के बाकी के हिस्सों में प्राडक्शन कम होता है। आने वाली फसल पर भी उसका असर पड़ता है और नेचरली बीच में भाव बढ़ जाते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आगे पैदा होगी तब की बात है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस पॉइन्ट को पूरा कर लूं।

इसलिए खरीफ के फैल हो जाने के बाद मार्केट का ट्रेन्ड देखा है। इन्डेक्स भी देखे हैं। नवम्बर और दिसम्बर-जनवरी में प्राईसेज राइज हुई हैं। लीविंग इन्डेक्स बढ़ा है। खास तौर से फूड-ग्रेन्स का। इसका एक फेक्टर फेल्योर ऑफ खरीफ क्रॉप है। दूसरा कारण यह है कि नवम्बर में कोल्ड वेव आ गयी।

(श्री मथुरादास माथुर)

रबी की फसल अभी आयी नहीं है। जैसा कि ट्रेन्ड था उससे अनुमान नहीं था कि ऐसा हो जायगा और वह भी पूरी फेल हो जायगी। लेकिन लोगों के माइन्ड पर एक साइक्लोजिकल असर होता है—वह हुआ। दूसरा यह फैक्टर रहा। तीसरा इफेक्ट वह हुआ कि ट्रेड का कॉपरेशन कम्पलीटली बन्द हो गया। चीन का हमला हुआ, विजिलेन्स कमेटियों की बात चली तो ट्रेड का कॉपरेशन था। जब चीनी आसाम के नजदीक पहुँच गया, २० मील तेजपुर से दूर रह गया और घबड़ा कर लोग भाग रहे थे उस वक्त देश की मजबूती के कारण, मैं शुक्र गुजार हूँ, ट्रेड का कॉपरेशन मिला। उसके बाद यह बन्द हो गया। एक तो यह कहते हैं कि एमर्जेन्सी केवल कागजों पर रह गयी और दूसरी बात यह हो गई कि कांग्रेस ने भुवनेश्वर में यह कह दिया कि स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिए। राइस में तो शुरू भी कर दिया है। मिलों को नेशनलाइज कर दिया गया है। डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म का जो प्रस्ताव था उसके अंग रूप यह हुआ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आपको यह महसूस नहीं हुआ कि कल ही घनश्यामदासजी बिड़ला ने कहा है कि यह तो कांग्रेस के लोगों का स्लोगन है। इनको तो कोई स्लोगन चाहिये ही। यह उन्होंने वहां कहा है जहां कल आपके मुख्य मंत्री मोहनलालजी सुखाड़िया भी बैठे हुए थे।

श्री मथुरादास माथुर : यह घनश्यामदासजी बिड़ला कह सकते हैं। मथुरादास माथुर नहीं कह सकता। मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : १५ लाख रुपये की जमीन १ रुपये प्रति वर्ष किराये पर दी है।

श्री मथुरादास माथुर : घनश्यामदासजी बिड़ला कब कहेंगे कि हम कॉपरेशन नहीं देते हैं!

श्री मानिकचन्द सुराणा : उन्होंने अपने भाषण में सरकार की बहुत तारीफ की है और सुखाड़ियाजी बहुत सहयोग देते हैं उनकी भी तारीफ की है। साथ ही लोक-सभा में भी अच्छे मेम्बर भेजने की अपील की है।

श्री मथुरादास माथुर : देंगे। आप भी खूब तारीफ करें। लेकिन आप क्रिटिसाइज भी करेंगे तो भी हमें एतराज नहीं है। करिये। यदि आप हमारी तारीफ सुनते हैं तो आपको जलन क्यों होती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बिड़लाजी ने कहा है कि पार्लियामेन्ट में ऐसे आदमी न भेजें जो देश की हवा खराब करते हों। यह उन्होंने मुख्य-मन्त्री सुखाड़ियाजी को सलाह दी है।

श्री मथुरादास माथुर : समय थोड़ा है। आप मेरी बात सुन लीजिये।

चेम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को पार्लियामेन्ट में भेजना चाहिये। वे चाहे कुछ कहें हमें उसमें क्यों एतराज होना चाहिये। आखिर भेजने वाले तो वे हैं नहीं। वोट देने वाले जानते हैं उनके कहने से तो कोई जानता नहीं है। आप भी दम्भाणी या सोमाणी की वजह से तो यहां नहीं आये हैं.... ...

Page No. 107

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमारे आने का सवाल ही कहां उठता है। आप ही के लोग आते हैं........

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : जो इधर उनके बल-बूते पर आये हैं उनको भी तो आप ले गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कौन किसके बल-बूते पर आया है। आप भी इधर से ही गये हैं उधर। आप भी आ जायेंगे धीरे धीरे इधर।

मैं अर्ज कर रहा था ट्रेडर्स का कॉपरेशन दो वजूहातों से नहीं मिला। एक तो उन्होंने एमर्जेन्सी को नजर अन्दाज कर दिया........

श्री भैरोंसिंह : आप इधर उधर की बातों में मत जाइये, आप तो यह बतलाइये कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में इन्कम कम क्यों हुई है? ये बातें तो कृषि मंत्री जी बता चुके हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं वह भी निवेदन कर दूंगा लेकिन जो समस्या रखी गई उस पर जरूर कुछ कह देना चाहता हूँ। खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों का हल सदन को करना होगा। जो यहां फैक्ट्स नरेट किये गये उनके बारे में भी मुझे कहने की आवश्यकता है। एक तो ट्रेडर्स ने एमर्जेन्सी को नजर अन्दाज कर दिया और दूसरा रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया कि उनके जो एप्रूव्ड डीलर्स थे उनको फेसीलिटीज देनी शुरू कर दी। उससे भी अनाज की कीमतों पर असर पड़ा। अब रिजर्व बैंक ने यह अनाउन्स कर दिया है कि जो फेसीलिटीज वे डीलर्स को देते थे वे फेसीलिटीज उन्होंने विथड्रा कर लीं। इन दो कारणों से ट्रेडर्स की होल्डिंग केपेसिटी बढ़ गई थी और उन्होंने अनाज को होल्ड कर लिया।

चौथी बात यह होती है कि जो अनाज का प्रॉडक्शन हमारे यहां पर होता है उसको हम दूसरी जगह जाने से रोक नहीं सकते क्योंकि इस बारे में सेन्टर पॉलिसी निर्धारित करता है। ऐसी हालत में जब हम उसको भी रोक नहीं सकते तो इससे हजारों टन अनाज हमारा बम्बई और अहमदाबाद गया है। ये सब फेक्टर्स हैं जिनका सम्मिलित प्रभाव अनाज के भावों पर पड़ा है। दूसरा पॉपूलेशन की बढ़ोतरी भी इसका कारण रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप यह बतलाइये कि रिजर्व बैंक के ओवर-ड्राफ्ट डीलर्स को देने से मिडिल मेन को कितना रुपया बचा है, ब्लेक मार्केट में कितना रुपया गया है? क्या आप उसके आंकड़े बता सकते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : वे आंकड़े मेरे पास तो हैं नहीं लेकिन इससे अन्दाज लगा सकते हैं। अगर आपको एप्रूव्ड डीलर्स की संख्या मालूम है जो अनाज को डील करते हैं तो जिस समय उन्होंने अनाज खरीदा था उस समय के भावों में और आज जिस भाव में बेच रहे हैं उसमें जो डिफरेन्स आता है उससे अन्दाज लगाया जा सकता है। लेकिन ये फिगर्स हमारे पास नहीं हैं। इसीलिये मिडिल मेन को एलीमिनेट करने के लिए कॉपरेटिव्ज बनायी जाती हैं। यह भी शिशु अवस्था में होती है उसी अवस्था में इसमें खराबियां आ जाती हैं— तो यह बुरी चीज है। आखिर हमें इस बारे में कोई न कोई नीति निर्धारित करनी होगी। इसी के अनुसार हमने सस्ती अनाज की दुकानें खोली हैं—मिडिल मेन को एलीमिनेट किया जाय इसीलिये ये खोली हैं। इसके साथ साथ हम

(श्री मथुरादास माथुर)

इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां का अनाज बाहर इम्पोर्ट न हो फेमिन कन्डीशन्स को देखते हुए। इस कोशिश में हम लगे हुए हैं। ट्रेडर्स का कॉपरेशन किस प्रकार मिल सकता है, उसके बारे में क्या कदम उठाया जाय-इस बारे में कृषि मंत्री जी और राजस्थान सरकार विचार कर रही है। ये सब मामले तेजी से हल हों, इस प्रोबलम को हल करने के लिये हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो हमारा इस तरफ ध्यान आकर्षित किया, राज्य सरकार उस बारे में पहले से ही जागरूक रही है और है, जो फेक्ट्स हैं जहां तक जनरल फेक्ट्स का सवाल है उसको एलीमिनेट नहीं कर सकते। ह्यूमन फेक्टर्स को एलीमिनेट कर सकते हैं, भाव बढ़ रहे हैं उसको चेक करने की राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी। उसके लियेसख्त कदम उठाना पड़े भी तो नहीं हिचकिचायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप तो हमें यह बतला दीजिये अक्टूबर १९६३ से फरवरी १९६४ तक आपने डी० आई० आर० के तहत कितनों को प्रॉसीक्यूट किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : कइयों को किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितनों को किया; एक, दो, पांच ?

श्री मथुरादास माथुर : दो चार ही नहीं, बीस-पच्चीस को किया है। यह ठीक है कि किसी जिले में एक, तो किसी जिले में एक से ज्यादा लोगों को भी किया है। ये फिगर्स आप होम मिनिस्ट्री से मालूम कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अक्टूबर १९६३ से फरवरी १९६४ तक किसी को प्रॉसीक्यूट नहीं किया आपने, इसके लिये ऑर्डिनेन्स क्यों नहीं निकला ?

श्री मथुरादास माथुर : डी. आई. आर. में ऑर्डिनेन्स का प्रॉवीजन है उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। आज भी प्रॉवीजन है स्टाक जिसके पास ज्यादा होता है उसको बताना पड़ता है। नहीं बताता है तो उसके लिये प्रॉसीक्यूशन का प्रॉवीजन है। उसके तहत अमली कदम उठाने के लिए राज्य सरकार जागरूक है।

जयपुर से आने वाले मुखियाजी ने यह कहा कि हमारे पब्लिक सेक्टर के अन्दर आमदनी कम हुई है, हमारी आय कम हुई है। पब्लिक सेक्टर को राज्य में इस वक्त रिआर्गेनाइज़ किया गया। जहां कुछ कमॉडिटीज़ में आय कम हुई है वह इसलिए कि उस माल को हम इस बजट ईयर में सेल नहीं कर सके। जैसे नमक है। नमक हमारे यहां ४० लाख क्विंटल पचपदरा में पड़ा हुआ है। हमने जो रेट्स मुकर्रर कीं उसी के अनुसार बेचते हैं। बीच में क्या हुआ कि लीजेज जगह जगह मिल गये। बाद में फलोदी में प्राइवेट सेक्टर में नमक पैदा होने लगा। केमीकल एक्ज़ामिनेशन करवाया तो हमारा नमक उनसे सुपीरियर पड़ता है। जब प्राइवेट सेक्टर का नमक बाजार में आया और हम से कम भाव में आया तो मार्केट उस नमक को लेने लग गया। साल के शुरू में साल्ट के मार्केट में मन्दी आयी इसलिए हमारा जो ४० लाख क्विंटल नमक है वह पड़ा है।

इसी प्रकार डीडवाना में ८-१० लाख टन नमक पड़ा है। भाखरी के स्लेज में पड़ा है। सिन्दरी फर्टीलाइजर के बारे में एक कॉपरेटिव

(श्री माथुरादास माथुर)

से एग्रीमेंट था, लाइम स्टोन के बारे में उसने उसका ब्रीच कर दिया। उसके बारे में लीगल कार्यवाही चल रही है।

जहां तक नमक का सवाल है जो इस वर्ष नहीं बिका वह अगले साल में बिक जायगा और उसकी आय अगले साल के बजट में आ जायगी। तो जहां तक प्रॉडक्शन का सवाल है पब्लिक सेक्टर में प्रॉडक्शन गिरा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपका कहना है कि इस साल नमक का भाव कम है इसलिए हम बेच नहीं पा रहे हैं तो आप भावों के बढ़ने का इन्तजार कर रहे हैं। जब भाव बढ़ेगा तब आप नमक को बेचेंगे तो जो आपकी यह प्रवृत्ति है उसमें और व्यापारी की प्रवृत्ति में कोई अन्तर है?

श्री मथुरादास माथुर : प्रवृत्ति का इसमें कोई प्रश्न नहीं है भाव इतने गिरे हैं। हम इस इन्तजार में हैं भाव स्टेबिलाइज़ हो जायं।

श्री भैरोंसिंह : 'स्टेबिलाइज़' का मतलब है, भाव बढ़ जायं। आप जब २.३५ पैसे क्विंटल बेचते हैं और दूसरे व्यापारी १.३५ पैसे में बेचते हैं तो कितने तक भाव आ जायेंगे जब आप बेचेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : हमारा भाव भी हमने २ रुपये क्विंटल कर दिया है जब कि प्राइवेट सेक्टर वाले १.३५ पर क्विंटल बेचते हैं। इसके साथ हमारी क्वालिटी उनसे बेटर है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने ६० पैसे की जगह १.१० पैसा कर दिया है। मार्जिनल प्रॉफिट कम लेते हुए भी उनको कुछ न कुछ इन्कम है ही। इसका मतलब आप भाव बढ़ाना चाहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : भाव स्टेबिलाइज़ हो जायं तो हम बेच देंगे। २.२५ पैसे रेट था वहां हमने दो रुपया कर दिया फिर भी नहीं जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : जब १.६० पैसे में बिकता है तो २ रुपये में कौन लेगा?

श्री मथुरादास माथुर : नमक नमक में भी फर्क है। पचपदरा और डीडवाना के साल्ट में भी फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : जब आप यह मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो नमक बेचते हैं वह घटिया क्वालिटी का है तो ऐसी हालत में स्टेन्डर्ड नमक ही बाजार में आवे इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मथुरादास माथुर : हमने हमारे डिपार्टमेन्ट को, जो एडल्ट्रेशन के बारे में जांच करता है. कहा है इसमें प्योर साल्ट की कितनी क्वालिटी है उसकी जांच करें।

श्री भैरोंसिंह : आपका जो नमक पड़ा है उसको गवर्नमेन्ट बाजार भाव से क्यों नहीं बेचना चाहती?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा, बाजार भाव तो एक महीने-दो महीने में उतरा है। हमने २) तय कर दिया। २७ नये पैसे कम कर दिये। अगर हम ट्रेड में जाते हैं तो

(श्री मथुरादास माथुर)

ट्रेड के प्रिन्सिपल को फॉलो करते हैं। करना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : व्यापारी तो ठगते हैं, उनका प्रिन्सिपल यह है।

श्री मथुरादास माथुर : हम नहीं ठगते। तो मैं कह रहा था कि प्रॉडक्शन में गिरावट नहीं हुई है।

तो मैं सोडियम सल्फेट और लिगनाइट के लिये कह चुका हूँ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : आप अपना सारा कर्जा कब तक चुका सकेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : कौनसा ?

श्री केसरीसिंह : जो करीब २५० करोड़ के आस-पास है।

श्री मथुरादास माथुर : जो मयादी कर्जा है, उसे मयाद में चुका देंगे और जो गैर मयादी है उसको उस तरह चुकावेंगे।

श्री केसरीसिंह : कुछ इसका प्लान तो होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : हर कर्जे के पीछे एग्रीमेंट होता है, उसकी कुछ न कुछ शर्तें होती हैं। किसी को दस साल में चुकाना होता है, किसी को बीस में। जिसके साथ जैसा एग्रीमेंट है उसके साथ वैसा ही करना होता है। हम एग्रीमेंट का बराबर प्लान कर रहे हैं। अगर आप इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं तो आप फाइनेन्स विभाग में जाकर इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं।

श्री केसरीसिंह : ऐसा भी टाइम कभी आवेगा जब हम सारे कर्जे से बेबाक हो जावेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : आज भी हम कर्जे के पेटे ब्याज चुकाते हैं और बराबर सारी शर्तों का पालन करते हैं। फिर भारत सरकार का जो कर्जा है उसकी किश्तें तो वह अपने आप ही काट लेती है। तो कर्जा हम सब चुकायेंगे ही समय पर। कर्जदारी भी है तो लेनदारी भी है। यह तो यों ही सब ठीक चल रहा है। अपना तो विकास होना चाहिये, इसकी चिन्ता करें।

तो यह अन्त में निवेदन करूंगा कि पब्लिक सेक्टर में प्रॉडक्शन गिर गया है और जो रिफलेक्शन बजट में हुआ है, वह इस कारण से नहीं है। जो मैटीरियल इस वक्त पड़ा है, वह बिक जावेगा अगले साल तक तो सब ठीक हो जावेगा।

अगले साल तो सोडियम सल्फेट का प्रॉडक्शन व्यापारिक स्केल पर बढ़ जावेगा। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें जगह दी है। पांच एकड़ स्टेट सेक्टर में है। मैं वहां जाकर आया हूँ। हमने सबको इन्सेन्टिव दिया है। हम इसे डिफरेन्ट स्टेजेज़ पर मैनेज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छी आमदनी हम इसमें पैदा कर सकेंगे। करीब तीस चालीस लाख कम से कम। ऐसी उम्मीद है। अब आगे क्या वेदर कन्डीशन्स वगैरह रहते हैं उस पर यह डिपेन्ड करेगा।

इसके साथ लिगनाइट के बारे में कहा। इस पर राज्य सरकार, भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन ने एक चीज तय कर ली है कि लिगनाइट से अब पॉवर तैयार किया जाय। इससे तीन चीजें वैसे बनने की सम्भा-

(श्री मथुरादास माथुर)

बना होती है, एक फर्टीलाइजर, दूसरा कैमिकल, और तीसरा पॉवर प्रॉडक्शन। अब हमने फाइनली तय कर लिया है कि १०० मेगावाट का पॉवर स्टेशन थर्मल वहां पर बनाया जावेगा। और इसके लिये कॉर्पोरेशन जैसी कोई बॉडी बना सकते हैं। डिटेल के लिये एक्टपर्ट एन्गेज किये हैं। इस बारे में यह प्रगति हुई है।

फर्टीलाइजर प्लान्ट के बारे में मेरे पास इस वक्त निश्चित कोई निर्णय की कहने की बात नहीं है। पर सिंदरी फर्टीलाइजर के एक्सपर्ट इस सबको देख रहे हैं। पलाना में भी गये थे, उदयपुर भी गये। अब उससे क्या बनाया जावे, फास्फेट नाइट्रेट भी बनाया जा सकता है और कैमिकल्स बनाये जा सकते हैं- अब क्या बन सकेगा, यह निश्चित कहने की स्थिति में मैं आज नहीं हूं। यह अब कितना कहां बनाया जावेगा यह निर्णय अभी होने को है। पर इतना तय है कि यह बनेगा पब्लिक सेक्टर में।

वूलन मिल्स के बारे में एक्सपर्ट कमेटी जांच कर रही है। ४५०० स्पिंडल का बनेगा। अब यह कहां बनेगा यह एक्सपर्ट तय करेंगे।

कॉटन मिल के लिये हमने भारत सरकार को लाइसेन्स के लिये एप्रोच किया है। दो कॉटन मिल तैयार करना चाहते हैं। एक हनुमानगढ़ एरिया में, जहां इस वक्त कॉटन की प्रॉडक्शन बढ़ी है और एक कपासन के एरिया में। तो इस तरह हम पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं धीरे धीरे। ट्विस्ट नहीं करना चाहते, बढ़ाना चाहते हैं।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैन पॉवर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कामर्शियल मैनेजमेन्ट की ट्रेनिंग के लिये भी सोच रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग जहां होती है, अहमदाबाद-कलकत्ता में जहां कहीं भी होती है वहां ट्रेन्ड करवाया जावेगा ताकि हमारे ट्रेड में कामर्शियल एटीट्यूड और मैनेजीयल एफीसियेन्स बन सके ताकि इनमें हम सक्सेसफुल हो सकें। घाटे में न पड़ सकें।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि बजट के बारे, में वित्त-मन्त्रीजी ने जो बजट रखा है, कई बातें कही गई हैं। भाषा के बारे में कहा गया। इसमें सभी जबानों का इस्तेमाल हुआ है। आपकी नालेज इसमें बढ़ी होगी, उर्दू के शब्दों की नालेज भी बढ़ी होगी। आपकी बी याद नहीं, मैं नहीं कह सकता, पर मैंने तो पांच दस शब्द नये सीखे हैं। आपने भी सीखे होंगे। यह तो बजट का बजट और स्कूल की स्कूल हो गई। तो मुखियाजी, जयपुर से आने वालों ने भी बहुत बातें सीखी हैं और भी सीखेंगे। इन शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वूलन मिल के बारे में जो कमेटी आपने अपॉइन्ट की क्यावह अपॉइन्ट हो चुकी, हो चुकी तो वह निर्णयकब तक दे देगी, और वह जांच के दौरान पब्लिक से भी इन्क्वायरी करेगी क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : कमेटी तो इसलिये अपॉइन्ट हुई कि यह पानी की जांच करे सीकर और बीकानेर में। बीकानेर के पानी में साल्ट कन्टेन्ट्स हैं जिसकी वजह से वूल

(श्री मथुरादास माथुर)

वाश नहीं कर सकते। यह तो तकलीफ है। बीकानेर में कुछ कुए बताते हैं कि अच्छे हैं। तो ६८ तक जब तक कि नहर का पानी न आ जावे तब तक इन्टेरिम पिरियेड तक भी इतना पानी मिल जावे जो जरूरी हो तो ज्यादा इरादा बीकानेर की तरफ है। पर बिल्कुल ही पानी न मिले और मिले तो वैसा कि जिससे धोया और धुपे ही नहीं, साबुन लगाया और साफ हो न हो कपड़ा तो यह तो टैक्निकल कठिनाई है। वहां का पानी एम. एल. ए. अच्छे पैदा कर सकता है, पर ऊन अच्छी धो सकेगा, यह देखने की बात है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट की बहस का चौथा दिन है। विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने अपने अपने मत हमारे सामने इस पर रक्खे।

मैं यह समझता हूँ कि इस बजट प्रपोजल पर अपनी सही राय कायम करने के पहले यह देखना चाहिये कि इस बजट का कौनसा क्राइटेरिया है? क्या इसके पढ़ने के बाद सही एप्रीसियेशन करने के लिये, जो इसके टार्गेट्स हमारे सामने पेश किये गये हैं, पूरे हैं? क्या यह बजट जो आम जनता की एक्सपेक्टेशन्स थीं उनके नजदीक पहुँचाता है? दूसरी स्टेटों में जो बजट पेश हुए उनको स्टडी करने के बाद हमारे बजट के बारे में क्या ख्याल बनता है? पिछले साल के बजट और इसमें क्या फर्क है? यह भी देखना होगा।

तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों को देखने के बाद यह मेरा कयास है कि कम्पेरेटिवली यह प्रोग्रेसिव बजट है। मैं यह कहने के लिये जिस कन्टेक्स्ट की बात करता हूँ राजस्थान की सोशल इकोनोमिकल और पोलिटिकल हालत के बारे में जैसा कि अभी हमारे प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा दो तरह की छाया हैं।

मैं समझता हूँ कि इन सारी हालतों को देखते हुए हमें जो अच्छी चीज, नया डाइरेक्शन मिलता है तो उसका स्वागत करना चाहिये। मगर मैं इसको भी नहीं मानता कि जो कुछ आज तक हुआ और उसको मानने के बाद हम एटीट्यूड यह ले लें कि हमारे टार्गेट्स इसलिये फुलफिल नहीं हुए कि जो खामियां रही हैं और वे खामियां अधिक नहीं हैं, मार्जिनल हैं–जैसा हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं। मैं इसको नही मानता। प्लान के टार्गेट्स के इम्पलीमेन्टेशन में सब्सटेन्शियल खामियां रही हैं। मैं अर्ज कर देता हूँ कि हमारे गृह मन्त्री गुलजारीलाल नन्दा जब अपना भाषण दे रहे थे, व्यापारियों के फेडरेशन के बीच में तो उन्होंने कहा कि इन तेरह साल की प्लानों का हमारे कॉमन आदमी पर क्या असर पड़ा, उनके स्टेण्डर्ड आफ लिविंग पर क्या असर पड़ा, क्या खामियां रहीं प्लानिंग में?

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : समय हो गया। या तो समय बढ़ाया जावे या पोस्टपोन किया जावे कल के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय आधा मिनिट अभी है।

श्री केदारनाथ : Fruits of progress will not reach common man because they are frightened by the alarmed growth of population. हम प्लान से यह एनविसेज करते थे कि हमें तीन चीजों से

(श्री केदारनाथ)

कारा मिल जावेगा–Freedom from exploitation, freedom from profiteering. मैं यह कह सकता हूँ दावे के साथ कि १३ सालों की प्लान से हम इन तीन चीजों से छुटकारा नहीं पा सके। इसलिये इसके साथ–साथ एक स्टेटमेन्ट जो फारिन रायटर का है, हमारे हिन्दुस्तान की जो वेल-विशर थी उसका स्टेटमेन्ट आया था, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।

So I may be allowed to continue tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

Shri Kedarnath will continue.

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० १ बज कर ३० मिनट पर कल दिनांक १४ मार्च १९६४ म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक १३ मार्च, १९६४)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१
मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में विभिन्न कोर्स की व्यवस्था ।	
अनाज की कमी तथा भावों में वृद्धि ।	
ग्रामीण जल प्रदाय योजना, सांगोद ।	
आदिवासियों को भूमि का अलॉट-मेन्ट भीलों की बस्ती, रामपुरा ।	
ग्राम धोलेट का डहर ।	
हरिजन काश्तकारान, बस्ती बिहारीपुरा ।	
सन् १९५१ के फिक्सेशन के मामले ।	
खातेदारी हक-तहसील सांचोर ।	
आलनियां प्रोजेक्ट की नहरों की पुलियाओं की मरम्मत ।	
जवाई डैम की घास का ठेका ।	
व्यास परियोजना ।	
नरायना अस्पताल ।	
सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का लगान ।	
पाकिस्तानी स्पाई ।	
शक्कर का वितरण-भीलवाड़ा ।	
एयरोड्रोम, कोटा ।	
भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही भरतपुर ।	
माही बांध ।	
नगरपालिका फुलेरा के विरुद्ध जनता की शिकायतें ।	
सुधार-कर की वसूली, चम्बल योजना ।	
नगरपालिका झुंझुनूं ।	
गादोला बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा ।	
राजस्थान केनाल की मशीनें ।	
इन्डस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर में पानी के कनेक्शन्स ।	
२, अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक	७५
भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेन्ट जिला चित्तौड़गढ ।	
बकाया की वसूली-एस० डी० ओ० कार्यालय नीम का थाना ।	

स्कम्भ

एस० डी० ओ० भीनमाल की अदालत में पेंडिंग मुकदमें—भीनमाल।

काश्त और पडत भूमि का अलॉट-मेन्ट-जयपुर शहर।

भूमिहीन परिवारों को भूमि का अलॉटमेन्ट—जिला चूरू।

पुलिस स्टेशन, निम्बाहेड़ा में दर्ज केसेज।

नगर विकास हेतु धन राशि।

भाड़े की जमीन के पट्टे—नगर-पालिका तारानगर।

जयपुर नगर का मास्टर प्लान।

बांध से सिंचाई—ग्राम आकोदा।

३. विशेषाधिकार प्रश्न ८६

श्री रामप्रसाद लड्ढा ने श्री मान-सिंह महार, सदस्य विधान सभा, के विरुद्ध इस आशय के विशेषा-धिकार प्रश्न को उठाये जाने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव किया कि दिनांक २ व ६ मार्च, १९६४ को चिकित्सा मंत्री श्री बरकतुल्ला खां पर यह आरोप लगाये जाने के कारण कि चिकित्सा मंत्री डाक्टरों के तबादले पैसा लेकर करते हैं,

स्कम्भ

श्री महार ने विशेषाधिकार का हनन किया है। कुछ सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त करने के पश्चात् इस पर निर्णय दिनांक १४ मार्च, १९६४ तक के लिए स्थगित रखा गया।

४. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध प्रस्ताव ११४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो सदन द्वारा स्वीकार किये गये :—

(क) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन-लेखा समिति, १९६४-६५ के लिये १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

(ख) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, १९६४—

	स्कम्भ
६५ के लिए १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"	
५. आय-व्ययक १९६४-६५	११९
प्रथम अवस्था।	
सामान्य वाद-विवाद।	
आय-व्ययक (बजट), १९६४-६५ पर आज भी अग्रेतर सामान्य	

स्कम्भ

वाद-विवाद जारी रहा।

शनिवार, दिनाङ्क १४ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

१. राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६३ (वापिस लेना)।

२. आय-व्ययक (१९६४-६५) पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३८८ का उत्तर देखिए)

फहरिस्त उन आसामियान की जिन्होंने रामपुरा में जमीन काश्त कर रखी है

नं. शु.	नाम आसामी	आराजी नं.	रकवा	विशेष विवरण
१.	श्री चैना वल्द भजा भील	१०५६।३,४	३।)२	
२.	श्री हीरका वल्द गेवा भील	१०५६।६	।।।)२	
३.	श्री भजा वल्द रूपा भील	१०५६।७	२।।।)	नारंगी, निम्बू, १० ३ जामफल, आम २५ २
४.	श्री छगना वल्द उदा भील	१०५६।८	३।।।)	
५.	श्री घीसा वल्द वरदा	१०५६।९,१०,११	२।)३	
६.	श्री मेरा वल्द तुलछा ओड	१०५६।१२,१३	१।।)१	
७.	श्री गंगाराम वल्द जगन्नाथ लुहार	१०५६।१४,१९,२२	।।)४	
८.	श्री अम्बावा वल्द देवा तेली	१०५६।१५	१)।	
९.	श्री दौलतराम वल्द जवानदास	१०५६।१६	।।)३	
१०.	श्री तुलसीराम वल्द एकलिंगदास	१०५७।१७	।।)१	
११.	श्री मेरा वल्द वरदा भील रामपुरा	१०५६।१८	।)	
१२.	श्री पनदा[illegible] वल्द गुलाबदास रंगा	१०५६।२०	ऽ४	
१३.	श्री घीसा वल्द वरदा भील	१०५६।२४	३।)४	
१४.	श्री नानीया वल्द कोदरा भील	१०५६।२५	ऽ ३	
१५.	श्री चैना वल्द गैवा भील	१०५६।२६	ऽ ३	
१६.	श्री गेबा वल्द कमला भील	१०५६।२७,२८	११)	

	१	२	३	४
१७.	श्री पुना वल्द पाना भील	१०५६।२६	२।)२	
१८.	श्री गोपलिया वल्द मवा भील	१०५६।३०	३।)	
१९.	श्री जगन्नाथ वल्द माना भील	१०५६।३१	१।।)	
२०.	श्री तलोक वल्द माना भील	१०५६।३२	१)	
२१.	श्री हीरा वल्द केसी भील	१०५६।३३	।)१	
२२.	श्री भजा वल्द रूपा भील	१०५६।६८३	३।।)१	
२३.	श्री भीमा वल्द रूपा भील	६८३।५	६।)४	डाडम, जामफल २ ४० निम्बू, आम १ १

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०७ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING THE DISTRICTWISE DETAILS OF SUGAR IN RAJASTHAN

(ALL FIGURES IN TONNES)

S. No.	Nane of district	Sept. 63	Oct. 63	Nov. 63	Dec. 63	Jan. 64	Feb. 64	March 64	April 64	May 64	June 64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ajmer	672	600.5	261	538	478.5	488.5				
2.	Alwar	253	319	138	348	253	261				
3.	Banswara	101	115	46	161	138	121				
4.	Barmer	127	156.5	69	203	159.5	159.5				
5.	Bharatpur	253	299	138	428.5	368	37				
6.	Bhilwara	221	246.5	116	290	246.5	217.5				
7.	Bikaner	370.5	261	138	301	284	269.5				
8.	Bundi	126	115	46	138	92	92				
9.	Chittorgarh	161	203	92	299	188.5	193.5				
10.	Churu	223	246.5	115	299	231	239				
11.	Dungarpur	96	101.5	46	116	87	87				
12.	Ganganagar	289	342	145	382	348	308.5				
13.	Jaisalmer	50.5	58	23	58	43.5	43.5				
14.	Jalore	102	116	53.5	159.5	116	116				
15.	Jhalawar	101	138	69	184	115	115				
16.	Jhunjhunu	175.5	234	92	265	298.5	205.5				
17.	Jodhpur	510	457	217.5	440	429.5	441.5				
18.	Kota	355	391	177	414	368	369.5				

१		२	३	४	५	६	१०
19.	Nagaur	193	246.5	121	345	246.5	254.5
20.	Pali	159.5	232	101.5	282.	203	203
21.	S. Madhopur	151	172.5	92	299	259	253
22.	Sikar	219	246.5	115	301	232	239
23.	Sirohi	112.5	130.5	115	130.5	101.5	101.5
24.	Tonk	101	138	69	184	138	146
25.	Udaipur	479	464	222.5	563.5	486.5	494
26.	Jaipur	892.5	854.5	386	893	307	820.5
	Total						

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर देखिए)

चूरू जिले में जिन भूमिहीनो परिवारों को तीन साल के लिये आरजी तौर पर भूमि अलॉट की गई है की सूची

क्रम संख्या	नाम तहसील	परिवारों की संख्या
१.	सरदार शहर	६
२.	रतनगढ़	३६६
३.	डूंगरगढ़	१३
४.	राजगढ़	६
५.	तारानगर	१

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिए)

नगरपालिका, जयपुर को गत पाच वर्षों में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता व अनुदान के आंकड़े

वर्ष	जनरल कार्य	विकास कार्य	कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि	हाथ गाड़ियां खरीदने हेतु	सड़कों के निर्माण हेतु
	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	केन्द्रीय सरकार द्वारा	केन्द्रीय सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा
१९५९-६०	४८,५२५)	९७,०४०)	१,१३,७२१)	—	९३,०००)
१९६०-६१	—	१०,०००)	१,१३,७२१)	—	९३,०००)
१९६१-६२	—	—	१,००,०००)	२८,०००)	१,००,६९०)
१९६२-६३	५,०००)	—	१,००,०००) (राज्य सरकार द्वारा)	—	६४,०००)
१९६३-६४	२,०१,७२२)	—	—	—	—

*शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १३ मार्च, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१-२	शीर्ष	विधान सभा	तृतीय विधान सभा
१	३	शुक्रवार दिनांक	शुक्रवार, दिनांक
,,	१०	सिंचाई उपनिवेशन	सिंचाई, उपनिवेशन
,,	१३	कालेज. बीकानेर	कॉलेज, बीकानेर
२	३	उपमंत्री स्वास्थ्य	उप-मंत्री, स्वास्थ्य
४	१४	(लूनकरणसर)	(लूणकरणसर)
१०	अन्तिम से ३	श्री दिनेशराय	(श्री दिनेशराय
१३	शीर्ष	लड्ढा)	लड्ढा)
,,	३-४	श्री अध्यक्ष : श्री सम्पति लाल बोहरा।	प्रश्न संख्या ५९२
,,	शीर्ष	प्रश्न संख्या ५९२	श्री अध्यक्ष : श्री सम्पति लाल बोहरा।
१९	,,	—	(श्री अध्यक्ष)
२८	७-८	: श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया।	[श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया] :
३५	७	श्री कष्णकुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
४४	५	(नाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
४५	१३	(प्रश्न संख्या ४१७)	प्रश्न संख्या ४१७
,,	१६	(प्रश्न संख्या ४१८)	प्रश्न संख्या ४१८
५०	अन्तिम से २	श्री रामानन्द अग्रवाल	४००. श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	अन्तिम	(लूणकरणसिंह)	(लूणकरणसर)
५१	शीर्ष	(श्री भीमसेन)	श्री रामानन्द अग्रवाल
५५	शीर्ष	(श्री अमरसिंह	(श्री अमरसिंह)
६०	प्रथम	निरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
६५	अन्तिम से ५	श्री निजरंननाथ	श्री निरंजननाथ

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६६	,, ,,	श्री निरजननाय	श्री निरंजननाथ
६७	६	श्री निरजननाथ	,, ,,
७५	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
७७	,, ,,	अप्रारांकित	अतारांकित
८१	शीर्ष	(श्री रावतराम)	(श्री राजस्व मंत्री)
८५	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)	——
	१२	बांध से	बांध से
,,	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	विशेषाधिकार प्रश्न
८६	१३,२२,२७व३२	प्रिवलेज	प्रिविलेज
६४	१४	इह	यह
,,	१५	कागनीजेबल	कॉग्नीज़ेबल
,,	१७	प्रिवलेज	प्रिविलेज
६५	अन्तिम से ३	समिति के	समितियों के
११४	शीर्षक	समिति के	समितियों के
११५	२	(प्रस्ताव स्वीकार किया गया)	प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
११६	शीर्षक	अग्रेतर	अग्रेतर
११८से २२६			
१५१	अन्तिम से २	श्री माणिकचन्द	श्री मानिकचंद
२२६	अन्तिम	हुई।	हुई)
२२८	अन्तिम से ६	अतारा कि प्रश्नों	अतारांकित प्रश्नों
२३२	शीर्षक	२२३	२३२

* नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।